हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 फरवरी 1978

खण्ड 1, अक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 28 फरवरी, 1978,

पृष्ठ सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(2) 1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज 'पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर..

(2) 28

अताराकित प्रश्न उत्तर

(2)31

ध्यानाकर्षण सूचनाए (2)

49

सचिव द्वारा घोषणा (2)50

कार्य मत्रणा समिति की प्रथम रिपार्ट

(2) 51

सदन की भेज पर रखे गए कागज पत्र

(2) 52

सदन की मेज पर गए कागज–पत्र

(2)52

वर्ष 1977– 78 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)

(2)53

वर्ष 197 7– 78 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)

पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश करना

(2)53

वर्ष 1973–74 भी अनुदानो तथा विनियोजनों से अधिक मागे

पेश करना (2)53

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की वर्ष 1975–76

(सिविल) हरियाणा सरकार की अनुपूरक रिपोर्ट रखना

(2)53

सविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन सकल्प

(2)53

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम, 1974

के सशोधन सम्बन्धी संकल्प

(2) 62

अनु–सूचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियो

के कन्याण सबंधी समिति की पदावधि बढाना

(2) 63

सार्वजनिक उपकर्मो पर समिति का गठन

(2) 64

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

(2)71– 98

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 फरवरी, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुंई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहिबान, अब सवाल होंगे ।

Vacant posts of Treasury Officers in the Finance Department

***193. Master Jogi Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of posts of Treasury Officers lying vacant in the Finance Department togetherwith the period from which these- posts are lying vacant ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक): खजाना–अधिकारी का एक जो 8–12–76 से रिक्त पड़ा है ।

चौधरी शेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय' बताएंगे कि खजाना अधिकारी' का जो पद खाली पड़ा है, इस को कब लक भर लेने की आशा है रू?

चौधरों सतबीर सिंह मलिक : यह जो पोस्ट है यह एस0ए 0 एस 0 के खाते में है औरे प्रोमोशनल पोस्ट है । सरकार के सामने यह केस विचाराधीन है ।

Rural Water Supply (Drinking) Scheme

***197. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation- aria Power be pleased to state—

(a) whether the Government has addressed any 'letter to the World Bank for financing the Rural Water Supply (Drinking) Schemes; if so, whether the villages of Narwana Constituency are included in the aforesaid. scheme ;

(b) whether the Government is aware of the fact•; that in 90 % villages of Narwana Constituency the water is brackish and unfit, for drinking and

(c) if so, whether there is ahy scheme under consideration of the Government to supply water in the following villages namely Ujhana, Dhenori, Peepalth, Kharal, Dhamtan, Amargarh Kalwan, Dhoridi, Dablan, Sacha Khera and Gurthali togetherwith the stage thereof ?

सिचाई एवं विद्युत मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : जी हां । परन्तु नरवाना चुनाव क्षेत्र के गांव विश्व बैक की आर्थिक सहायता द्वारा चालू की जाने वाली योजना में सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) Water supply to village Sacha Khera is already functioning since 1972. Estimates for water supply to Deblan and Amargarh have been sent to Panchayat Department in November,

1975 and December, 1975, respectively. Acceptance of the Panchayats is still awaited and on receipt of the same, matter will be put up to the Sanitary Board for approval and allocation of funds. Estimates for Peepalth, Kharal, Dhamtan and Kalwan have been prepared, and are being checked. Ujhana, Dhenori, Dhoridi and Gurthali have not sent any resolutions to have the facility of rural water supply and as such no estimates to supply water to these villages have been prepared.

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि रूहोंने इस स्कीम से संम्बन्धित पत्र लिख कर एम0 एल0 एज0 से इस बात का, रेफरेन्स पूछा था कि अपनी अपनी कांस्टचुऐन्सी के 10 ऐसे गांवों का नाम बताया जाए जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दी जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसी स्कीम के तहत 17 ब्लाकों को छांटा गया था और मैंने इन ब्लाकों से सम्बन्धित जो जो एम0 एल0 एज0 थे, उनको एव लिखा था कि वह अपनी अपनी कास्टीचुऐन्सी में से 10 ऐसे गांव बताएं जहां पर कि पीने के पानी के लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उन्होंने मुझे भी इस तरह का पल किया था?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री मूलचन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्कीम के तहत वह गांव भी शामिल हैं जहां पर पीने के पानी के कुंए सरकार के ट्यूबवैल्ज लग जाने के कारण सूख गये हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कौन सी स्कीम के तहत तीन स्कीमें हैं एक वर्ल्ड बैक की स्कीम, दूसरी ऐक्सलरेटिड स्कीम तथा तीसरी नार्मल वाटर सप्लाई स्कीम।

श्री मूलचन्द जैनः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कोई और भी स्कीम है बिटके तहत वे गांव आते हों जिनके कु ए सरकारी डीप ट्यूबवैल्ज की वजह से सूख गये हों?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड बैक की स्कीम में जो स्केयरसिटी विलेजिज की डेफिनिशन में विलेजिज आते हैं वे स्माल विलेजिज हैं जिनकी संख्या तकरीबन 4081 है ।

श्री मूलचन्द जैनः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सरकार के कोई ऐसी स्कीम विचाराधीन है जिसके तहत हरियाणा के हरेक गांव मे पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्र ही की जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंहः हरियाणा सरकार की यह मन्शा है कि जल्दी से जल्दी समी गांवों को पीने का पानी सप्लाई किया जाए जिसके लिये हमें 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता है

श्री भले राम : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि गोहाना तहसील में ऐसे कौन से गांव हैं जो इस स्कीम के तहत चुने गये हैं जहां कि पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं सारे ही डिस्ट्रिक्टस का यत। देता हूं । जो जो डिस्ट्रिक्ट ध्याकवाइज इस स्कीम के तहत लिये गये हैं वे हैं, हिसार, सिरसा, लोद, रोहतक और सोनीपत । सोनीपत में कथूरा ब्लाक कों इसमें शामिल किया गया है ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस के लिये सरकार ने क्या क्रायटेरिया फिक्स कियां था?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिन जिन गांवों में पानी की स्केयरसिटी ज्यादा है उन गांवों को इसमें शामिल किया गया है ।

Shri Lachman Singh : What do you mean by scarcity ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Scarcity means scarcity.

Shri Lachman Singh : That 1 know. But 1 want to know the definition of 'scarcity' in the eyes of the Government for this scheme.

Shri Verender Singh : The scarcity villages have been divided into two categories, namely—

Category I

(a) Villages having no source of water supply within a

distance of 1.6 km. in the plains, or 0.8 km. in hilly areas ;

(b) villages in which the depth of water table is more than 15 metres.

Category II

Villages in which the population is particularly prone to water borne diseases., or in which the water at present available has excessive floluride contents, or total dissolved solids more than 2,000 parts per milion, and high salinity.

राव राम नारायण : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि साल्हावारा के हलके सई? कौन कौन से गांव इस स्कीम के तहत चुने गये हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी बताया कि' जिन. जिन ब्लाकों को इस स्कीम के तहत चुना गया है, वह 17 हैं । सभी सम्बन्धित एम0 एल0 एज 'से इस बारे में लिखकर पूछा– गया था अगर उनको पल न मिला हो तो अपना ऐसा कोई गांव अभी भी पता सकते हैं । उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा ।

श्री हीरानन आर्य : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि भिवानी जिले में भी इस स्कीम के तहत किसी गांव को लिया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं सभी जगहों के नाम पढ़कर सुना देता हूं हिसार में हिसार–। हिसार–।।, फतेहाबाद, बरवाला,भूना, नारनौंद और हांसी, सिरसा में बारागुढा तथा डबवाली जीन्द में

कलायत, रोहतक में चीरी तथा सांपला, सोनीपत में कथूरा, अम्बाला में रायपुररानी तथा पिंजौर और गुडगांव में फिरोजपुर झिरका, नूह तथा हथीन वगैरह–वगैरह ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मन्त्री महोदय बतायेगें कि जिन जिन एर्म एल0 एज 0 ने इनको अपनी तरफ से लिखकर दे दिया है उनके गांवों में इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई की काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?'

श्री वीरेन्द्र सिंह : जब हमें वर्ल्ड बैक से पैसा मिल जायेगा तब काम शुरू करें दिया जायेगा ।

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन गांवों से इस स्कीम के लिये 12 परसैन्ट पैसा लिया जाता है जबकि शहरों से नहीं लिया जाता, इस पैसे को सरकार को तरफ से माफ किये जाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस समय सरकार के पास ऐसी कोई प्रोपोजल नहीं है लेकिन हरियाणा में कुछ तहसील, कुछ सब–डिवीजन ऐसे हैं जहां पर यह 12 परसेन्ट पैसा नहीं लिया जाता है ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब नारायणगढ में एक भूट गांव है वहां इन्होने एक मशीन भेजी थी जो कि टूट गई है। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहां कोई मशीन दोबारा भेजी जाएगी (हसी)

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री शमशेर सिह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जवाब के पार्ट 'बी ' में यह बात मा नी है कि नरवाना कांस्टचुऐन्सी के 90 प्रतिशत गांवों में खारा पानी है । क्या मन्त्री महोदय हलका नरवाना के सारे गांवों का सर्वे करवा कर उन्हें किसी खास स्कीम के तहत कवर करने का कष्ट करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले ही जिक्र किया है कि हरियाणा सरकार एक एक गांव को पानी देना चाहती है । जहां जहां खारा पानी हे उन गांवो की लिस्ट पहले ही सरकार के पास है ।

कंवर रामपाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि बहुत से गावों में जहां वाटर सप्लाई स्कीम चालू है केवल बाहर से ही पाइप लाइन बिछाई गई है? क्या इस पाइप लाइन को गांवों के अन्दर भी बिछाया जाएगा ताकि गांव वाले उसका फायदा उठा सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है वैसे अगर किसी मैंबर साहेबान को किसी खास जगह पर तकलीफ हो तो वह अलग से नोटिस दें जवाब दे दिया जाएगा ।

श्रीमती शकुन्तला भागवारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि महेन्द्रगढ़ सब से पिछडा हुआ इलाका है फिर भी उसको क्यों छोड़ दिया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिहः वर्ल्ड बैक की तरफ सें जो कर्जा दिया गया है उससे तो सिर्फ 175 गांव ही कवर कर सकते हैं । फिर भी हमें जैसे जैसे फंडज मिलते जाएंगे हम और गांवो को भी सहूलियत देते जायेंगे । वैसे महेन्द्रगढ़ में 70 प्र तिशत गांवों को पानी मिल चुका है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : मन्त्री महोदय ने अभी ब्लाकों की बात बताई' लेकिन मैं ऐसे हल्के से आया हूं जहां पर न तो कोई ब्लाक है और न कोई सब–डिवीजन है – (विघ्न) और उसकी सारे हरियाणा में सब से बुरी हालत है । कही ऐसा न हो कि बाद लई । के लो गो को पीने का पानी न मिले और वे फ्लड के पानी, में ही डूबते रहे क्या मन्त्री महोदय इस बात का याद रखेगे?

(कोई. उत्तर नही दिया गया ।) '

चौधरी पीर चन्द. : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फतेहाबाद के इला के मैं वाटर वर्कस की स्कीम लगाने की कोई प्रोपोजल है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चु का हूं कि यह सवाल नरवाना कांस्टचुऐन्सी से संबंधित है अगर आप अलग अलग

ब्लाक के ' बारे में सूचना चाहते है तौ अलग से नोटिस दे दें और जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि पानीपत ब्लाक में भी पानी देने की कोई स्कीम है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि अगर अलग अलग ब्लाक की सूचना चाहिये तो अलग से नोटिस दे दें ।

Ghaggar Bridge

***204. Chaudhri Pratap Singh Thakran :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the year and cost of construction of Ghaggar Bridge on Haryana State Highway near Panchkula togetherwith names of officers from S.D.E. to Chief Engineer who got constructed this bridge ;

(b) the yearwise amount spent on repairs of this bridge to date ;

(c) whether it is a fact that the guide bunds of the aforesaid bridge were damaged due to wrong location and design during the last rains in the year 1977; and

(d) if so, whether any responsibility has been fixed for the aforesaid lapse togetherwith the steps taken to avoid occurrence of such damages in future.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) (i) Year of construction of Ghaggar Bridge : October,

1971

(ii) Cost of construction : Rs. 44,89,285/-

(iii) Name of officers who got this bridge constructed :-

Sub Divisional Engineer : Shri K.K.Gupta.

Executive Engineer : Shri R.K. Aggarwal.

Superintending Engineer also Addl. Shri K.L.Kapoor.

Chief Engineer since May, 1971 :

Chief Engineer : Shri I.C. Gupta.

(b) The expenditure on repairs to this bridge so far is nil.

(c) No damage to the guide bunds of Ghaggar Bridge occured during the last rains in the year 1977.

(d) Does not arise.

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह गाइड बंध का डिजाइन और लोकेशन इंजीनियरिंग प्वांयट ऑफ न्यू से ठीक है या गल्त?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बात इन्होंने अपने सवाल के पार्ट सी में पूछी है और मैंने जवाब के पार्ट 'सी ' में उसका उत्तर दे दिया है जोकि अपने आप में पूर्ण है ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताऐंगे कि क्या घग्घर का पुल 1977 में भी। खराब हुआ था?

श्री वीरेन्द्र सिंहः 1977 में यह खराब नहीं हुआ ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताऐंगे कि अगर घग्घर का पुल 1977 की बरसात के मौसम में खराब नहीं हुआ तो और किस किस साल में खराब हुआ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह गाइड बन्ध 1971 में बना था और यह 1973–74, 1974–75, 1975– 78 और 1978–77 में खराब हुआ था, पुल खराब नहीं हुआ ।

Sugarcane crushed by the Sarswati Sugar Mills Yamuna Nagar

***219. Chaudhri Sher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total quantity of sugarcane produced in District Ambala during the current year together with the quantity of sugarcane **likely** to be crushed by the Sarswati Mills, Yamunanagar alongwith the manner in which the remaining sugarcane will be disposed off ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : : जिला अम्बाला में चालू वर्ष में गन्ने का अनुमानित उत्पादन 150 लाख

क्यिंटल है जिस में से सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर द्वारा 70 लाख क्विंटल गन्ना पेला जायेगा गन्ने की शेष माता का निपटारा गन्ना उत्पादकों द्वारा स्वयं गुड़ बना कर या खण्डसारी यूनिटों को बेच कर किया जायेगा ।

चौधरी शेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि गुड और खण्डसारी का भाव किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है और क्या सरकार यह महसूस करती है कि अम्बाला में कोई और शूगर मिल लगाया जाए?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक शूगर मिल लगाने का ताल्लुक है सरकार चाहती है कि हरियाणा में पांच शूगर मिल और लगाए जाएं लेकिन उसके लिये मर्कजी सरकार से हमे इजाजत लेनी पड़ती है जोकि अभी तक मिंत्री नहीं है ।

श्री शभशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जो पांच शुगर मिल और लगाने की प्रोपोजल है क्या उनमें जींद जिला भी शामिल है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आगे एक सवाल इस संबंध मे आ रहा है उस वक्त स्पैसिफिक जवाब दे दूगा ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कैथल में इस साल शूगर मिल लगाया जाएगा?.

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस साल तो कोई संभावना नजर नहीं आती है ।

चौधरी लाल सिंह : अगर सरकार को और शूगर मिल लगानेकी मंजूरी मिल गई तो. क्या जिला अम्बाला में और शूगर मिल लगाया जाएगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : गवर्नमैंट के अंडर केंसिड्रेशन कई जगह हैं लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता । जब हमें पता लगेगा कि इतने मिल लगाने की मंजूरी मिल गई है तब सोचें कि कहां कहां पर प्रायरिटी देनी है ।

चौधरी रिजक राम : सरस्वती शूगर मिल के बारे में बताया गया कि उस एरिया में गन्ने की उपज ज्यादा है इसलिये गन्ना कम पिडता है लेकिन साथ साथ सरकार की ओर से कुछ एरिया की भी पाबन्दी लगाई गई है कि इस इस एरिया का गन्ना लगे तो क्या दूसरे एरियाज की छूट देंगे कि वह अपने गन्ने को पेडूने के लिये कोहलू वगैरह लगा लें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमने पहले ही छूट दी हुई है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि पांच शूगर मिलें लगेगी और जींद में भी लगाने का विचार है । क्या मन्त्री महोदय गोहाना में मिल लगाने पर भी विचार करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : गोहाना में भी कुछ न कुछ जरूर होगा ।

चौधरी शेर सिंह : स्पीकर साहब, अम्बाला जिले में गन्ना 70 लाख क्विटल फालतू' बताया गया है । क्या इतना गन्ना किसी और जिले में भी फालतू है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सारे जिलों का डेटा. मेरे पासनहीं है, इसके लिए अलग नोटिस दे।

श्री लहरी सिंह मेहरा : जमुना नगर में सरस्वती शूगर मिल के साथ जो एरिया लगताहै उसकारू गन्ना यह मिल फैलती है लेकिन. जमुना की तरफ जाते हुए तीन किलोमीटर का एरिया पडता है, क्या सरकार दूसरी साइड से कुछ फालतू एरिये कोइस मिलके अंडर लानेपर –विचार. करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : 75 फीसदी गन्ना डिस्ट्रिक्ट अम्बाला का लिया जाता है और 25 फीसदी गन्ना डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का लिय जाता है ।

चौधरी रामकिशन : स्पीकर साहब, ैउगर मिल पानीपत के लिए हद मुकर्रर की गई हे कि 10 मील के रेडियस के अन्दर का गन्ना लिया जाए । क्या सरकार के ध्यान में इस रेडियस को 10 मील से 20–2 5 तक बढ़ की प्रपोजल है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अभी नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि पिछले साल इन्हीं दिनों गन्ने का रेट क्या था और आजकल क्या है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अब साढ़े 13 रुपये क्विंटल है लेकिन पिछले साल का पता नहीं ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : स्पीकर साहब, गन्ने के सिलसिले में तरह तरह कें रसमी सवाल न पढ़े जाएं । असली बात यह है कि किसानों का बुरा हाल है लकड़ीका भाव,तूडी का भाव बहुत महंगा है । किसान जो गन्ना पैदा करता है उसका प्रबन्ध करे मन्त्री जी चाहे गुड़ खरीदें, चाहे ' मिल लगाएं, चाहे कुछ करें, एकही सवाल है कि जो किसान के साथ. वायदा किया है उसको पूरा कर ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इसके बारे में एक काल अटैन्शन मोशन आई हैं जो, शायद एडमिट न हुई होगी, अगर हुई होगी तो मेरे नोटिस में नहीं है । उसका जवाब मैं दूंगा । मैं आपको बता देता हूं कि हमारी सरकार के सामने या सारे देश के सामने जो डिफिकल्टी आई है उसके प्रति हम पूरी तरह से जागरूक. हैं । हमने कर ही 9 बजे शूगर मि दृ कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और सैन्ट्रल सरकार ने भी लैवी शूगर की प्राइस बढ़ाई है जिसकी खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी । हमारी

पूरी शिश होगी और किसान के हित को पूरी तरह से देखा जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश : जिस गन्ने की पिलाई नहो, उसके लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप गुड़ बनाए, खण्डसारी युनिट लगाकर गन्ना पेले ।

श्री रघुनाथ गोयल : स्पीकर साहब, पिछली बार गन्ने की मिल कैथल में लगनी थी लेकिन सरकारने उसको करनाल में लगा दिया । क्या मन्त्री महोदय कैथल में मिल लगाने के लिए इस बार विचार करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी सन्त कंवर : क्या सरकार किसानों से गुड़ खरीदने पर विचार कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कोई विचार नहीं कर रही ।.

चौधरी भजन लाल : मन्त्री महोदय ने बताया है कि गले का रे ट साढ़े 13 रुपये है । क्या सरकार के पास बहुत सी जगहों. से ऐसी शिकायतें नहीं मिंत्री हैं जैसे जिला अम्बाला की सरस्वती शूगर मिल के बारे में बताया जाता है कि वह साढ़े 9 रुपये क्विटल गन्ना ले रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सरस्वती मिल पिछले पांच–सात दिनों से साढ़े 9 रुपये क्यिंटल गन्ना ले रही है लेकिन हमारी जितनी भी कोआप्रेटिव मिल्ज हैं वे गन्ना साढ़े 13 रुपये क्विंटल के हिसाब से ले रही हैं

चौधरी गंगा राम : हिन्दुस्तान भर में जितनी मि लो में चीनी तैयार होती है उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन काफी. कम. है और काफी कम वैल्यू पर मार्केट में चीनी' मिलती है । लेकिन हरियाणा में किसान गु डु और गन्ना पैदा करता है जो कास्ट आफ प्रोडक्शन से बहुत नीच बिक रह है । क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है जिससे किसान के घाटे को कम्पेन्सेट किया जाए?.

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह क्वैश्चन है या थ्योरी प्रोपाउड की जा रही है । (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम : मैं कहना चाहत हूं कि गन्ने की जो कम कीमत मिलती है उसको सरकार ठीक करे । जिस वक्त गन्ने का भाव अच्छा था उस वक्त गुड़ का भाव 110 रुपये क्विंटल रह गया था और सरकार यह कहने लगी कि किसान को कम से कम कास्ट करेगा और गुड के भाव बढाने की कोशिश की लेकिन आज गुड़ का भाव 80–85 रुपये क्विंटल हो गया है । क्या सरकार इसको 110 रुपये के भाव पर लाने की कोशिश करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

कवर रामपाल सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि साढ़े 13 रुपये क्विंटल के हिसाब. से कोआप्रेटिव शूगर मिलो में गन्ना बिक रहा है । एक दूसरे सवाल के जवाब में यह बताया कि जमुना नगर शूगर मिल में साढ़े 9 रुपये क्विटल के भाव से बिक रहा है । क्या शूगर कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में यह जो डिफेंस है उसको दिलायेंगे और कीमत साढे 13 रुपये दिलाने का फैसला. करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कानूनी तौर पर जो ऐक्ट होगा वह लेंगे?

श्री हीरानन्द आर्य : साढ़े 13 रुपये क्यिंटल और साढ़े 9 रुपये क्यिंटल का जो डिफेंस है इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : कल मीटिग बुलाई गई है, बोर्ड जो फैसला लेगा उसके मुताबिक कदम उठाए जाएंगे ।

चौधर्री पौर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो पांच मिलें लगाने का प्रस्ताव है, इन में से एक मिल मेरे हलके रतिया में भी लगाने का विचार है

श्री वीरेन्द्र सिंहः अभी किसी भी जगह के लिए कैटेगरीकली कोई कमिटमैंट नहीं की जा सकती ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, 4 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट कम हो गया है, यह बड़ा सीरियस मैटर है । कल होने वाली मीटिंग अगर फेल हो जाती है, क्योंकि डिले–टैकटिक्स अख्तियार किये जाते हैं तो क्या मन्त्री महोदय फौरी ऐक्शन लेंगे ताकि यह मामला जल्दी से जल्दी हल हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कानूनी तौर पर जो ऐक्शन ले सक ते हैं, लेंगै ।

श्री मूलचन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 5 शू गर मिलों की जो रिकमेंडेशन की है वह किस किस जगह की है और हिन्द सरकार का कब जवाब आया? क्या मन्त्री महोदय कोशिश करेंगे कि हमारी स्टेट में जल्दी से जल्दी पांच शू गर मिलें आएं?

श्री वीरेन्द्र सिह : अभी सैन्ट्रल सरकार की तरफ से कोई क्लीयरैंस नहीं आई है । हम अलग अलग जगहों से शूगर मिल स्थापित करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐग्जामिन कर पे हैं अ और बातचीत चल रही है । जब हमें क्लीयरस आ जाएगी, फौरी' तौर पर हम व्योरा दे देंगे ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिन लोगों ने 2000 क्विंटल तक गन्ना बुक करवा दिया हुआ है और मिलों वाले अब नहीं ले रहे हैं, क्या उसको बिकवाने के लिए

सरकार कोई कदम उठाएगी और जो भाव बढ़ गया है उसके मुताबिक उनको कम्पन्सेट करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो लिखा हुआ गन्ना है वह जरूर लेंगे । अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे नोटिस में लाएं ।

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब, पलवल में कोआप्रेटिव शूगर मिल आज से 5 साल पहले था । हमने उस मिल के कई लाख के शेयर बिकवाये लेकिन अब कुछ नहीं है और आगे सैक्शन नहीं मिलती । क्या ये शेयर वापिस करवाए जायेंगे या जल्दी ही कोआप्रेंटिव मिल लगाने की कोशिश करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपको खतरा क्यों हो रहा है कि सैक्शन नहीं मिलेगी? हम तो पूरी कोशिश करेंगे?

Loan Advanced to Cottage Industries

***225. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the district-wise number of Industrial units to whom loan was given under the Cottage Industries Scheme from the date of its inception to date ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Cottage Industries Centres; if so, the names of the places where the aforesaid centres are likely to be opened ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सेन) :

(क) विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है (विवरणी 1)

(ख) विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है (विवरणी 2)

विवरणी 1

उद्योग विभाग हरियाणा द्वारा कोई ' कुटीर उद्योग योजना ' नहीं चलाई जा रही है । परन्तु हरियाणा प्रान्त में कुटीर उद्योगों के प्रसार के लिये उद्योग विभा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अ धीन काफी काम किया गया है । निम्न योजना ओं के अधीन जिन कुटीर उद्योगों को ऋण दिया गया उन की संख्या इस प्रकार है –

(1) स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज ऐक्ट, 1935

उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1966– 67 से 1978– 77 तक इस ऐक्ट के अधीन 1493 कुटीर औद्योगिक इकाईयो को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ।

(2) हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड

हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने 1 – 2– 1969 से 31 – 12– 77 तक 2600 कुटीर औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता दी ।

विवरणी–2

राज्य सरकार ने भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड द्वारा हरिया णा में भिन्न–भिन्न स्थानों पर प्रस्तावित 5 दरीं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी है प्रत्येक ऐसे केन्द्र में हर वर्ष 50 प्रशिक्षणथियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी । यह केन्द्र हरियाणा राज्य हथ करधा तथा हस्त शिल्प निगम द्वारा चलाये जायेंगे । यह निगम 12 प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र चला रहा है तथा चालू विल वर्ष में 3 नए बून कर एकत्रित प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने जा रह है । उपरोक्त सभी नए शिक्षन केन्द्रों के स्थान. का चयन अभी किया जाना शेष है । हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा एक बुनकर केन्द्र गांव धनाना, जिला अम्बाला में स्थापित किया गया है ।

स्वामी आदित्य वेश : स्पीकर साहब, मैंने तो सवाल छोटे छोटे उद्योग धन्धों के बारे में पूछा था लेकिन मन्त्री महोदय ने जवाब कुछ और ही दिया है ।

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह तो रिफ्लैक्शन आपके डिपार्टमैटं के 0पर है । मेरे पास तो असैम्बली सैक्रेटेरिएट ने जो सवाल भेजा है मैंने तो उसका ही जवाब देना है ।

स्वामी आदित्य वेशः मेरा यह मतलब नहीं था । मैंने तो पूछा था कि हर जिले में कितने छोटे छोटे उद्योग धन्धों को लोन दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : जो आपका सवाल था वही हमने भेजा है । उसका जवाब उन्होंने दे दिया हे । उसमें अगर कमी है तो आप बताएं ।

स्वामी आदित्य वेश : मैंने तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा था ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल अग्रेजी में इस प्रकार था –

"(a) the district-wise number of Industrial Units to whom loan was given under the Cottage Industries Scheme....

आपने काटेज इंडस्ट्रीज के नीचे लोन देने के बारे में पूछा था, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है ।

स्वामी आदित्य वेश : अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह जो नई स्कीम चल रही है जिसके अन्तर्गत गांव के छोटे छोटे उद्योग धन्धों को लोन दिया जाएगा उसके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये आप नया नोटिस दें ।

Pucca Canals

***257. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister

for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the steps taken or proposed to be taken by the Government to make Canals pucca in the Kaithal Sub-Division of Kurukshetra District ; and

(b) the time by which the Canals as referred to **in part (a)** above are likely to be completed ?

सिंचाई तथा विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) कैथल उपमंडल की नहरें जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती हैं उनको पक्का किये जाने का सर्वेक्षण तथा जांच हरियाणा राज्य के तमाम नहरों को पक्का किये जाने की स्कीम के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

(ख) यह कार्य 12 वर्ष में वर्ष 197 8— 79 से फेजड प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि पैसा सरकार लगाएगी या लोगों से लिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पैसा सरकार लगाएगी?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : अपने पास से?

श्री. वीरेन्द्र सिंह : हां, साहब ।

चौधरी ईश्वर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गुल्हा माईनर को कब पक्का किया जाएगा और कितना पैसा खर्च होगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने अभी अर्ज किया था कि सरकार का सारी नहरों, माईनर्ज और खालों को 12 साल के अन्दर अन्दर पक्का करने का प्रोग्राम है ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इनके महकमे के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है जिससे सिरसा ब्रांच को चंदाना से नरवाना तक पक्का किया जाए ताकि फ्लडज की जो कंडीशंज हैं उनका इलाज ठीक तौर से हो सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : पक्का करने की स्कीम तो हर नहर की है लेकिन कौन कौन से साल में इसका नम्बर आता है वह इस समय मैं नहीं बता सकता ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने बताया कि नहरों और खालों को फेज –वाइज पक्का किया जाएगा । क्या वे बताएंगे कि उसके लिये कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है जैसे ट्यूबवैल जहां हैं वहां खाल और नहरों को पहले पक्का किया जाएगा या जहां ट्यूबवैल नहीं हैं वहां उनको प्रायरिटी दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसके लिये अभी कोई खास क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है।

श्री हरफूल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि फर्स्ट फेज के अन्दर कौन कौन नहर और माईनर्ज लिये गए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो बहुत बड़ा सवाल है । इसके लिये तो अलग नोटिस दरकार है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहाबाद में मेरे हल्का रतिया और जाखल के एरिया में जहां नहरें लगती हैं उनको पक्का करने के लिये फर्स्ट प्रायरिटी दी जाएगी ताकि एक तो सरकार को नुक्सान न हो और दूसरे लोगों को फायदा हो?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फतेहाबाद, रतिया और जाखल का एरिया भी हरियाणा का हिस्सा है और उस सब हिस्से को हम कवर करेंगे । इस काम में फर्स्ट प्रायरिटी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, जहां बाढ़ आती है वहां सेम की बीमारी भी है । तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बाढ़ वाले इलाके में नहरों को पहले पक्का किया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस बात का ध्यान रखा जाएगा ।

श्री बलदेव तायलः क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि 12 साल के फेज्ड प्रोग्राम में प्रायरिटी किस तरह मुकरर्र

की जाएगी, नहरों को पक्का करने का क्या क्राईटेरिया होगा और कौन सी नहर पहले पक्की बनाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अभी कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है । जब कर लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि खाल और नहरें पक्की करते वक्त रेतीले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वैसे मूल प्रश्न से यह क्वैश्चन अराइज तो नहीं होता लेकिन मैं बार बार अर्ज कर चुका कोई क्राइटेरिया हूं कि इस फेज्ड प्रोग्राम के लिये अभी फिक्स नहीं किया गया है ।

चौधरी भजन लालः कुछ नहरें ऐसी हैं जहां सेम की वजह से फ्लड की तरह नहर से आधा आधा मील तक पानी खड़ा रहता है जै से फतेहाबाद ब्रांच और किशनगढ़ ब्रांच आदि । क्या मन्त्री 'महोदय बताएंगे कि ऐसी नहरों को सबसे पहले पक्का किया जाएगा?,

श्री वीरेन्द्र सिंह : फतेहाबाद ब्रांच पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाने वाला है ।

श्री जप नारायण : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जहां पर नहर भी नहीं है, खाल भी नहीं है जैसे कलानौर के कुछ

एरिया के अन्दर, वहां सरकार कोई नया रजबाहा निकालने की कृपा करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : फिलहाल तो कोई स्कीम नहीं है लेकिन यदि आप कहेंगे तो ऐग्जामिन कर लेंगे ।

Road Damaged

***246. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the steps being taken by the Government to repair those roads which were damaged/destroyed during the recent floods in District Rohtak, particularly, in Hassangarh Constituency ; and

(b) the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) The work regarding restoration & repairs of damages on roads caused by recent floods in Rohtak District including Hassangarh Constituency has been taken in hand. These include necessary repairs including raising, strengthening and rebuilding of the roads where necessary.

(b) Efforts are being made to complete it at the earliest possible. This however depends upon the availability of funds.

चौधरी सन्त कंवर : क्या मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे कि इन मैरून्ड गांवों को सड़कों से कब तक जोड़ दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सारी सड्कों को एकदम ठीक करने के लिए तो बहुत पैसा दरकार है. फिलहाल हमारे पास इतना पै सा नहीं है परन्तु फिर भी कोशिश की जायेगी कि जो मैरून्ड गांव हैं उनको जल्दी से सड़कों से जोडा जाये ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मिनिस्टर महोदय बतायेंगे कि पिछली सरकार ने जो केवल कागजों में सड़कें दिखा रखी हैं, उनके खिलाफ भी कुछ ऐक्शन होगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कैथल से नरवाना और खनौरी से नरवाना जो सड़के मुकम्मल टू टी पडी हैं और पि छले चार महीने के दौरान उनकी '' रिपेयर का कोई भी काम नहीं हुआ है, इनको मुकम्मल करने में कितना टाईम लगेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप मेरे पास आ जाना तब बता दूं गा । (हंसी)

श्री जय नारायण : जो सडके सन 1972 में मंजूर हुई थीं जैसे रोहतक से काहनौर और बनियानी से गढ़ी, वे आज तक

अधूरी पड़ी हुई हैं तो मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता है कि वे कब तक पूरी हने जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सारे हरियाणा की एक एक सड़क का व्यौरा देना तो बडा मुश्किल है

L.I.G.H./M.I.G.H. Schemes

***245. Chaudhri Khurshid Ahmed:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state-

(a) the district-wise total amount of loan demanded by each district in Haryana under LIGH/MIGH Scheme, separately during the last three years ;

(b) the district-wise amount sanctioned by the Government under each scheme togetherwith the rate of interest thereon during the period as referred to in part (a) above ;

(c) the rate of the penal interest togetherwith the period for which it is charged in case of default by a loanee for an instalment ;

(d) whether the penal interest so accrued has been given to State Government or the L.I.C. of India ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(ए), (बी), (सी) तथा (डी) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

विवरणी

(ए) गत 3 वर्षों में लाई/माई स्कीमज के लिये जिलेवार लोन की मांग निम्न प्रकार से है –

क्रम सं–	जिले/सम्पदा कार्यालय का नाम	1974–75		1975–76		1978–77	
		लाई	माई	लाई	माई	लाई	माई
		(राशि लाखों में)					
1	अम्बाला	3.00	1.00	12.00	7.00	11.00	7.00
2	करनाल	2.00	0.50	4.00	1.00	2.00	1.00
3	रोहतक	8.00	1.00	5.00	1.50	7.00	2.00
4	हिसार	50.00	20.00	25.00	10.00	25.00	10.00
5	गुडगावां	13.00	14.50	25.00	13.00	9.00	16.00
6	जीन्द	3.00	(लाई/माई)	2.00	1.00	2.00	1.00
7	नारनौल	2.00	1.00	3.00	0.50	2.00	1.00
8	सोनीपत	4.00	1.00	2.00	0.50	2.00	0.70
9	कुरुक्षेत्र	2.50	0.70	5.50	1.30	5.00	2.00

10	भिवानी	57.86	9.80	60.00	10.00	50.00	5.00
11	सिरसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.00	3. 00

(बी) गत 3 वर्षों, में लाई/माई स्कीमज के अधीन जितनी राशि उपायुक्तों को ऐलोकेट की, वह निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं–	जिले/सम्पदा कार्यालय का नाम	1974–75		1975–76		1978–77	
		लाई	माई	लाई	माई	लाई	माई
		(राशि लाखों में)					
1	अम्बाला	2.00	0.50	4.00	1.50	3.725	4.275
2	करनाल	1.00	0.50	1.00	0.50	2.00	1.00
3	रोहतक	1.50	0-.50	1.50	0.50	3.50	0.70
4	हिसार	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	1.00
5	गुडगावां	6.50	3.50	6.50	3.50	5.50	3.80

6	जीन्द	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.80
7	नारनौल	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.70
8	सोनीपत	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.70
9	कुरुक्षेत्र	2.00	0.50	2.00	0.50	3.00	1.00
10	भिवानी	6.00	1.00	6.00	1.00	4.50	1.30
11	सिरसा	शून्य	शून्य	1.50	0.50	2.50	1.00

गत तीन वर्षो में व्याज की दर निम्न प्रकार से है :–

1974–75– 10.75 प्रतिशत, 197 5–76– 11 प्रतिशत, 1976–77 11.50 प्रतिशत (इन दरों में 23– प्रतिशत की छूट भी शामिल है जोकि ऋणियों को समय पर किश्तें अदा करने के फलस्वरूप मिलती हैं)

(सी) यदि मूलधन तथा व्याज की किश्त समय पर अदा की जाए तो व्याज का निर्धारित दर 2.50 प्रतिशत कम कर दिया जाता है । यदि किश्त समय पर अदा ना की जाये तो उस सुरत में निर्धारित ब्याज की दर चार्ज की जायेगी और लोनी को 2.50

प्रतिशत की छूट जोकि समय पर किश्त की अदायगी के फलस्वरूप उसे मिलनी थी, का लाभ नहीं मिलेगा ।

(डी) जो भी व्याज चार्ज कियां' जाता' है, वह राज्य सरकार के कोष में जमा होता है ।

चौधरी खुरशीद अहमद.': जो सूची सदन की पटल पर रखी गयी है उसको मैंने देखा है । उसके पार्ट ''सी'' के जवाब में मुझे यह बताया है कि रेट आफ इट्रैस्ट अढ़ाई परसैन्ट काट दिया जाता हैं । मैं. मिनिस्टर महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि यह अढाई परसैन्ट कितने अमाउन्ट पर काटा जाता है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं माननीय. सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि अढाई परसैन्ट की जो व्यवस्था है वह ऐसे नहीं है । व्यवस्था ऐसी है कि एल.आई.सी. यानी जिसकी तरफ से लोन लेते' हैं उससे यह साढ़े तीन. परसैन्ट बढ़ा कर व्यवस्था की जाती है । अगर कोई व्यक्ति समय पर किस्त की अदायगी नहीं करे तो उसको अढाई परसैन्ट पूरा का पूरा देना पड़ता है । अगर समय पर राशि की अदायगी कर दे तो उसको अढाई परसैन्ट नहीं देना पड़ता । उदाहरण के तौर पर सवा सात परसैन्ट पर लोन दिया गया । वह समय पर किस्त की अदायगी करेगा तो सवा सात परसैन्ट देगा और अगर दो दिन बाद भी अदा करेगा तो पौने ग्यारह परसैन्ट अदा करेगा । व्यवस्था ऐसी हुई कि एक परसैन्ट तो राज्य सरकार के चार्जिज हैं और अढाई परसैन्ट पीनल इन्ट्रेस्ट

है वैसे तो रिबेट है परंन्तु नाम के तौर परं पीनल इन्ट्रेस्ट कर दिया है ।

चौधरी खुरशीद' अहमद : यह रिवेट कितने अमाउन्ट पर है? इसको आप. पीनल इन्ट्रैस्ट के तौर पर लेते हैं या पैनेलटी के तौर पर अढाई परसैन्ट लेते हैं । एक दिन किस्त देने में देर हो जाये तो कितने अमाउन्ट पर लेते हैं और कितने सालों पर लेते हैं या किस्स पर ही अढाई 'परसैन्ट लिया जाता है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सदस्य को फिर बता देती हूं कि यह अढाई परसैन्ट प्रति किस्त पर लिया जाता है, अगर वह समय पर किस्त न अदा करे । जहां तर्क कितने अमाउन्ट का सम्बन्ध है, जो अमा0ट उसको दिया गया है वह अमाउन्ट 25 किस्तों में लिया जाता है । हर किस्त एकं साल के बाद ली जाती है । समय पर किस्त दी है तो अढाई परसै न्ट का रिबेट दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपकी समझ में आ गया होगा । (हंसी)

चौधरी खुरशीद अहमद : उस प्वायंट को टच तो किया लेकिन सवाल का जवाब आया नहीं । (हंसी) मेन प्वायंट तो यह है कि आप कहती हैं कि. किस्त पर अढाई पर रैन्ट ज्यादा व्याज लिया जाता है । अनुभव यह है किं किस्त 250 हो तो पीनल इन्ट्रेस्ट 300 रुपये हो जाता है । यह किस्त का हिसाब है । हो

सकता है यह टोटल अमाउन्ट पर लिया जाता हो और टोटल पीरियड के लिए लगता हो और यह भी हो सकता है कि 25 साल तक लगातार लगता हो ।

श्रीमती सुषमा स्वराजः व्यवस्था ऐसी है कि हर किस्त पर लगता है । मैं तफसील में फिर बता देती हूं । जैसे 1800 रुपये की राशि है उसको 25 किस्तों में डिवाइड किया जायेगा और पहली किस्त एक साल के बाद अदा करनी होगी । समय पर जो किस्त नहीं देगा या दो महीने तक किस्त नहीं देगा तो दो महीनों की किस्तो का जो अमाउन्ट बनता है उस पर अढाई परसैन्ट लिया जायेगा वह तमाम अमाउन्ट पर नही लगता है । आपके नोटिस में कोई ऐसी बात है तो उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : मैं राज्य सरकार के सामने अपनी मुश्किल रख रहा हू ।

श्री अध्यक्ष : आप अकेले ही इसमें इन्ट्रैसटिड हैं । इसलिए आप मन्त्री महोदया के पास जा कर इस बारे में डिसकस कर लें । (हंसी)

चौधरी खुरशीद अहमद : हरियाणा की जनता जो लाई/माई स्कीम के तहत लोन लेती है उसके सारे अमाउन्ट पर इन्ट्रैस्ट लिया जाता है । ओपीनियन यहीं है कि जो भी किस्त बनती है उस पर अढाई परसैन्ट लिया जाता है । कहने का मत–

लब यह है कि पूरे अमाउन्ट पर लेते हैं यानी जितना अमाउन्ट लेते हैं पूरी राशि पर लगता है वरना यह कैसे हो सकता है कि 250 रुपये किस्त हो और पीनल इन्ट्रैस्ट 300 रुपये हो जाये । मैं मिनिस्टर साहिबा से दरखास्त करूंगा कि वे इसे देख लें ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर. साहब, इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा है । आप दोनों को बुलाकर समझायें, तब समझ में आयेगा । (हंसी)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जिस तरह मैंने तफसील में बताया है उससे समझ में आ जाना चाहिए । इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं रही है । अगर आपको फिर भी शंका है तो मैं कह रही हूं कि राज्य सरकार से पिछले तीन वर्षो में कोई गलती हुई है तो आप हमारे नोटिस में लायें, ऐक्शन लेंगे । केवल एक किस्त के डिफाल्ट पर अढाई परसैन्ट देना पड़ता है तमाम अमाउन्ट पर अढाई परसैन्ट नही लगता है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब

Mr. Speaker : I think, I have given you the suggestion. Next question please.

Panchayats Accounts Audited in the State

***267. Chaudhri Har Swarup Bura : Will the** Minister for Development and Panchayats be pleased to state the number of Panchayats in the State, the accounts of which were audited during the year 1977-78 togetherwith the number of cases of embezzlement detected and the action taken or proposed to be

taken by the Government thereon ?

विकास एवं पचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह) : स्थानीय लेखा निधि विभाग ने वर्ष 197 7– 78 में 764 पंचायतों का आडिट किया और गबनों के 198 केस बताए गए हैं । पंचायत विभाग में 466 पंचायतों के आडिट नोट प्राप्त हुए हैं इनमें से 137 गबन के केस हैं । अतिरिक्त सामान्य सहायको!खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को हिदायते दे दी गई हैं कि इन गबनों के बारे में उचित कार्यवाही करें ।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि ऐम्बैजलमैंट के कितने केसिज पैंडिंग हैं वितने पूरे हो चुके हैं और जो पूरे हो चुके ? हैं उन पर क्या ऐक्शन लिया गया हे?

सरदार तारा सिंह : 137 केसिज को फरवरी में भेजा है । अभी 'तक रिपोर्ट नहीं आयी है ।

चौधरी लाल सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि गबन के केसिज में कांग्रेसी सरपंचिज कितने पकड़े गये है और उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें वे गिरफ्तार होंगे या– नही?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

चौधरी सन्त कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं' कि जिन सरपंचों या पंचों के

केसिज पैंडिंग हैं और चुनाव होने वाले हैं तो क्या इन चुनावों के होने से पहले उनका फैसला करवा देंगे या वे चुनाव. ही नहीं लड़ सकेंगे'?

सरदार तारा सिंह : हमारे लिए यह तो मुश्किल है क्योंकि हम इलैक्शन जल्दी करवा रहे हैं । मुकदमों का एक या डेढ़ महीने में फैसला होना मुश्किल है लेकिन इन मुकदमों के कारण कोई रुकावट नहीं होगी कि वह इलैक्शन में खड़ा न हो सके । सिर्फ उस पर केस बन जाने से उसके इलैक्शन में खडा होने में कोई रुकावट नहीं होगी ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इलैक्शन कब कराये जा रहे हैं?

सरदार तारा सिंह : यह जल्दी ही फैसला करने जा रहे हैं ।

श्री भले राम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने यह बताया कि पंचायतों के चुनाव जल्दी ही करवाने वाले हैं, इसमें सरपंचों के चुनाव डायरैक्ट होंगे या इनडायरैक्ट?

सरदार तारा सिंहः यह फैसला भी अभी हम करने वाले हैं । अभी हुआ नहीं है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जिन सरपंचों के खिलाफ केसिज चल रहे हैं, वे भी उस इलैक्शन में खडे हो सकेंगे, यानी उनके खडे होने मेंकोई रुकावट नहीं है, लेकिन जो लोग खड़े हो जायेंगे और इलैक्शन में जीत जायेंगे, क्या बाकायदा उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा या नहीं?

सरदार तारा सिंह : उनके खिलाफ बाकायादा ऐक्शन लिया जायेगा ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ गबन के3– 4 लाख रुपये तक के केसिज हैं और वे डी0 सी0, एस0 पी0 वगैरह से मिलकर केस वापिस करवाये जा रहे हैं, क्या वे केस वापिस ले लिये जायेंगे या उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा?

सरदार तारासिंह : कोई भी केस वापिस नहीं होगा । उनके खिलाफ बाकायदा ऐक्शन लिया जायेगा ।

श्री मूल चन्द मंगला : इतने ज्यादा गबन के केसिज को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस किस्म के कोई स्टैप्स लेने पर विचार कर रही–है जिससे कि ये दोबारा न हो सक.

सरदार तारा सिंह : सरकार हमेशा इस बात के लिए पूरी कोशिश करती रहती हैं और करती रहेगी । लेकिन करने वाले तो आपको पता है बहुत होशियार होते हैं, वे गबन करेंगे और हम उसको पकडेंगे ।

Paju Minor

***235. Chaudhri Ram Kishan : Will the Minister for** Irrigation and Power be pleased to state the time by which the extension of Paju Minor upto RD No. 28900 is likely to be **completed in Safidon** Constituency ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) : The Project Estimate for extension of Paju Minor from RD 21214 to RD 28900 is under consideration of the Government for sanction.

Supply of Electricity

***281. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of hours for which electricity is supplied to the farmers from Ist January, 1978 to-date ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Power to Agricultural tubewells was given from 10 hours to 13 hours daily during the period from 1st January, 1978 to 20th January, 1978 and from twelve hours to 18 hours from 21st, January, 1978 to-date, depending upon the availability of power on a particular day.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब चुंकि फसल पकने के नजदीक आ रही है और उसे अब ज्यादा पानी की

जरूरत पड़ेगी, जितने पानी की उसे जरूरत पड़ेगी उतना पानी देने के लिये बिजली दी जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और हम कोशिश यह करेंगे कि इतनी ही बिजली तब तक मिलती रहैं?

चौधरी पीर चन्द : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कि उन्होंने यह बताया है कि खेती के लिये बिजली दी जा रही है लेकिन पिछले साल फैक्टरियों को बन्द करके खेती के लिये बिजली दी गयी थी, क्या इस साल तो ऐसा कोई नौबत नहीं आयेगी कि फैक्ट्रियां बन्द करके हमें उन्हें बिजली देनी पड़े जिससे कि स्टेट' को और फैक्टरियों में काम करने वालों को भी नुक्सान हो?

श्री बीरेन्द्र सिंह : हम तो भगवान से दुआ ही करे सकते. हैं कि मशीनरी हमारी ' ठीक चलती रहे और किसी किस्म की अड़चनें इस रास्ते में न आये।

श्री शमशेर सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के कोई ऐसी तजवीज जेरे गौर है कि यहां पर फलैट रेट सिस्टम लागू किया जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जी हां, अन्डर कन्सीडेरशन है ।

सरदार सुखदेव सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जैसे कि पंजाब मे फलैट रेट सिस्टम चालू उसी तरह से यहां पर भी यह सिस्टम लागू करने की कोई बात अन्डर कन्सीडेरशान है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं इसका जवाब दे चुका है कि है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पिछली सरकार यह एलान करती थी कि सब गांवों में बिजली पहुंच गयी है और दरअसल कुछ गांवों में बिजली पहुंची नहीं है, सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जनता ने उन्हें उठाकर बाहर फैक दिया ।

`A' Class Office of Food and Supplies Department

***296. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state whether the Department of Food and Supplies was declared 'A' Class Office, if so, the reasons for not implementing the said orders so far ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा): खाद्य एवं पूर्ति विभाग का मुख्यालय 'ए' श्रेणी का घोषित किया गया या । इस फैसले को अब तक इसलिए कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि मुख्यालय तथा 'बी' क्लास क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ की संयुक्त वरिष्ठता होने के कारण इनका विभाजन किया जाना था । विभाजन करने के बारे में जो नीति अपनाई जानी थी,

विचाराधीन रही । इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाचुका है तथा अमले की प्रोविजनल एलोकेशन की सूचियां तैयार कर दी गई हैं और इन्हें शीघ्र जारी कर दिया जाएगा । वास्तव में तो इन्हें अब जारी किया जा चुका है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मैं बजीर साहिब से यह पूछना चाहता हू कि यह कब डिक्लेयर किया गया था और यह डिसीजन कब इम्पलीमैंट किया गया है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : सर, यह 1 अप्रैल, 1976 को डिक्लेयर हुआ था और 9 फरवरी,. 1976 को ऐप्रूवल होकर हमारे पास आया और उसके बाद सारी सूची तैयार करके इसे अब जारी किया जा चुका है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस तारीख को यह डिक्लेयर किया गया था यानी किस साल यह डिसिजन डिक्लेयर किया गया था और कब लागू किया गया था?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि यह फैसला 9 फरवरी, 1978 के बाद इम्पलीमेंट किया गया है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि यह फैसला डिक्लेयर तो बहुत पहने हो चुहा होगा, वह कब हुआ था?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : वैसे तो यह बता चुकी हूं लेकिन फिर भी मैं पुनरू बता देती हूं कि यह डिक्लेयर 1 अप्रैल, 1976 को किया गया था । जनता सरकार आने के बाद हमने मीटिंग की और 28 नवम्बर, 1977 को सी0एम0 साहब को यह केस ऐप्रूवल के लिये भेजा गया । वहां से 9 फरवरी, 1978 को वापस आया और अब हमने इसको इम्पलीमैंट कर दिया है ।

Officers of Cooperative Department Visited Foreign Countries

***319. Shri Tek Rani :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of Officers of Cooperative Department who went on tour to foreign countries on Government expenses during the last five years ;

(b) the amount spent by the Government on them, separately ;

(c) the purpose for which these officers were sent to foreign countries; and

(d) the nature of the benefit reached the Government from the foreign tours of the said officers ?

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) शून्य ।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सी) उपरोक्तानुसार ।

(डी) उपरोक्तानुसार ।

Mechanical Workers

***313. Shri Mange Ram Gupta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of Mechanical Workers in the Public Works Department who have 15 years service at their credit and have not been made regular together with the reasons therefor ; and

(b) the number of workers out of those referred to in part (a) above who were made regular in 1974 and have not been given regular grades so far ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) :

1. P.W.D. (Buildings & Roads)

(a) 37. These officials were not made regular as they had not completed 5 years in the post held by them in 1972.

(b) None. The rest of the question does not arise.

2. P.W.D. (Public Health)

(a) 34 Mechanical workers in the P.W.D. (Public Health Branch) having 15 years service at their credit have not been regular so far, because they were not having 5 years' service on the post held by them in 1974 when 450 posts of Mechanical workers were converted into regular ones.

(b) 137 Mechanical workers having 15 years service at their credit were made regular in 1974 but have not been given

regular grades so far.

3. P.W.D.(Irrigation)

(a) Nil.

(b) 124 persons continued to draw workcharged Scales of Pay as no corresponding regular Scales exist for such categories.

श्री मांगे राम गुप्ता : यह जो मैकेनिकल कर्मचारी 137 आपने 1974 में रैगुलर किये थे, उनको रैगुलर ग्रेड क्यों नहीं दिया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने ध्यान नहीं दिया, आप पूछना क्या चाहते हैं?

श्री मांगे राम गुप्ता : यह जो 137 मैकेनिकल कर्मचारी आपने सन् 1974 में रैगुलर किये थे, उनको अभी तक भी रैगुलर ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिस वक्त यह फैसला पिछली सरकार ने किया तो उस वक्त यह क्हा गया था कि इनको तो रैगुलेराइज कर दिया जाये लेकिन इनको ग्रेडज न दिये जायें ।

श्री मूल चन्द जैन : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उन आदमियों के मुकाबले में रैगुलर पोस्ट एं नहीं हैं, तो इन कर्मचारियों का तो कोई दोष नहीं है, क्या इनको रैगुलर ग्रेड देने पर विचार किया जाये गा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मौजूदा सरकार, इस पर विचार कर रही है ।

National Permit of Trucks

***318. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of National Permits of trucks issued from 1st April, 1977 to-date togetherwith the criteria adopted for issuing permits ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : मई 1977 में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, अम्बाला तथा हिसार द्वारा 100 नेशनल परमिट आबंटित किये गये थे । यह परमिट भारत सरकार की निम्नलिखित नीति के आधार पर आबंटित किये गये –

1. 50 प्रतिशत परमिट उनको प्रदान किये गये जिनके पास पहले अन्तर्राज्य परमिट थे ।

2. 25 प्रतिशत परिमट उनको प्रदान किये गये जिनके पास केवल अपने ही राज्य के परिचालन हेतु परमिट थे ।

3. 25 प्रतिशत परमिट उन व्यक्तियों को जिनमें भूतपूर्व सैनिकों एवं बेरोजगार चालक भी शामिल थे । इस अन्तिम श्रेणी के लिये इन 25 प्रतिशत नेशनल परमिट में से 10 प्रतिशत परमिट भूतपूर्व सैनिकों के लिये तथा 15 प्रतिशत नये उद्यमकर्ताओं एवं प्रशिक्षित बेरोजगार चालकों के लिये रखा जाए ।

श्री भले राम : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सेक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल परमिटों में हरिजनों के लिए कोई सैपेरेट कोटा रखा हुआ है?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि जो नेशनल परमिट दिए जा रहे हैं वें सिर्फ मोनोपोलिस्टस तथा जिनके पास अच्छे साधन हैं उन्हीं को दिए जा रहे हैं । ये परमिट हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों तथा जो बेरोजगार हैं उनको दिए जाने चाहिएं । दिल्ली में जब डिवैल्पमैंट कौन्सिल की मीटिंग हुई और वहां पर सारे प्रान्तों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्ज आए थे, वहां पर यह फैसला हुआ कि इन परमिटों में हरिजनों के लिए अलग कोटा किया जाना जरूरी है ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तांराकित प्रश्नों के लिखित उतर

Security Deposts

***323. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount of security deposits lying with the H.S.E.B. of electricity consumers for industries, agriculture, commercial and domestic purpose separately in the State to-date ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give interest on the security deposits of the consumers in the State ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : :

(अ) श्रेणीवार कुल जमानत धनराशि का व्यौरा उपमंडल/उपकार्यालय स्तर पर रखा जाता है । इस लिए यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल जमानत धनराशि 31 दिसम्बर, 1977 को 8. 56 करोड़ रुपए थी ।

(ब) 50 रुपए तथा उससे अधिक नगद जमानत धन राशि पर पहले ही 9—4—1965 से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है

Shamlat Land

***332. Shri Des Raj :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the district-wise and block-wise total area of Shamlat land which vests in the Gram Panchayats in the State as on 31st December, 1977 ?

***Mr. Speaker:** Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The Communication received from the Minister concerned is as under :-

Tara Singh D.O. No. S—I (DP14)-78/9019

Development Minister, Dated, Chandigarh the 27-2-78

Haryana.

Subject ;—Starred Assembly question No. 332.

My Dear

The Starred Assembly Question No. 332 asked by Shri Des Raj, M.L.A: has been fixed for answer on 28-2-78. The reply to the Assembly Questior is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners/ Block Development and Panchayat Officers.

I shall be gratefull if you kindly extend the time. for answering the question under proviso (2) of Rule 41 (II) of the Rules of Procedure and conduct of business in the Punjab Legislature Assembly 1950. This question may be included in the list of questions for any date after 31st March, 1978.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Tara Singh)

Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Pay Scales of Officers of Civil Service

***353. Dr. Brij Mohan Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the pay scales of the Officers of Civil Service have recently been revised ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay scales of Engineers also; if not, the reasons therefor ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) जी हों, 1 जनवरी, 1977 से ।

(ख) कुछ प्रस्ताव. प्राप्त हुये थे, परन्तु इन्जीनियरज के वेतनमानों में बढ़ौतरी के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा, जब राज्य के अन्य सभी सेवाओं के वेतनमानों को बढ़ाने के सामान्य प्रश्न पर विचार होगा ।

Pay Scales of Agriculture Development Officers

***350. Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay scales of Agriculture Development Officers in the State ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

Embezzlement Cases in the Treasuries

***194. Master Jogi Ram :** Will the Minister for Finance

be pleased to state—

(a) the total number of embezzlement cases detected in the Treasuries in the State during the last five years together with the total amount involved in these cases ; and

(b) the action taken against the officers responsible for embezzlement cases as referred to in part (a) above ?

Mr. Speaker : *Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned is as under-

अ0 स0 पत्र क्र 0 4— 1—7 8—एफ0 ए0

सतबीर सिंह मलिक वित्त मन्त्री, हरियाणा,

दिनांक चण्डीगढ 24/26—2—78

प्रिय श्री रण सिंह जी

विधान सभा तारांकित प्रश्न नं. 194 जो 28 फरवरी, 1978 को सूची में श्री जोगी राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम दर्ज है के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि उक्त प्रश्न का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ है । इस प्रश्न के बारे में सूचना अलग—अलग विभागों से एकत्रित की जानी है जिसको एकत्रित करने में अभी कुछ और समय लगेगा अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 दिन का समय और प्रदान किया जाए ।

आपका

हस्ता

(सतबीर सिंह मलिक)

श्री रणसिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ ।

अतारांकित प्रश्न एवं उतर

Pass Percentage in Middle, High and Higher Secondary

79. Chaudhri Har Swarup Bura : Will the Minister for Education be pleased to state the pass percentage in Middle, High and Higher Secondary School Examinations during the last 5 years of Government Schools situated in rural and urban areas separately ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है –

ग्रामीण राजकीय विद्यालयों की सफल प्रतिशतता

क्रमांक	वर्ष	मिडल	मैट्रिक	उच्चतर

				माध्यमिक
1.	1973	84.49	44.6	31.2
2 .	1974	50.82	71.3	42.7
3 .	1975	57.16	28.2	14.0
4 .	1976	18.29	30.3	30.0
5 .	1977	42.37	34.4	45.7

शहरी राजकीय विद्यालयों की सफल प्रतिशतता

क्रमांक	वर्ष	मिडल	मैट्रिक	उच्चतर माध्यमिक
1 .	1973	84.49	44.5	44.5
2 .	1974	65.72	73.4	58.9
3 .	1975	58.17	31.3	24.5
4 .	1976	18.25	37.8	37.2
5 .	1977	44.37	39.3	51.6

Pay Scales of the Teachers

37. **Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has taken any decision to raise the pay scales and to give an opportunity to teach to the higher classes to those teachers who have improved their educational qualifications while teaching in Primary Schools, if so, the details thereof

togetherwith the time by which it is likely to be implemented ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव रामसिंह) : 1853 अध्यापकों में से 904 अध्यापकों को जिन्होंने प्राईमरी स्कूलों में पढ़ाते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा ली है, मास्टर/मिस्ट्रैस के पदों के विरुद्ध समायोजित कर दिया गया है । उन्हे उच्च कक्षाओं को पढाने का अवसर दे दिया गया है । शेष 749 अध्यापकों को जैसे ही रिक्तियां उपलब्ध होंगी, समायोजित कर दिया जाएगा ।

Educational Formula of 10+2+3

38. **Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to implement the 10+2+3 education formula in the State; if not, the reasons there for ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव रामसिंह) : जी हां ।

Yoga Education

39. **Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the Yoga Education in the State; if so, when and from which class ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव रामसिंह) : जी नहीं । योगा का प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रदान किया जा रहा है ।

Promoting Hindi Language

40. **Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to further promote & spread the Hindi Language; and

(b) if so, the details of the said scheme and the date from which it is likely to be introduced ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव रामसिंह) :

(क) कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Jui Canal

61. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of days for which the water was released in Jui Canal from first of July, 1977 to-date together with the month-wise and date-wise quantum of water released ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Water was released for 126 days in Jui Canal from 1st July, 1977 to 15th February, 1978. Statement showing the month-wise and date-wise quantum of water released is placed on the table of the House.

Statement showing daily/monthly quantum of water released at Head Jui Feeder for Jui Canal System from 1-7-77 to 15-2-1978 (in cusecs).

Date	July 1977	August 1977	Sept. 1977	October 1977	Nov. 1977	Dec., 1977	Jan. 1978	Feb. 1978	Re-marks
1	251	—	129	284	98	225	—	267	
2	234	—	229	269	—	—	—	252	
3	243	—	243	269	—	—	166	260	
4	264	—	195	303	—	—	143	-	
5	278	—	269	299	—	—	143	-	
6	267	—	278	307	—	—	306	-	
7	234	—	278	303	245	—	320	-	
8	252	—	247	337	185	—	338	-	
9	252	—	211	333	217	—	312	-	
10	204	—	129	337	335	239	33	-	
11	299	—	121	309	308	293	—	-	
12	42	—	121	341	323	67	—	-	
13	—	—	167	337	326	—	347	-	
14	—	—	191	333	326	—	144	-	
15	—	—	—	337	326	NT	—	—	
16	—	—	—	333	326	NT	—	-	
17	—	—	—	333	326	NT	—	-	

18	—	—	—	341	326	94		-	
19	—	—	—	337	326	104	—	-	
20	—	—	—	337	326	199	—	-	
21	—	—	—	337	327	199	—	--	
22	—	—	—	269	327	199	—	-	
23	179	—	—	172	327	204	—	-	
24	99	—	199	179	335	176	—	-	
25	104	—		283	289	—	—	-	
26	42	—	267	140	276	—	—	-	
27	78	198	237	166	176	—	338	—	
28	—	137	269	—	299	—	259	—	
29	—	129	295	—	239		305	-	
30	43	137	265	415	192	—	329	-	
31		149		173	—	—	349	—	
Total	3365	750	4340	8513	7106	1999	3832		779-30684 Cs. days.
Quantum of water released	18	5	20	29	25	11	15		3-126 days.

in cs.
days
Total No.
of days
for which
the water
was
released.

Loharu Canal

62. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of days for which the water was released in Loharu Canal after the present Government has assumed office togetherwith the month-wise and date-wise quantum of water so released ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Water was released for 149 days in the Loharu Canal from 1st July, 1977 to 15th February, 1978. Statement showing the month-wise and date-wise quantum of water released is placed on the table of the House.

Statement showing daily 'monthly quantum of water released in Loharu Feeder for Loharu Canal System from July 1977 to 15 February, 1978 (in cases)

Date	July 1977	August 1977	Sept. 1977	Oct. 1977	Nov. 1977	Dec. 1977	January 1978	Feb. 1978	Remarks
1	—	—	325	382	115	—	502	—	

2	—	—	325	382	63	—	502	-
3	—	200	310	354	48	—	471	-
4	—	200	325	300	34	135	471	-
5	—	200	350	300	—	382	471	-
6	—	345	325	382	—	382	471	-
7	—	503	325	471	—	382	326	-
8	—	500	325	471	—	441	326	-
9	—	500	350	471	34	441	354	-
10	—	600	400	326	34	441	240	-
11	—	500	300	300	63	382	240	-
12	—	500	280	300	97	135	—	-
13	—	500	280	300	79	97	—	-
14	—	500	280	248	48	63	—	-
15	—	500	300	200	34	97	—	-
16	—	500	290	200	34	135	—	-
17	—	425	290	177	34	382	—	-
18	—	400	350	177	34	382	—	-
19	—	400	350	177	79	354	—	-
20	—	400	350	156	160	411	—	

21	—	375	500	135	79	534	—	-
22	—	375	566	115	48	534	—	—
23	—	375	502	115	22	441	—	-
24	—	375	560	115	14	382	—	-
25	—	375	500	115	—	382	—	-
26		345	600	79	—	382	—	-
27	—	350	600	48	—	382	—	-
28	—	325	632	48	—	382		-
29	—	325	600	48	—	502	—	-
30	—	325	600	45	—	502	—	—
31	—	325	—	115	—	471	—	-
Total Quantum of water release during the month (in cusec days)	1	11543	12090	7052	1153	9936	4374	46198 days
No. of days for which the		29	30	31	20	28	11	149 days

water
was
released

Head Offices of Education Board

63. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the Head Offices of Education Board already started at Bhiwani has been stopped; if so, the reasons therefor ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव रामसिंह) : जी हां । फिलहाल, सरकार ने शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय चण्डीगढ में ही रखने का निर्णय लिया है ।

Chief Commissioner U.T. Chandigarh

64. Shri Surrender Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Chief Minister Haryana has agreed that an Officer of Punjab Cadre can be posted as the Chief Commissioner of Union Territory of Chandigarh; if so, the reasons therefor ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : जी हां । यह पंजाब सरकार के प्रति इस सहमति की भावना से किया गया है कि वह गृह सचिव तथा उपायुक्त को हरियाणा के अधिकारियों में से लगाए जाने पर सदैव सहमत रही है ।

Electricity Connections for Tubewells

35. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo : Will the

Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise total number of electricity connections given to the Tubewell owners after the formation of Janata Government in the State; and

(b) the district-wise number of applications which are pending at present for tubewell connections in the State ?

सिंचाई एवं बिजली मत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : (क) जनता सरकार ने 21 जून, 1977 से कार्यभार सम्भाला था । तथापि क्योंकि नलकूपों को बिजली कनैक्शन की सूचना का व्यौरा माहवार एकत्र किया जाता है अतः 1 जून, 1967 से 31 जनवरी, 1978 और 1 जुलाई, 1977 से 31 जनवरी, 1978 तक की अवधि में उर्जित नलकूपों की संख्या दी जाती है जो इस प्रकार है :—

	जिला	उर्जितं नलकूपों की संख्या	
		1— 8— 67 से 31 — 1 — 78 तक	1— 7—77 से 31— 1— 78 तक
1	अम्बाला	711	617
2	कुरुक्षेत्र	1,356	1,146
3	करनाल	2,251	1,969
4	जींद	425	339

5	रोहतक	461	384
6	सोनीपत	440	389
7	हिसार	405	328
8	भिवानी	628	568
9	गुड़गांव	1,490	1,385
10	महेन्द्रगढ	1294	1077
11	सिरसा	384	300

(ख) 31 जनवरी, 1978 को नलकूप कनैक्शनों के लिये बकाया आवेदन–पत्रो की जिलावार संख्या निम्न प्रकार है –

जिला नलकूप कनैक्शनों के लिये बकाया आवेदन–पलों की संख्या

1. अम्बाला	1,021
2., कुरुक्षेत्र	3,566
3. करनाल	4,578
4. जीन्द	558
5. रोहतक	335
6. सोनीपत	455

7. हिसार	543
8. भिवानी	135
9. गुड़गांव	342
10. महेन्द्रगढ	1,683
11. सिरसा	364
कुल जोड	13,580

Buses in Kaithal Depot

36. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of buses in Kaithal depot as on 31st December, 1977.

(b) the total number of buses out of these referred to in part (a) above declared unserviceable; and

(c) the total number of sanctioned strength of buses to Kaithal depot as on 31st December, 1977 ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) :

(क)164

(ख) शून्य

(ग) 164

Appointment of Members of State Electricity Board

53. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo : Will the Minister for Irri-

gation and Power be pleased to state whether there are any Rules, Regulations or guidlines for the appointment of Members and office bearers of the Haryana State Electricity Board ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : जी हां, बिजली बोर्ड के पद अधिकारी या सदस्यों की नियुक्ति के नियम विनियम विद्युत सप्लाई एक्ट 1948 के अध्याय–3 के भाग– 5 में दिये हुऐ हैं ।

Paper Mill at Dharuhera

72. Sathi Ayodhya Parshad : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the capital likely to be invested in the Paper Mill being set up at Dharuhera in the private sector togetherwith the time by which the production will start and the annual production capacity thereof as well as the number of persons who will get employment in it ;

(b) whether any financial aid has been given by the Central Government or State Government in the form of loan or grant to the said Mill. If so, the rate of interest thereof togetherwith the time for which the said loan has been given ; and

(c) the nature and quantity of the raw material for

the above referred Mill alongwith the name of place from where the same will be available to it ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(क) धारूहेडा में निजी क्षेत्र में दो पेपर मिल स्थापित किये जा रहे हैं जिनके नाम हैं –मै 0 सेहगल पेपरज लि0 तथा मै0 सूरी पेपरज एण्ड कैमिकल्ज प्रा0 लि0 । इस सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार से है :–

	मै 0 सहगल पेपरज लि 0			मै 0 सूरी पेपरज एंड कैमिकल्ल प्री 0 लि 0
1	अनुमानित कैपीटल आउट ले	17.40 करोड़		70. 49 लाख
2	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक क्षमता	(अ)लेखन तथा 9000 टन मुद्रण पेपर	विशिष्ट कागज जैसे इनसोलेटिड पेपर फिलटर पेपर	15000 टन
		(ब) कारबोन लैस कोपिग		1 0, 000 टन

		पेपर	
		(स) पेपर तथा–यथोपरि पेपर बोर्डस	
3	समय जब तक उत्पादन आरम्भ होना है	वर्ष 1978 के अन्त तक	मई, जून, 1978
4	जितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा	1 500 व्यक्ति	104 व्यक्ति

(ख) नहीं । भारत सरकार या राज्य सरकार ने उनको कोई ऋण नहीं दिया है । फिर भी राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को मिलने वाला 5 8, 00 0/– का केन्द्रीय इनवैस्टमैन्ट अनुदान दिया है ।

(ग) कच्चे माल की किस्म व जगह जहां से प्राप्त कच्चे माल की किस्म व जगह जहां से

किया जाएगा, वह निम्नलिखित है :—

प्राप्त किया जायेगा वह निम्नलिखित है :—

कच्चे माल की किस्म	जगह	कच्चे माल की किस्म	जगह
गेहूं स्ट्रा	हरियाणा व पंजाब	रैगज टैलर/हौजरी कटिंगज	यमुना नगर, पानीपत, रिवाडी,अमृतसर,लुधियाना देहली, गुजररात
चावल सट्रा	हरियाणा		
बगासिस	हरियाणा व पूर्व उत्तर प्रदेश की चीनी मिल से	या कोटन वेस्ट जैसे पल्ले वेस्ट, लिन्टरज डरोपिंग्ज, स्ट्रीपिग्ज इत्यादि	टैक्सटाईल मिल्ज हरियाणा, पंजाब व गुजरात
इक्लपट्स वुड	हरियाणा व हिमाचलप्रदेश	वैस्ट पेपर	दिल्ली व अन्य बड़े शहर
कोनीफे रेस वुड	हिमाचल प्रदेश		
पेपर व टैर	सारे भारत	कुल कच्चा माल जो	लगभग 3500 टनज प्रति

लर के प्रदेशों से कि उन्हे चाहिये वर्ष

कटिंगज,

हौजरी यार्न

वेस्ट

कुल कच्चा लगभग

माल जो कि 60,000 टन

उन्हें चाहिये

Iron Ore in the Mines in Tehsil Narnaul

73. Sathi Ayodhya Parshad : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether a sufficient stock of Iron ore exists in the mines in

Tehsil Narnaul ; -

(b) whether there was any proposal to set up an Iron Factory to extract pure iron from the ore available there, at the time of composite Punjab, if so, the reasons for which the said scheme was not implemented; and

(c) whether there is any scheme under consideration of the Government to set up an iron ore factory in tehsil Narnaul where the stock of iron ore is available, if so, 'the time by which the same is likely to be implemented ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) :

(क) विवरणी (अनुबन्ध–1) संलग्न है ।

(ख) विवरणी (अनुबन्ध–2) संलग्न है ।.

(ग) विवरणी (अनुबन्ध–3) संलग्न है ।

अनुबन्ध–1

हां । तहसील नारनौल में सभी कैटेंगरीज के मान्य लोहे के भण्डार की प्रमाणित कैटेगरी 4.027 मिलियन टन के रूप में गणना की गई है ।

अनुबन्ध–2

हां योजना आयोग ने यह मन्त्रणा दी है कि पूर्व स्थापित क्षमता तथा अमल में लाई जा रही क्षमताको ध्यान में रखते हुये इस प्रोजैक्ट का स्थापित किया जाना उचित नहीं होगा । भारत सरकार ने दिनांक 20 नवम्बर, 1988 को आशय पत्र (Letter of Intetant) भी रद्द कर दिया था ।

अनुबन्ध–3

हां । हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम सपंज आयरन बनाने के लिए मान्य लोहे के भण्डार को प्रयोग में लाने का विचार रखती है तथा इस उद्देश्य के लिए कच्चे माल की सपंज आयरन बनाने की अनुकूलता जानने के लिए इसकी परख करने जैसे प्राथमिक कदम उठा रही है । इस प्रोजैक्ट की तकनीकी

आर्थिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट बनाने केलिए यह निगम तकनीकी संस्थाओं जैसे :– संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मैटेलरजिक प्रयोगशाला जमशेदपुर से सम्पर्क बना रही है । फिर भी मान्य लोहे की निम्न ग्रेड की किस्म तथा इसके साथ ही बिहार तथा पश्चिमी बंगाल से कोयले का आयात करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए निगम इस प्रोजैक्ट को कम प्राथमिकता दे रही है ।

Industrial Area

Sathi Ayodhya Prashad : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare any area of district Mohindergarh as Industrial area, if so, the name of that area ;

(b) the pre-requisites for declaring an area as industrial area; and

(c) whether the area referred to in part (a) above which is going to be declared as Industrial area fulfills the pre-requisites as referred in part (b) above ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) :

(क) नहीं ।

(ख) उद्योग विभाग में ऐसे कोई नियम उपलब्ध नहीं जिसके अनुसार कोई क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सके ।

(ग) 'क' व 'ख' को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

Lime-Kiln at Narnaul

75. Sathi Ayodhya Parshad : Will the Minister for Industries be pleased to state whether any complaints have been received by the Government in regard to the setting up of lime-kiln in the Municipal area, Narnaul, If so, the action taken thereon ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : राज्य सरकार के पास इसप्रकारकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । वैसे एक शिकायत प्रयोजना अधिकारी (उद्योग) नारनौल के कार्यलय में प्राप्त हुई थी किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की गयी क्योकि यह मामला म्यूनिसिपल कमेटी नारनौल से सम्बन्धित था जिन्होंने, भट्ठों के मालिक की भट्ठी गिरा देने केलिये एक नोटिस दिया था । चुने की भट्ठी के मालिक ने उपायुक्त तथा सीनियर सब–जज, नारनौल की कचहरी से स्टे प्राप्त करने का दावा किया व सीनियर सब–जज, नारनौल ने स्टे दिया है । यह मामला कचहरी में लम्बित है ।

Persons Recruited in Thermal Power Project at Panipat and Faridabad

77. Master Jogi Ram : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the category-wise total number of persons

employed or recruited in Thermal Power Project at Panipat and Faridabad *i.e.* work-charged and regular to-date ;

(b) the category-wise number of vacancies or posts fell to the share of the persons belonging to Scheduled Castes ;

(c) the total number of persons belonging to Scheduled Castes out of those referred to in part (a) above employed or recruited; and

(d) whether there is any short-fall in the recruitment of persons belonging to Scheduled Castes; if so, the reasons therefor ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह।) :

(क) श्रेणीवार पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांट के लिए लगाये गए या भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	नियुक्ति		कार्य प्रभार	
	फरीदाबाद	पानीपत	फरीदाबाद	पानीपत
I	55	67	—	--
II	33	15	—	—
III	492	287	493	416
IV	116	69	569	664

(ख) श्रेणीकर उन पदों की संख्या, जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हिस्से पडते हैं, इस प्रकार है –

श्रेणी	नियुक्ति		कार्य प्रभार	
	फरीदाबाद	पानीपत	फरीदाबाद	पानीपत
I	—	—	—	—
II	7	3	—	—
III	98	58	99	83
IV	23	14	114	133

(ग) ऊपर (क) भाग में दर्शाए सेवा–युक्त तथा नई 3, भर्ती में से अनुसूचित जन जातियों तथा कबीलों वालों की कुल संख्या इस प्रकार है :–

श्रेणी	नियुक्ति		कार्य प्रभार	
	फरीदाबाद	पानीपत	फरीदाबाद	पानीपत
I	—	—	—	—
II	-	1	-	-
III	18	15	25	5
IV	26	8	81	34

(घ) इंनमें' कमी के कारण निम्नलिखित हैं रू– 1. कार्यप्रभार कर्मचारियों को छोड़कर फरीदाबाद तथा पानीपत थर्मल प्रोजैवटों के लिए कोई अलग से भर्ती 'अथवा सेवा युक्ति नहीं की जाती है । भर्ती तथा सेवायुक्ति सारे बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार की जाती है और इन प्रोजैक्टों पर विशेष योग्यता वाले तथा अनुभवी कर्मचारी लगाए जाते हैं । यही एक कारण है कि आवश्यकता के समय में योग्यता तथा अनुभव की कमी के कारण उनकी प्रतिशतता इन प्रोजैक्टों पर स्थिर नहीं रखी जा सकती । यह प्रतिशतता सारे बोर्ड के आधार पर देखनी होती है जिसे कि संभवतया पूर्ण रखा जाता है ।

2 बोर्ड एक मुख्य तौर पर तकनीकी संस्था है तथा सेवायुक्त–कर्मचारी तकनीकी प्रवीणता वाले हैं । जब भी किसीं श्रेणी के कर्मचारियों की हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड गरा भर्ती की जाती है तो अनुसूचित जन जाति/कबीलों को उनका पूरा कोटा देने की कोशिश की जाती है यहां तक कि इसके लिए चुनाव के माप दण्ड को भी घटा दिया जाता है । परन्तु भर्ती के समय प्रायः यह कठिनाई आती है कि योग्य व्यक्तियों की उपलब्धि मांग से कम होती है ।

3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार जो बोर्ड द्वारा भी follow की जाती है प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों की पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति तथा कबीलों के सदस्यों का आरक्षण नहीं किया जाता ।

Reservation in Promotion for the Persons belonging to Scheduled Castes

78. Master Jogi Ram : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which Haryana Government instructions regarding reservations in promtion for the persons belonging to Scheduled Castes Employees were adopted by Haryana State Electricity Board ;

(b) the number of Junior Engineers and Circle/Commercial Assistants promoted after the date of adoption of the *ibid* reservation policy to-date ;

(c) the number of vacancies or posts fell to the share of the persons belonging to Scheduled Castes Employees according to the reservation policy mentioned in part 'a' above ;

(d) the dates on which the promotions were made along with the number and names of the persons belonging to Scheduled Castes Junior Engineers and Circle/Commercial Assistants ; and

(e) whether there is any short fall in making the promotions of the persons belonging to Scheduled Castes; if so, the reasons therefor ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) These instructions were adopted by the Board on 18th July, 1973.

(b) Since adoption of above instructions 15 employees have been promoted as J.E.up-till now. In case of Circle/Commercial Assistants no promotion has been made so far since adoption of above instructions.

(c) According to the above instructions, 20 % reservation for scheduled castes employees is to be made against only newly .created posts. In case of J.E., only two new posts have been created so far after the adoption of above instructions and as such no posts fell to the share of scheduled caste employees. In case of Circle/Commercial Assistants, 5 posts have been created after the adoption of above said instructions and one post falls to the share of scheduled castes employees.

(d) In case of J.E'.s, two line superintendents belonging to the scheduled castes were promoted on the presumption that the reservation was to be considred on the total sanctioned strength of posts. The name of the employees and their date of promotion is as under :-

	Name	Date of promotion
1.	Shri Dev Raj Line Superintendent	20-5-1976
2.	Shri Charan Dass Line Superintendent	20-5-1976

In case of Circle/Commercial Assistant no promotion has been made because of a writ petition pending in High Court.

(e) There is no shortfall in promotion of employees belonging to scheduled castes. In fact, in the case of J.E.'s,

two line superintendents belonging to scheduled castes have been promoted in excess of their quota.

Unconfirmed Masters in the State

84. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of masters serving in the Education Department who have not been confirmed for more than three years and five years separately, in the State to-date ; and

(b) the reason for not confirming the masters in each case as referred to in part (a) above ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) शिक्षा विभाग हरियाणा में जो मास्टर/मिस्ट्रैसिज अभी तक स्थाई नहीं हुए, उनकी संख्या निम्न प्रकार है –

तीन वर्ष से अधिक	पांच वर्ष सेअधिक
1,878	1,919

(ख) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा ।

Pension and Gratuity Cases

85. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of pension and gratuity cases of the Education Department pending for more than two years and five years in the State to-date ; and

(b) the casewise reasons for not clearing and deciding the cases as referred to in para (a) above ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव रामसिंह) :

(ए) (1) दो वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम पुराने लम्बित पैशन मामले ।

राज्य संवर्ग	8
प्रान्तीयकृत संवर्ग	5

(2) पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित पैशन मामले

राज्य संवर्ग	––
प्रान्तीयकृत संवर्ग	25

(व) इस सूचना के एकत्रित करने के लिए जो समय तथा परिश्रम लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष केस के बारे सूचना चाहे तो वह उपलब्ध की जा सकती है ।

Water Coolers

86. Rao Dalip Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the depot-wise total number of Water Coolers purchased by the Haryana Roadways in the State, to date;

(b) the total amount spent on the purchase of water coolers as referred to in part (a) above; and

(c) whether it is in the notice of the Government that most of the water coolers installed in the bus stands were not in working order during the summer season ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क)	अम्बाला	5
	चण्डीगढ	1
	रोहतक	5
	हिसार	5
	गुडगावां	4
	करनाल	3
	भिवानी	1
	रिवाडी	1

(ख) लगभग रुपये 1, 7 5, 000

(ग) इसमें कोई सन्देह नहीं कि गर्मी की ऋतु में कुछ वाटर कूलरज खराब रहे हैं । परन्तु सभी बस–स्टैण्डों पर पानी

पीने के लिये उचित प्रबन्ध कर दिया था । इन वाटर कूलरज खराब रहने का मुख्य कारण यह था बिजली की कमी थी और बिजली कम वोल्टेज पर उपलब्ध होती थी ।

Subsidy for the Purchase of Fodder

87. Rao Dalip Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district-wise total amount given as subsidy for the purchase of fodder in the State to-date ;

(b) whether it is in the notice of the Government that no subsidy on fodder either in cash or kind has been given in the district of Mohindergarh ; and

(c) whether any responsibility will be fixed for non-availability of subsidised fodder in the afore-said district ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) District-wise total amount of subsidy given for the purchase of fodder is as under :-

1.	Rohtak	Rs. 26.46 lacs
2.	Bhiwani	Rs. 1 .88 lacs
3.	Gurgaon	Rs. 8.67 lacs
4.	Mohindergarh	Rs. 5.60 lacs
5.	Sonepat	Rs. 10.36 lacs

6.Jind Rs. 1.68 lacs

7. Kurukshetra Rs. 0.56 lacs (But this amount was surrendered by the Deputy Commissoner on the ground that there is no necessity of fodder in the district)

(b) & (c) Question does not arise.

Allowances of Members

89. Shri Tek Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is thinking of repealing the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Act, 1977 (Haryana Act, 6 of 1977) ; and

(b) if so, when ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

15.00 बजे

Mr. Speaker : I have received notices of Call Attention Motions concerning the crash of price of Gur, Shakkar and Desi Sugar from Sarvshri Mool Chand Jain and Har Swarup Bura and Swami Aditya Vesh, M.L.As.

The motion is admitted.

Shri Mool Chand Jain may please read his motion.

Shri Mool Chand Jain (Sambhalka) : The price of Gur, Shakkar and Desi Sugar have crashed. As a result the Sugar Mills in the State have begun harassing the cane-growers so much so that the Sugar Mill at Yamuna Nagar has started paying Rs. 8.50 per quintal instead of the control rate of Rs. 13.50 per quintal.

स्पीकर साहब, अगर इजाजत हो तो मैं हिन्दी में पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ एक लैगविज में पढ़े Which ever your want.

श्री मूल चन्द जैन : गुड़, शक्कर और देशी खांड की कीमतें बहुत गिर गई हैं । परिणाम स्वरूप प्रान्त में शूगर मिलों ने गन्ना काश्तकारों को फरोख्त करना शुरू कर दिया है यहां तक कि जमुनानगर में शूगर मिल ने 13. 50 रुपए फी क्विन्टल कन्ट्रोल रेट देने की बजाए 8. 50 रुपए प्रति क्विटल देना शुरू कर दियां है । दूसरी शूगर मिलें तथा लाइसेंसदारं खांड बनाने वाले भी ऐसा ही सोच रहे हैं । करनाल शूगर मिल में गन्ना काश्तकारों

को गन्ने की सप्लाई की चिट देने में बेहद करप्शन और रू–रियायत बरहा जा रही है जिंसके परिणाम–स्वरूप गन्ना काश्तकारों में बेहद नाराजगी है क्योंकि मिलने वाले तो अपनी फसल का ज्यादातर गन्ना शूगर मिल को दे चुके हैं जबकि दूसरे जिन्होंने बौंड भरा हुआ है उनका बीस प्रतिशत भी नहीं लिया गया है । इसी प्रकार लाइसेंसदार खांडसारी बनाने वाले भी कन्ट्रोल रेट पर गन्ना नहीं खरीद रहे हैं । गन्ना काश्तकार अब यह सोचने लग गए हैं कि गन्ने को बतौर ईंधन जलाना ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि ईंधन गन्ने से भी ज्यादा मंहगा है । सारे प्रान्त में गन्ना काश्तकारों की यह दु री हालत तकाजा करती है कि सरकार इस तरफ तुरन्त ध्यान दे ।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : I have received the notice just now. I will make a statement but I beg for two day's time.

सचिव द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Secretary to make some announcement.

सचिव : महोदय, मैं सं विधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा से प्राप्त हुए निम्नलिखित दस्तावेजो की एक–पक प्रति सादर सदन की मेज पर रखता हूं–

(1) महासचिव, राज्य सभा से प्राप्त हुआ पत्र सं 0 आर 0एस 0 1/60/77/बी दिनांकित 29 दिसम्बर, 1977 ।

(2) लोक सभा में पुरः स्थापित रूप में संविधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में)य

(3) संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में),

(4) संविधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977, पर लोक सभा डिबेट, तथा

(5) संविधान (चौवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977, पर राज्य सभा डिबेट ।

कार्य मंत्रणा समिति की प्रथम रिपोर्ट

Mr. Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business as under :

"The Committee met at 4.50 p.m. on Monday, the 27th February, 1978, in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 28th February, 1978, Ist March, 1978, 2nd March, 1978, 3rd March, 1978 and 6th March, 1978, be transacted as follows :-

Tuesday, The 28th February, 1978 (2.00 P.M.)

1. Question Hour.

2. Presentation and adoption of the first Report of the Business Advisory Committee.

3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.

4. Presentation of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1977-78 and Report of the Estimates Committee thereon.

5. Presentation of Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 1973-74.

6. Laying of Supplementary Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76 (Civil) Government of Haryana.

7. Resolution under Article 368 of the Constitution.

8. Resolution regarding Amendment to the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

9. Motion regarding Extension of term of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

10. Motion regarding Constitution of a Committee on Public Undertakings.

11. Discussion on Governor's Address.

Wednesday, the 1st March, 1978 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Resumption of Discussion on Governor's Address and voting on the Motion of thanks.

Thursday, the 2nd March, 1978 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Non-Official Business.

Friday, the 3rd March, 1978 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Presentation of Budget for the year 1978-79.

Saturday, the 4th March, 1978

Off-day

Sunday, the 5th March, 1978

Holiday

Monday, the 6th March, 1978 (2.00 P.M.)

1. Question Hour.

2. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Second Instalment) for 1977-78.

3. Discussion and voting on Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 1973-74."

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move,—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion Moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory committee,

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to lay on the Table a. Statement showing the loan raised by the Haryana State Electricity Board upto 15th January, 1978 for which the State Government have stood guarantees for repayment thereof under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

सदन की मेज पर पुनः रखे गये कागज–पत्र

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to relay on the Table the General Administration (General

Services) Haryana Government Notification No. G.S.R. 120/Const./Art. 320/Amd.(I)/77, dated the 17th June, 1977, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitations of Functions) First Amendment Regulations, 1977, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

वर्ष 1977–78 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पेश करना

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1977-78.

वर्ष 1977– 78 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश करना

चौधरी शिव राम वर्मा (सभापति, प्राक्कलन समिति) : महोदय, मैं वर्ष 1 977–78 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश करता हूं ।

वर्ष 1973– 74 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें पेश करना ।

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, **I** beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1973-74.

भारत के नियंत्रक तय महालेखा परीक्षक की वर्ष' 197 5–7 6 (सिविल) हरियाणा सरकार की अनुपूरक रिपोर्ट रखना ।

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to lay on the Table the Supplementary Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76 (Civil)—Government of Haryana.

संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संकल्प

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill 1977, as passed by the two Houses of Parlaiment and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1977, as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977."

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : स्पीकर साहब, यह जो रेजोल्यूशन रैटीफिकेशन के लिये प्रस्तुत हु आ है, मैं उसकी स्पोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम सभी जानते हैं कि चन्द महीने पहले इस देश के अन्दर आपात स्थिति लगायी.

गयी । उस आपात स्थिति के काले इतिहास से हम भली प्रकार से परिचित हैं उसमें इस देश की जम्हूरियत की हत्या करने की पूरी कोशिश की गयी । इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा लेकिन यह जो आज रेजोल्यूशन रेटीफिकेशन के लिये हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है यह उस जम्हूरियत को जिन्दा करने की तरफ हमारा एक कदम है । सब से पहले मैं आर्टिकल 31–डी जो इस बिल के अन्दर नहीं है, मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा । उसके अन्दर जो हमें मानव अधिकार दिये गये थे, उनको किसप्रकार से समाप्त किया गया था, सब कुछ दिया हुआ है । उसके अन्दर लिखा हुआ है ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)

"31D. (1) Not withstanding anything contained in article 13, no law providing for—

(a) the prevention or prohibition of anti-national activities: or

(b) the prevention of formation of, or the prohibition of, anti-national associations,

shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistant with, or takes away or abridges any of the rights conferred by, article 14, article 19 or article 31."

इस आर्टिकल के तहत देश के अन्दर कोई भी संस्था हो, किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मौका दिये ऐन्टीनेशनल घोषित किया जा सकता है । बिना कोई मौका दिये कि आया वह

काम ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं, लोगों को अपराधी घोषित किया गया । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को इस प्रकार से ऐन्टीनेशनल घोषित किया गया । आर्टिकल 1 4, 1 9, 31 के अन्दर जो हमें बुनियादी हकूक मिले हुए थे उनको भी समाप्त कर दिया गया । इतना ही नहीं, इसके बाद जो दूसरी क्लाजिज थीं, 32 और 131–ए उनके अन्डर यह अधिकार भी छीन लिये गये । अगर हम किसी केस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अन्दर जाना चाहें तो वह भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही थी जहां पर हम अपनी फरयाद कर सकते थे, हाई कोर्ट के अन्दर नहीं । ऐसा कोई मामला जिसका सम्बन्ध भारत सरकार से हो, उसको हम हाई कोर्ट में नहीं उठा सकते थे, वह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा । आप इसबात से अन्दाजा लगा सकते हैं । जिस समय यह विधान बनाया गया, उस वक्त डाक्टर अम्बेदकर ने जो शब्द कहे थे, मैं वे शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा । उन्होंने कहा था–

"If I was asked to name the particular article in this constitution...."

उन्होंने ये शब्द आर्टिकल 32 के बारे में कहे थे । आर्टिकल 32 जो ओरिजीनल इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर रखा गया था पहले मैं उसे पढ़ देता हूं

"32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part :—

(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or wr its, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.

(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).

(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution."

डिप्टी स्पीकर साहब, जिस वक्त यह क्लाज आई, डाक्टर अम्बेदकर, जिन्होंने इस विधान को बनाया था, ने कहा

"If I was asked to name the particular article in this Constitution as the most important and an article without which Constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except article 32. This in my judgment is one of the greatest safeguards that can be provided for the safety and security of the individual. We need not therefore have much apprehension that the freedom which this Constitution has provided will be taken away by any legislature merely because it happens to have a majority."

लेकिन हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन करके हमारे जो मानव अधिकार थे, उनका हनन किया गया, और व्यक्ति की आजादी को समाप्त कर दिया गया । हमारे बड़े बड़े नेता ओं ने, बुजुर्गों ने, जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर राधाकृष्ण डा 0 राजेन्द्र प्रसाद और इस प्रकार के हजारों देश भक्तो ने बैठकर इस संविधान को बनाया, व्यक्ति के लिये मानव अधिकार उसमें दिये और उनकी रक्षा भी की लेकिन उसी नेहरू खानदान की, भारत की भूतपूर्व प्र धान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन सारे मानव अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंडित मोतीलाल जी के दो शब्द आपके द्वारा इस सदन में रखना चाहूंगा । उन्होंने कहा था–

"Our first care should be to have our fundamental rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances."

लेकिन उसी पंडित मोती लाल जी की पोती श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके लफ्जों पर कितने फूल चढ़ाए उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है । डिप्टी स्पीकर साहब, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जनता सरकार ने अपनी पार्टी के द्वारा जो वायदे किये थे उनको उसने पूरा किया और पार्लियामैंट. का सैशन होते ही यह संशोधन लाया गया जिससे फंडामेंटल राइट्स बहाल किये गये । इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अन्दाजा लगाएं एक तरफ तो यह सरकार कहती रही कि हम सस्ता कानून देना चाहते हैं और दूसरी

तरफ कांस्टीच्यूशन के. अन्दर जो संशोधन किया गया उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं । फर्ज करो एक आदमी बंगलौर के अन्दर रहताहै और वह किसी बात के लिये कोर्ट में जाना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट में न जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा । तो आपही अन्दाजा लगाए कि बंगलौर से दिल्ली आनेपर उसको कितना सस्ता न्याय मिल सकता है । कांग्रेस सरकार ने सस्ते न्याय कि कितनी अच्छी मिसाल पेश की थी। उसके बाद क्या किया कि किसी को अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत भी है तो उसके लिये यह प्रोवीजन कर दिया कि रेसे केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है तो वहां उसे 7 जज सुनेंगे और 'हाई कोर्ट में 5 जज सुनेंगे और जजों का फैसला बहुमत से नहीं माना जाएगा बल्कि 2/3 भाग जज जिस पक्ष में होंगे वह फैसला माना जाएगा । इस प्रकार के काले कानून उस कांग्रेस सरकार ने आपात स्थिति के दौरान बनाए । लेकिन जनता पार्टी ने दुनिया को आश्वासन दिया था कि हम भारत की परम्पराओं मे और संस्कृति में विश्वास रखतें हैं और मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं । जनता पार्टी ने कहा था कि हम व्यक्ति को बोलने की, काम करने की, सोचने की, न्याय प्राप्त करने की तथा अखबारों के अन्दर और पब्लिक स्टेज के 0पर कहने की पूरी स्वतन्त्रता देना चाहते हैं । मुझे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि जनता सरकार ने उन 19 महीनों के काले कानूनों को समाप्त कर दिया है । पहले दुनिया के मुल्क कहते थे कि भारत में जम्हूरियत समाप्तहो गई है और

उसका क्रियाकर्म करना बाकी रह गया है लेकिन जनता सरकार के आने के बाद उसने यह साबित कर दिया है कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क यह नहीं कह सकता कि भारत में जम्हूरियंत समाप्त हो गई है और उसका क्रिया कर्म बाकी रहता है बल्कि हमने आज दुनिया को यह साबित कर दिया है कि दुनिया के अन्दर अगर कहीं लोकतन्त्र या जम्हूरियत है तो वह भारत में है । आज अगर कोई लोकतन्त्र को समाप्त करने की कोशिश करेगा तो वह स्वयं समाप्तं हो जाएगा । यह जो प्रस्ताव इस समय यहां पर पेश किया गया है यह पार्लियामैंट के दोनों सदनों से पास हो कर आया है और रिवायत के अनुसार भारत की आधी असैबलियों ने इसेरेटीफाई करना है जिसके लिये यह यहां पर प्रस्तुत हु आ है । मैं इसके लिये भारत की पार्लियामैंट और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस थोड़े से समय के अन्दर ही जम्हूरियत को खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसकी बुनियाद को इतना मजबूत किया है कि आने वाले सैकड़ों सालों में भी कोई सरकार इस बात की जुर्रत नहीं कर सकेगी कि वह इस तरह का कदम उठा सके जिस तरह कांग्रेस सरकार ने उठाया था । मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आपात स्थिति के दौरान इंदिरा गांधी के समर्थन में हाथ खड़े किये थे और कांस्टीच्यूशन का नकशा बदला था लेकिन आज जब जनता सरकार ने उनसे बात की तो वह भी सहमत हो गए कि यह हमारी गल्ली थी । जनता ने चाहे उनको खबरदार किया लेकिन फिर भी अगर कोई भूला हुआ अपने घर आ जाता है तो उसको माफ कर

देना चाहिये । जैसे पार्लियामैंट के अन्दर यह प्रस्ताव मुतफिक राय से पास हुआ उसी तरह से मैं आशा करता हूं कि यहां भी यह मुतफिक राय से पास होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए तथा पार्लियामैंट को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

श्री बलदेव तायल (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदर।, इतिहास साक्षी है कि आपात स्थिति के 19 महीनों के दौरान कितने काले कानून बनाए गए, किस तरह संविधान की चीर–चीर करके हत्या की गई और संविधान को केवल मात कागज का पुलन्दा बना कर छोड़ दिया गया था । उस वक्त की सरकार ने मानव मूल्यों का हनन किया और जो हमारी जुडिशियरी थी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं उसके सारे अधिकार छीन लिये गये । यहां 'तक कह दिया कि सरकार को बिना किसी कारण बताए मानव की हत्या करने का अधिकार है, मानव को जेलों के अन्दर ठूंस देने का अधिकार है जिसकी वजह से इस देश के नागरिकों को गुलामों के गुलाम बना कर रख दिया । इस प्रकार के कानून एकएक करके संविधान के अन्दर रखे गये । जनता जानती है, देश जानता है कि लाखों आदमियों को उन काले कानूनों का शिकार होना पड़ा । पता नहीं कितने आदमियों की निर–अपराध हत्या हुई, कितने आदमियों ने जानें दे दीं और कितने आदमी जेलों में सडते रहेय जनता सिसकती रही और नेता देखते रहे । सबसे बडा अफसोस और सब से बडा दर्द इस बात का है कि जिस न्यायपालिका पर

हमें गर्व था वह भी उस समय– निपुंसक बन कर रह गई । वह कोई कदम सरकार का मुकाबिला करने के लिये न उठा पायी । (विध्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : आपने भीतो वह चीफ जस्टिस बना दिया । (विध्न)–

श्री बलदेव तायल : लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिज की तरफ देखने लगे और उन्होंने समझ लिया कि हिन्दुस्तान के अन्दर जनतन्त्र, प्रजातन्त्र फिर दोबारा नहीं आएगा. । लेकिन जिस प्रकार ब्रिटिश राज्य सत्ता के आगे न्याय पालिका कांपती थी, थरथरा उठती थी उसी प्रकार कांग्रेस राज में यह थरथराने लगी थी । जहां तक ऐग्जैक्टिव का ताल्लुक था, उन आई0 ए0 एस0 औरपी0 सी0 एस0 आफिसरों के सम्बन्ध में मुझे यह कहनेमें शर्म महसूस होती है जिन्होंने सारे कानून एक तरफ उठाकर रख दिए और निराधार निरपराध लोगों को जेलों के अन्दर बन्द कर दिया और झूठे केसिज बनाये गए । कितने आदमियों की जायदादें ओंर जानें इन सरकारी अफसरों ने ले डाली थीं । जनता विवश थी क्योंकि उस समय संविधान की हत्या हो चुकी थी, संविधान के अन्दर अमैंडमैंट लाई जा चुकी थी इसलिये कुछ हो नहीं सकता था । लोग देखते रहे, रोते रहे । मैं गारत सरकार पर गर्व महसूस करता हूं जिन्होंने यह कदम उठाया कि संविधान को दोबारा संशोधित किया जाए और एक कल्याणकारी संविधान बनाने की चेष्टा की है । यह पहला कदम है

कि जब तक न्याय पालिका को संविधान के अन्दर पूरे अधिकार नहीं होंगे, जो कानून पार्लियामेंट और असैम्बली बनाए वह न्याय पारिवका में आ सकें और न्याय पालिका उन पर विचार कर सके । यह कानून कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, कहां तक नागरिक अधिकारों से जागृत हैं, कहां तक उन सुविधाओं और अधिकारों को जो संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं, रक्षा करता है और कहां तक हनन करता है, यह देखने वाली बात है । इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का अनुमोदन करता हूं और भारत सरकार को मुबारिकबाद देता हूं । आप लोगों से भी अपील करता हूं कि कांस्टीचुशनल अमेंडमेंट का समर्थन सर्वसम्मति से किया जाए ।

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने संविधान के संशोधन की जो अमेंडमेंट आई है.....

श्री शमशेर सिंह : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । हाउस के सामने रैटिफिकेशन के लिये जो रैजोल्यूशन आया है यह बिल्कुल फोर्मल बात है अभी गवर्नर ऐड्रैस पर बहस होनी है जिसके लिए आज और कल का दिन मुकर्रर है । ये जो बातें कह रहे हैं, ये गवर्नर ऐड्रैस पर भी कह सकते हैं, इस पर बोलने की जरूरत नही (व्यघधान)

मास्टर शिव प्रशादः उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गए, देश को आजादी मिंत्री

लेकिन देश के करणधारों ने सोचा कि जब तक यहां के लोगों के बुनियादी हकूकों को ध्यान में नहीं रखेंगे या इस देश के नजरिए को ध्यान में रखते हुए या देश में रहने वाले सब लोगो केजीवन को सामने रखते हुए विधान नहीं बनाएंगे तब तक देश के लोगों को सही तौर पर आजाद हुए नहीं माना जा सकता । इसलिए देश के. महान, योग्य और दूरदर्शी लोगों ने बैठकर एक विधान बनाया और उस विधान के अन्दर 26 जनवरी, 1950 को देश आजाद हुआ । इसी लिए प्रति वर्ष 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जाताहै । जनसाधारण के बुनियादी हकूकों को ध्यान में रखते हुए यह विधान लागू हुआ लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिस विधान को बनाने वाले लोगों ने देश के हित को सामने रख कर विधान बनाया, उसी पार्टी के हाथ में हुकूमत आने से उन्हीं लोगों के हकूकों को खत्म किया गया । विधान को तोड मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया और यह सोचा गया कि शायद हमें शक्ति नहीं मिलेगी इसलिए इस विधान को तबदील कर दिया जाए ताकि लोगो के हकूक एक परिवार के हाथ में आ जाएं । मैं 19 महीनों का इतिहास दोहराना नहीं चाहता । इन्होने यह नहीं सोचा था कि जनता पार्टी की हकूमत आएगी और बोलने कें और विचारों को प्रकट करने के अधिकारों को संविधान में परिवर्तन करके बहाल करेगी और आपातकालीन स्थिति को स्माप्त कर दिया जाएगा । मै इस हुकूमत को धन्यवाद देता हूं । इसके सदस्यों को. जेलों में डाला गया और बाहर आने के बाद जनता पार्टी का जन्म देश के लोगों को बचाने केलिए, उनके मौलिक अधिकारों कीरक्षा करने के

लिए हुआ । जनता पार्टी बनने के बाद, देश के लोगों के जो हकूक समाप्त हो गए थे उनको बहाल करने के लिए यह संवैधानिक संशोधन हाउस में आया है । जनता पर इस संशोधन का कोई बुरा असर नहीं है बल्कि लोगों को बोलने की आजादी मिलती है, विचारों को प्रकट करने की आजादी मिलती है । मैं सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संशोधन को सामूहिक रुप में पास किया जाए और सरकार को फिर मुबारिकबाद देता हूं जिसनें यह संशोधन पेश किया है । इतना कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं ।

श्री दीप चन्द भाटिया(फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि जो अमैंडमेट जनता सरकार ने, भारत सरकार ने 44 वां संशोधन सदन में पेश किया है, इससे पिछली सरकार के 19 महीने के कारनामे, कांग्रेस सरकार ने या इंदिरा सरकार ने जो डेढ़ आदमी की हकूमत बनाई थी, उसका खात्मा किया है । आपको पता होना चाहिए कि जो जुल्म इस 19 महीनों के अन्दर उन्होंने किए, वे किसी से छुपे हुए नहीं हैं । फरीदाबाद के अन्दर लोगों की झुग्गी–झोंपड़ी बरबाद करके रख दी गई । हजारों गरीबों का खून किया–गया । .जो गरीब औरत बचचा जनने वाली थी उसको झोपडी से बाहर फैंकवा दिया गया और उन लोगों का सर्वनाश किया गया । आज यहां उन भाइयों में से कांग्रेस के एक–दों भाई बैठे हैं जो हुन बातों को सुन नहीं सकते, उनको सुनते हुए शर्म आती है और शर्म से सिर झुका लेते

हैं । अगर उनको शर्म आती है तो सदन से बाहर चले जाए। उस हकूमत ने लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया । लोगो के मीसा के अन्दर जेलो मे डाल दिया गया। वे लोग जिन्होने जेलों की यातनाएं बरदाश्त की, शाह कमीशन के सामने बोलते हैं कि हमें जबरदस्ती इंदिरा गांधी मे जेल में डाला है । (विघन)शाह कमीशन ने कहलवाया है लोगों से । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो डिक्टेटर शिप है वह इस संशोधन के द्वारा खत्म कर दी गई है और यह जनता जनार्दन की सरकार ने की है । 'यह 'खुशी की बात हए कि भारतं सरकार ने, पार्लियामैंट के चुने हुए नुमायदों ने तानाशाही को 'खेत्म कर दिया और यह अमैंडमैंट कर दी कि जी डिक्टेटरशिप उस वक्त हुई थी कि मेरी हकूमत हो और मेरे लड़के की हकूमत हो, सिर्फ डेढ़ आदमी का राज हो इसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया । मैं उम्मीद रखता हं कि सदन के सभी भाई इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण, आज हमारे हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि संविधान का चौवालीसवां संशोधन विधेयक सदन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया । उपाध्यक्ष महोदय आज से 28 वर्ष पूर्व जब हिन्दुस्तान में संविधान की रचना की गई तो इसकी प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे गए थे। एक सौगन्ध खाकर हिन्दुस्तान के लोगों ने कहा था, "We the people of India give unto ourselves a Constitution which is Sovereign Democratic Republic." यानि हम भारत के लोग अपने

आप को एक ऐसा सविधान प्रदान करते हैं जो इस देश में प्रभुसत्तात्मक, प्रजातन्त्रात्मक गणतंत्र की रचना करेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः दोहरा0ंगी उन तीनों शब्दो को प्रभुसत्तात्मक, प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र । प्रजातंत्र और गणतंत्र ऐसी व्यवस्था नहीं है! उपाधयक्ष महोदय, जिसे जो व्यक्ति चाहे अपने सविधान में लिख दे । प्रजातंत और गणतंत्र की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, प्रजातंत्र और 'गणतंत्र की कुछ बुनियादी जरुरतें होती हैं, कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं । गणतंत्र सकेंत करता है उस व्यवस्था की तरफ जहां राज्य का प्रधान निर्वाचित होता है विरासती नहीं । ' प्रजातंत की व्यवस्था संकेत करती है उस प्रणाली की तरफ जहां शासन जन प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है । यह वह व्यवस्था है जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता को भावनाओं की कदर करते हुए मुल्क का शासन चलाते हैं । 28 वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान के गणतंत्र ने कई उतार 'चढाव देखे । गणतंत्र फूला भी प्रजातंत कुछ समृद्ध भी हुआ लेकिन हिन्दुस्तान के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया जब गणतंत्र की स्वस्थ 'परम्परा धराशायी हो गई, जब प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई और देश कों बस काले कानून का मुह देखना पड़ा । इसकी क्लाज बाई क्लाज व्याख्या चौधरी राम लाल वधवा जी ने की है लेकिन मैं भी, थोड़ा सा इस बारे में निवेदन करना चाहती हूं । मेरे हाथ में संविधान की एकं प्रति है । इसके आर्टिकल 31 (डी) के तहत चौथे सब–सैक्शन में 'ऐसोसिएशन' की परिभाषा दी गई है । लिखा है कि "Association means an

Association of persons" . इसे पढ़ कर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसी आती है । क्या सभाएं जानवरों की भी बना करती हैं जिसकी वजह से 'ऐसोशिएशन आफ पर्सन्ज' शब्दों का प्रयोग किया गया? इसके अलावा एक और धारा जोड़ी गई' थी जहां कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायधीशों की बैच इकट्ठी होकर किसी सांविधानिक वैलिडिटी के 0पर अपना निर्णय देगी और साथ ही यह व्यवस्था की गई कि दो तिहाई बहुमत से उसका फैसला किया जाए । 7 की संख्या का यह दो तिहाई बहुमत क्या होगा, वही गणित केलोग इसबातको जानते हैं? समय का बहुत अभाव है वरना आर्टीकलवाइज मैं इसकी व्याख्या करती । जब 42 वा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ था और पास होने जा रहा शा तब हम लोग गली गली जाकर जन सभाएं करते रहे । पब्लिक मीटिंग्ज होल्ड नहीं होती थीं लेकिन बंद कमरे में सभाएं करके हम उसका विरोध किया करते थे और लोगों को बताया करते थे कि संविधान का यह संशोधन आपके हित में नहीं है । आज मुझे इस बात का हर्ष है कि विरोधी दल के लोग वे जो उस समय संविधान मेंसंशोधन न करने की मांग कर रहे थे आज विरोध में नहीं रहे बल्कि सत्ताधारी दल में हैं । जब विरोध करने की आवश्यकता थी तो वे इसका खुल कर विरोध किया करते थे लेकिन आज जब वे सत्ता में हैं, इस हैसियत में हैं, इस अवस्था में हैं कि उस काले कानून की हत्या करके जनता के सामने से उठा सकें, तो उन्होंने ऐसा करने का साहस किया है । भारत की पार्लियामैंट ने इ बिल को पास कर दिया है । मुझे बेहद

हर्ष है इसका अनुमोदन करते हुए और मैं समझती हूं कि समूचा सदन बिना किसी ऐक्सैपशन के पूर्ण तौर पर इसका अनुमोदन करेगा ताकि यह काला कानून सदा सर्वदा के लिए, हिन्दुस्तान के जनतंत्र से उठ जाए ।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सेन): डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि इस सांविधानिक संशोधन का अनुमोदन उन लोगों ने नहीं किया जिनका कर्म इस पाप का भागी था । लोक सभा में तो इन लोगों ने अनुमोदन कर दिया लेकिन शायद वे यहां पढ़ कर नहीं आए होंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, इस संशोधन के द्वारा हम उस प्रावधान की पूर्ति करते हैं, हम उस कांस्टिव्यूशनल रिक्वायरमैंट को पूरा करने जा रहे हैं जिसके द्वारा यह वांछित है कि लोक सभा और राज्य सभा में एक कांस्टिव्यूशनल अमैंडमैंट हो जाने के बाद भारत में जो प्रान्तीय सरकारें हैं अर्थात् प्रदेशों की विधान सभाएं हैं उनकी मैजोरिटी भी उसका अनुमोदन करे । तभी यह अमैंडमैंट बेलिड मानी जाती है, तभी राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करता है । उस व्यवस्था की पूर्ति करने के लिए इस सदन में मैं यह अमेंडिंग बिल लाया हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, इसका स्वागत तो सब लोगों ने कर दिया । विचार भी बता दिए लेकिन इस कानून के द्वारा भारत के संविधान में परिवर्तन कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ यह जरुरी विचारने वाली बात है । डिप्टी स्पीकर साहब, भारत की जनता ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक महान स्वतंत्रतासंग्राम

लड़ा था । इस लड़ाई को लड़ने के बाद भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने इस भारत का संविधान कैसा हो या यहां की शासन पद्धति कैसे चले इसके बारे में बैठ कर निर्णय किया था । इस निर्णय में भाग लेने वाले इसयुग के मनु स्वर्गीय भीमदेव जी अम्बेदकर, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरु, बल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामना डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और उन जैसे सैकड़ों देश भक्त और विद्वान थे । मेरे आदरणीय मिल चौधरी राम लाल जी ने सही कहा कि जिस परिवार ने लोकतंत्र के लिए महासंग्राम लड़ा था उसी परिवार के वंशजों ने इस संविधान का रूप बिगाड़ के रख दिया । किन परिस्थितियों में ऐसा किया? नेताओं को जेल में डाल कर, राजनीतिक गतिविधियों को समाप्त करके, अखबारों का गला घोंट कर और डिप्टी स्पीकर साहब जो संसद के सदस्य थे उनको जेल की चार दीवारी में बंद करके । भारत की जनता और आने वाली पीढी उन पापियों को माफ नहीं कर सकती । डिप्टी स्पीकर साहब, उस अमैंडमैंट के बाद कैसा संविधान हमें दिया गया, उसे देख कर बड़ी लज्जा आती है । हम जेलों में बैठे हुए रेडियो जब सुनते थे और अखबारों में प्रधान, मन्त्री का और श्री गोखले जी का, जिनको कल ही हमने श्रद्धांजलि दी है, वक्तव्य पढ़ते थे तब लज्जा के मारे सिर झुक जाता था । हम सोचते थे कि क्या हम भारत के नागरिक हैं? आज भी मेरे एक मित ने ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुन कर मैं सहम गया क्योंकि मेरी आस्था लोकतंत्न में है । न्यायपालिका पर हमें कोई रिमार्क्स नहीं कसने चाहिए लेकिन एक बात जरूर है कि जब देश के

वुद्धिजोवियों कोही सांप सू घ जाए तो अन्य लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की । डिप्टी स्पीकर साहब, लोकतंत्र के तीन पाये हैं । एक लैजिस्लेचर है जहां हम बैठे है, एक कार्यपालिका है और एक जुडीशियरी है । अगर ये तीनों अपने– अपने सफीयर में इंडिपैन्डैन्ट नहीं होंगे, एक दूसरे पर चौक एंड बैलैस नहीं रखेंगे तो लोकतंत्न चरन नहीं सकता । वास्तव में उस समय के सत्ताधारियों ने लोकतंत्र की आडू में तानाशाही को भारत की 60 करोड़ जनता पर लादना चाहा था । वंश परम्परा का शासन उन्होंने चलाया । उन्होंने सोचा कि जो प्रधान मंत्री कहेगी, जो मन्त्री परिषद कहेगा वह राष्ट्रपतिको मानना पड़ेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, कितने मजाक की बात है । आप स्वयं एक वकील हैं । आपने कांस्टिव्यूशन पढा है, समझा है लेकिन यह बात कहना डिप्टी स्पीकर साहब आप भी महसूस करेंगे बहुतही लज्जाजनक है । उन्हेंने तो ऐसा करके देश के 0पर एक कलंक लगा दिया था । यही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने तो यह भी कहा था कि जिन मुकदमों के बारे में अटौर्नी जनरल कहेगा वही मुकदमे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाएंगे, अर्थात् न्यायपालिका सरकार की एक दासी बन कर रहेगी इस से बढ़ कर लोकतंत्र का मजाक क्या किया जा सकता है? तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने गत वर्ष जब लोक सभा के चुनाव हुए तो देश की जनता को एक बात कही थी । उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को संवैधानिक ढंग से रहने

के लिए यह आखिरी संग्राम है । आप अगर मेरी कही हुई बात पर चलेंगे तो इस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापनाहो जायेगी । लोकतंत्र की प्रुनर्स्थापना का अर्थ है जुडीशियरी को रैसटोर करना । आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जनता पार्टी ने जो देश के करोड़ों लोगों को वचन दिया था उसको पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है । (प्रशंसा) डिप्टी स्पीकर साहब मेरे मित्र ने यहांरू बता दिया है कि न्यायपालिका को किस प्रकार से पंगु बना दिया था । तानाशाह को डर इऋ ओता है, क्योंकि तानाशाही सदा नही चलती । कई बार तो वह अपने साये से भी डरने लगताहै । हमारे संविधान में ऐन्टी नेशनल ऐक्टीविटिज की परिभाषा है उनके अनुसार वह होगी जो उनको परसनली सूट करेगी । कहने का मतलब यह है कि जो बात उनके दल को पसन्द नहीं आयेगी, जिसके कारण उनके सिंहासन को खतराहोगा उन पर वे पाबन्दी लगा देंगें । डिप्टी स्पीकर साहब इससे बढ़ कर अलोकतंत्रीय कदम क्या हो सकता है? उन्होंने सविधान में बहुत से संशोधन किये हैं । हमारी सदन के सामने तो बड़ी सीमित हाँ बात आयी है । मेरे मिल जो जनता पार्टी में नही हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है । इस पाप को, इस कलंक को जो उनके माथे पर लगा है उसको हम धो रहे हैं । बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने खुल कर तो इसका समर्थन नही किया है परन्तु मूक समर्थन किया है ।

डिप्टी सीकर साहब, इस प्रस्ताव को पास करके हम भारत की जनता को दिखा देंगें कि हरियाणा के माननीय सदस्यों

ने इस कालिमा को सर्वसम्मति से धो दिया है । इन शब्दो' के साथ मैं प्राथना करता हूं कि इस अमेंडमैंट का सर्वसम्मति से समर्थन किया जाये ।

चौधरी 'लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत दुखी आदमी हूं । मैं ईस पर अवश्य बोलूगा। मेरी बात आप सुने । मेरे साथ जो जुल्म हुए हैं, मैं उनको यहां जरूर बता0ंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर बोल लेना । अब मिनिस्टर 'साहब बोल चुके हँ । अब' इसे पास होने दें ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof , proposed to be male by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1977, as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into "The Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977."

The motion was carried.

ty ¼^çnw"k.k fuokj.k rFkk fu;a=.k ½ vf/kfu;e]
1974 ds

la'kksa/ku laca/kh ladYi

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to move—

"WHEREAS on 11th February, 1969 this Assembly,

in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution resolved to the effect that matters relating to prevention and control of water pollution and maintenance or restoration of wholesomeness of water be regulated in this State by Parliament by law;

AND WHEREAS by virtue of the said resolution, Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) for this State ;

AND WHEREAS from the practical experience gained in the working of the aforesaid Act in this State it is considered necessary to make certain amendments to the Act on the lines of the amendments set out in the enclosed Schedule hereto;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (I) of article 252 of the Constitution read with clause (2) thereof, this Assembly hereby resolves that the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, may be amended by Parliament as aforesaid. "

Mr. Deputy Speaker : Motion moved,

"WHEREAS on 11th February, 1969 this Assembly, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution resolved to the effect that matters relating to prevention and control of water pollution and maintenance or restotration of wholesomeness of water be regulated in this State by Parliament by law;

AND WHEREAS by virtue of the said resolution, Parliament enacted the Water (Prevention and Control of

polution Act, 1974 (6 of 1974) for this State;

AND WHEREAS from the practical experience gained in the working of the aforesaid Act in this State it is considered necessary to make certain amendments to the Act on the lines of the amendments set out in the enclosed Schedule hereto;

NOW THEREFORE, in pursuance of clause(') of article 252 of the Constitution read with clause (2) thereof, this Assembly hereby resolves that the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, may be amended by Parliament as aforesaid ."

Mr. Deputy Speaker : Question is—

"WHEREAS on 11 th February, 1969 this Assembly, in pursuance of clause (I) of article 252 of the Constitution resolved to the effect that matters relating to prevention and control of water pollution and maintenance or restoration of wholesomeness of water be regulated in this State by Parliament by law;

AND WHEREAS by virtue of the said resolution, Parliament enacted Water (Prevention and Control of Pollution) Act,- 1974 (6 of 1974) for this State;

AND WHEREAS from the practical experience gained in the wor king of the aforesaid Act in this State it is considered necessary to make certain amendments to the Act on the lines of the amendments set out in the enclosed Schedule hereto;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (1) of

article 252 of the Constitution read with clause (2) thereof, this Assembly hereby resolves that the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, may be amended. by Parliament as aforesaid."

The motion was carried.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति की पदावधि बढ़ाना ।

Revenue Minister (Shri Preet Singh) : Sir, I beg to move—

"WHEREAS a Committee called the "Committee on the Welfare c ,f Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for the financial year 1977-78, in pursuance of a motion pa- ;sed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 17th October , 1977; and

WHEREAS it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 17th October, 1977 the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Secheduled Tribes should also function for the year 1978-79;

NOW, THEREFORE, this House resolves that the term of the existing Commitee on the Welfare of Scneduled Castes and Scheduled. Tribes which expires on the 31st March, 1978, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1979 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on

17th Oct. 1977."

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

"WHEREAS a Committee called the "Committee on th Welfare of Scheduled ,Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for the financial year 1977-78, in pursuance of '4 motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 17th October, 1977; and

WHEREAS it is expedient that for the purposes explained in the motion passeed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting on the 17th October,- 1977, the Committee on the Welfare of Scheduled castes and schedled Tribes should also function for the year 1978-79 ;

NOW, THEREFORE, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1978 , be extended by a year i.e. upto 31st March, 1979 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on 17th October, 1977."

Mr. Deputy Speaker : Question is—

"WHEREAS a Committee calle 1 the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for the financial year 1977-78, in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 17th October, 1977; and

WHEREAS it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryan Vidhan Sabha in its sitting on the 17th October, 1977, the Committee on the Welfare of Sched uled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1978-79;

NOW, 'THEREFORE , this House resloves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1978, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1979 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on 17th October, 1977."

The motion was carried.

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का गठन

Industries Minister (Dr. Mangal Sain) : Sir, I beg to move—

(a) That a Committee of the Haryana Vidhan Sabha to be called the "Committee on Public Under-takings" for the examination of the working of public undertakings be constituted consisting of nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote.

(b) That a Minister shall not be eligible for election as a member of the Committee and that if a Member, after his election to the Committee, is appointed as Minister, he shall cease to be member thereof from the date of such

appointment.

2. That the functions of the Committe shall be :—

(a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Schedule and any such other public undertakings as may be referred to the Committee by the Speaker for examination;

(b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor-General on the public undertakings ;

(c) to examine in context of the autonomy and efficiency of the Public Undertakings whether the affairs of the Public Undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the Public undertakings mentioned above as are not covered by clauses (a). (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time :

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely :-

(i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of public undertakings ;

(ii) matters of day-to-day administeration;

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established,

(3) that the term of the office of the members of the Committee shall not exceed one year.

(4) That the quorum of a sitting of the Committee shall be four.

(5) That in all other respects the Rules of Procedure of the Legislative Assembly relating to the Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make."

SCHEDULE

List of Public Undertakings

1. Haryana Financial Corporation, Chandigarh.

2. Haryana State Industrial Development Corporation, Chandigarh.

3. Haryana State Small Industries & Export Corporation, Chandigarh.

4. Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation, Chandigarh.

5. Haryana Agro Industries Corporation, Chandigarh.

6. Haryana Warehousing Corporation, Chandigarh.

7. Haryana Land Reclamation & Development Corporation, Chandigarh,

8. Haryana Seed Development Corporation, Chandigarh.

9, Haryana Dairy Development Corporation, Chandigarh.

10, Haryana Minor Irrigation (Tubewells) Corporation, Chandigarh.

11, Haryana Tourism Corporation, Chandigarh,

12. Haryana Harijan Kalyan Nigam.

13. Haryana Tanneries Ltd., Chandigarh,

14. Haryana Breweries Ltd., Murthal.

15. Haryana Matches Ltd., Yamuna Nagar.

16. Haryana Minerals Ltd., Narnaul.

17. Haryana State Electricity Board, Chandigarh.

18. Haryana Agricultural Marketing Board, Chandigarh.

19. Haryana Housing Board, Chandigarh.

20. Kurukshetra Development Board.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

"1. (a) That a Committee of the Haryana Vidhan Sabha to be called the "Committee on Public Undertakings" for

the examination of the working of public undertakings be constituted consisting of nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representtation by means of single transferable vote.

(b) That a Minister shall not be eligible for election as a member• of the Committee and that if a Member, after his election to the Committee, is appointed as Minister, he shall cease to be member thereof from the date of such appointment.

2. That the functions of the Committee shall be :-

(a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Schedule and any such other public undertakings as may be referred to the Committee by the Speaker for examination ;

(b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor General on the public undertakings ;

(c) to examine in context of the autonomy and efficiency of the Public Undertakings whether the affairs of the Public Undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices ; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the. Public undertakings mentioned above as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time

to. time : -

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely :—

(i) matters of major Government policy as distinct from business or Commercial functions of public undertakings ;

(ii) matters of day-to-day administeration;

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established

(3) that the term of the office of the members of the Committee shall not exceed one year.

(4) That the quorum of a sitting of the Committee shall be four.

(5) That in all other respects the Rules of Procedure of the Legislative Assembly relating to the Committee shall apply with such variations and modification; as the Speaker may make."

SCHEDULE

List of Public Undertakings

1. Haryana Financial Corporation, Chandigarh.
2. Haryana State Industrial Development Corporation, Chandigarh.
3. Haryana State Small Industries & Export Corporation,

Chandigarh,

4. Haryana State Hand loom & Handicrafts Corporation, Chandigarh.

5. Haryana Agro Industries Corporation, Chandigarh.

6. Haryana Warehousing Corporation, Chandigarh.

7. Haryana Land Reclamation & Development Corporation, Chandigarh,

8. Haryana Seed Development Corporation, Chandigarh.

9. 9. Haryana Dairy Development Corporation, Chandigarh,

10. Haryana Minor Irrigation (Tubewells) Corporation, Chandigarh.

11. Haryana Tourism Corporation, Chandigarh.

12. Haryana Harijan Kalyan Nigam.

13. Haryana Tanneries Ltd., Chandigarh.

14. Haryana Breweries Ltd., Murthal.

15. Haryana Matches Ltd., Yamuna Nagar.

16. Haryana Minerals Ltd., Narnaul.

17. Haryana State Electricity Board, Chandigarh.

18. Haryana Agricultural Marketing Board, Chandigarh.

19. Haryana Housing Board, Chandigarh.

20. Kurukshetra Development Board.

चोधरी रामलाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में जो यह प्रस्ताव आया है यह कोई मामूली प्रस्ताव नहीं है । मैं इसके लिए सदन की ओर से तथा अपनी ओर से मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं । यह एक बड़ा उल्लेखनीय, ऐतिहासिक और सराह– नीय पग है । मुझे याद है कि जब मैं विरोधी पक्ष में इसी सदन में बैठा कुरता था तोरू इस प्रश्न परं कई बार उस समय के मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल से मैंने अनुरोध किया था कि यहां पर भी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बननी चाहिए । इस समय मैं उस पर कोई विवाद नही करता कि इसकी आवश्यकता है या नहीं । आज का प्रस्ताव केवल इस बारे में है कि प्रब्लिक अन्दर टेकिंग्ज को चौक करने के लिए एक कमेटी बननी चाहिए और मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन पिछले सालों के अन्दर जो कुछ भी इन् पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज के अन्दर होता रहा है, योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की बैलेन्स शीट मांगी थी । कुछ ने तो भेज दी है लेकिन कुछ ने भेजने का कष्ट ही नही किया । उन बैलेन्स शीट्स को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पता लगा कि बंसी लाल के रिजीम में अपनी जेबें भरने के लिए औरै भ्रष्टाचार करने के लिए ये अदारे खोले गए थे क्योंकि इस शिड्यूल के अन्दर शायद एक या दो को छोड़कर कोई भी

इंस्टीच्यूशन ऐसा न होगा जो घाटे में न चल रहा हो । मैं सरकार को हसँ बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर उसने इस बारे में सोचा कि ये पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज बनाने का मकसद क्या था, इनको बनाने के पीछे भावना क्या थी । डिप्टी स्पीकर साहब, इनको बनाने की भावना यही थी कि लोगों को जो चीज नही मिलती, जिस चीज 'की ब्लैक होती है, सरकार उस चीज को जनता को उपलब्ध कराए, जनता को सस्ते दाम पर दे और इनके लिए आज यह जो कमेटी बनाई जा रही है यह बहुत अच्छी बात है. । हम, इनको चौक कर सकेंगे, हम इनको देख सकेंगे कि कहां–कहां किस प्रकार की धांधली हुई है । आप हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को देखें वहां पर करोड़ों रुपए का घपला हुआ है । हमने बार–बार सदन में कहा लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की । वे सारीबातें हमारे सामने आएंगी ओर हम सरकार के सामने वे सारी बाते रखेंगे और फिर उस पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज में सुधार ला सकते हैं ताकि ये जनता के लिए उपयोगी हो सकें । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बार फिर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस में पब्लिक अन्डर–टेकिंग्ज कमेटी बनाए जाने का जो प्रस्ताव आया है, मैं आम तौर पर उसका स्वागत–करता हूं क्योंकि पिछले सदन की जो कार्यवाही थी उसमें मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह विश्वास दिलाया था कि ऐसी कमेटी

हम बनाने जा रहे हैं । इसखिएमैंकहूंमरकि यह कभेटी बहुत अहमियत रखने वाली और बहुत इम्पौटैंट कमेटी है । पार्लियामैंट के अन्दर भी और अपने साथ वाली स्टेट पंजाब में भी ऐसी कमेटी है । डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हर साल इस कमेटी के मैम्बर सदन में सैक्शन होंगे, चुनाव होगा, यह ठीक नहीं है । यह कमेटी तो स्टैडिंन्ग कमेटी होनी चाहिए जैसे पब्लिक अकरूाउन्ट्स कमेदी है या ऐस्टीमेटस कमेटी है, उसी तरह की यह कमेटी स्टैन्डिग कमेटी होनी चाहिए । दूसरी बात यह है जैसा बताया गया है कि करोड़ों रुपया इन कार्पोरेशंज और बोर्ड्ज को दिया हुआ है ये.बोर्ड तथा कार्पोरेशंज स्वतन्त्र रूप से काम करती हैं, विधान सभा का इनके पर कोई इफैक्टिव कन्ट्रोल नहीं इसलिए यह कमेटी उनके कार्य की छानबीन करेगी । इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि यह कमेटी जो कौमर्शियल साइड या यो कह लिजिए कि सरकार की पालिसी को यह कमेटी नहीं देख सकेगी या सरकार की जो मुख्य पौलिसी बनी है उस पर यह कमेटी टीका टिप्पणी नहीं कर सकेगी। मेरा कहना यह है कि इससे कमेटी का मकसद पूरा नहीं होता । इसलिए इस ऐस्टीमेटस को उसी प्रकार की की छूट होनी चाहिए जिस प्रकार छूट पब्लिक अकाउंटस कमेटी तथा ऐक्टीमेटस कमेटी को हो इस कमेटीको यह अधिकार होना—चाहिए कि यह उन कार्पोशंज तथा बोर्डी केसभी कार्य अप्वाएंटमेंट से लेकर जो उसके बिजनैस की ट्रांजेक्शन है, किस नीति के तहत वह काम करती है, वह सारेका सारा कार्य इस कमेटी को देखने, स्कूटीनाईज करने का अधिकार होना चाहिए

तीसरी बात यह है कि यह कहा जा रहा है कि क्योंकि इनमें करोड़ों रुपए कां घोटाला है या ये पब्लिक अडरटेकिंग्ज सरकार को घाटा पहुंचाते हैं इसलिये ये नहीं होनी चाहिए । मै कहता हूं कि उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है । ये अन्डरटेकिंग्ज जनता को बहुत लाभ पहुंचाती है इस राज्य के अन्दर व्यवरथा बनी हुई है जिसमें यह अन्डरटेकिंग्ज होती है । इनमें घाटा होश है इसलिए ये नहीं होनी चाहिए, यह कहना ठीक नहीं । अगर ये कार्पोरेशज न हो तो दूसरे लोग इस प्रकार का धंधा शुरु कर सकते है और इस प्रकार जनता को तंग कर सकते हैं । पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज' कमेटी का होना बहुत आवश्यक है और आनरेबल मैम्बर्ज को यह मौका मिलेगा कि वे समय समय पर यह देख सके कि सरकार ने जो इन कार्पोरेशंज को लाखों करोडों रुपया दिया हुआ है उसका संचालन वे किस प्रकार से कर रहे है । अन्त में मैं यह कइसा कि इन कार्पोरेशज के जो चेयरमैन होते हैं वे या आई0 ए0 एस0 आफिसर होते हैं या जैसे इस नई सरकार ने किया है कि एम0 एल0 एज0 को चेयरमैन बनना शुरू किया है, मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि जो टेवनीकल नेचर की कार्पोरेशज या बिजनैस कन्सर्न है जिनसे सरकार यह आशा करती है कि वह मार्किट में जाकर हरियाणा सरकार के लिए धन कमाएगी, ऐसे अदारों के जो चेयरमैन हों, वे उसी स्पीकर या. उहींक्षेयब्र केहों जिनसे वे ताल्लुक रखते हों । मेरा कहने का अभिप्राय है कि यी जो कमेटी बनेगी और उसको जो कन्ट्रोल इन कार्पोरेशंज तथा बोर्ड्ज को करने का मिलेगा उससे बहुत बड़ा चौक होगा और सरकारकी

आमदनी भी बढेगी । पिछले दिनों मुझे पता लगा कि डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन ने सरकार से साढ़े तीन करोड़ रुपए लिए हैं । मैंने पूछा' 'कि इसमें से वापिस कितना स्कइया है तोबताया गया कि यह काप्रोरेशन 96 लाख के घाटे पर चल रही है । इस कमेटी को मौका मिलेगा कि वे इनके काम को अच्छी तरह देख सके ' ऐस्टीमेट कमेटी के लिए सारे डिपार्टमैंट के काम को देखना और उनको स्क्रटीनाईज करना असम्भव था इसलिए मंत्री महोदय को मैं फिर एक बार मुकरिकबाद देना चाहता हूं कि उन्होने यह कमेटी बकने का प्रस्ताव सदन में रखा है ।

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कोई ज्यादा बात ढ़हने नहीं जा रहा हूं । श्री वीरेन्द्र सिंह ने इस कमेटी बमाए जाने का अनुमोदन किक यह अच्छी बात हई लेकिन उन्होंने एम0 एल 0 यू 0 चेयरमैन बनाने की जो बात कही उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी सरकार ने एम0 एल0 ए0 चेयरमैन बनाने की परम्परा शुरु नहीं की । मेरे अजीज को शायद इतिहास याद हो सारे भ्रष्टाचार की वजह यही थी । हम तो मिनीमम कर रहे हैं । जहां कोई हमारा विधायक काबिल है उसको हम मौका देते हैं और रही बाते उनकी शंका की, उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव ला पे हो, हमें तो यह प्रस्ताव मजबूरी में अना पड़ा इस बारेमें हमने उसमें उल्लेख किया है कि हाउस के प्रोसीजर को बदलते में समत लगेगा और मेरे अजीज ने यह बात कह हीं दी उनकी बात मुख्य मन्त्री ने मान ही ली । मै

अपने माननीय सदस्यों व अपने अजीज दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि हम पिछली सरकार की तरह प्रैजुडिस नहीं हैं कि अपोजीशन की कोई बात माननी ही नहीं । हम अपने सभी भाइयों की जायज बात को, अच्छे सुझावों को मानने के लिये सदा ही तत्पर रहेंगे । हमारे में कोई अपना, कोई पराये वाली बात नहीं है, हम तो पब्लिक के इंट्रैस्ट में जरुर मानेंगे । हम कानुन में नहीं पड़े, सीधी प्रस्ताव ही ले आये । कुछ सदस्यों की तरफ से विघ्न) हरेक को मौका मिलनेवाला है, आप लोगों का नम्बर भी लगेगा । इस वक्त की शंका दूर करते हुए डिप्टी स्पीकर साहब' मैं निवेदन करूंगा कि जब सारा, सदन इस के पक्ष में है तो इसको पास कर 'दियां जाए.

Mr. Deputy Speaker : Question is-

"1. (a) That a Committee of the Haryana Vidhan Sabha to be called the "Committee on Public Undertakings" for the examination of the working of public undertakings be constituted consisting of nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote.

(b) That a Minister shall not be eligible for election as a member of the Committee and that if a Member, after his election to the Committee, is appointed as Minister, he shall cease to be member thereof from the date of such appointment.

2. That the functions of the Committee shall be

(a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Schedule and any such other public undertakings as may be referred to the Committee by the Speaker for examination ;

(b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Audit or General on the public undertakings ;

(c) to examine in context of the autonomy and efficiency of the Public Undertakings whether the affairs of the Public Undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices ; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the Public undertakings mentioned above as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time :

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely :—

(i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of public undertakings ;

(ii) matters of day-to-day administeration;

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a

particular public undertaking is established.

(3) that the term of the office of the members of the Committee shall not excee d one year.

(4) That the quorum of a sitting of the Committee shall be four.

(5) That in all other respects the Rules of Procedure of the Legislative Assembly relating to the Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make."

SCHEDULE

List of Public Undertakings

1. Haryana Financial Corporation, Chandigarh.

2. Haryana State Industrial Development Corporation, Chandigarh.

3. Haryana State Small Industries & Export Corporation, Chandigarh.

4. Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation, Chandigarh.

5. Haryana Agro Industries Corporation, Chandigarh.

6. Haryana Warehousing Corporation, Chandigarh.

7. 'Haryana Land Reclamation & Development Corporation, Chandigarh.

8. Haryana Seed Development Corporation, Chandigarh.

9. Haryana Dairy Development Corporation, Chandigarh.

10. Haryana Minor Irrigation (Tubewells) Corporation, Chandigarh.

11. Haryana Tourism Corporation, Chandigarh.

12. Haryana Harijan Kalyan Nigam.

13. Haryana Tanneries Ltd., Chandigarh.

14. Haryana Breweries Ltd., Murthal.

15. Haryana Matches Ltd., Yamuna Nagar.

16. Haryana Minerals Ltd., Narnaul.

17. Haryana State Electricity Board, Chandigarh.

18. Haryana Agricultural Marketing Board, Chandigarh.

19. Haryana Housing Board, Chandigarh.

20. Kurukshetra Development Board.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, इस सदन की ओर

से धन्यवाद का प्रस्तावपेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

That an Address be presented to the Governor in the following terms—

"That the Members of the Haryana Vidhan Saba bha in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 27th February, 1978. " (Interruptions).

डिप्टी सीकर महोदय, अभी मेरे एक दो साथियों ने कहा. कि मुझे हिन्दी में प्रस्ताव स्वन। चाहिये क्योंकि राज्यपाल महोदय ने भी हिन्दी में ही अभिभाषण पढ़ा था । मैं यह सम्झता हूं कि अशुद्ध हिन्दी में प्रस्ताव पेश करने की बजाये अंग्रेजी में ही पेश कर दिया जाये तो ठीक है डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इस प्रस्ताव पर बोलने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस पथ ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । सभी माननीय सदस्यगण ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों केबारे, उनकी नीतियों के बारे में रोशनी डाली है और साथ यह भी संकेत दिया है कि आइन्दा साल 7 8–79 में सरकर क्या–क्या काम करना चाहती है । क्या–क्या सरकार की योजनाएं हैं और विस किस योजना पर सरकार कितना कितना खर्च करना चाहती है । जिस वक्त आज से आठ महीने पहले जब इस. सरकार ने वागडोर संभाली थी, उस वक्त को हम सभी भली भांति जानते हैं कि उस ववत बया हालात थे सारे देश में एक भय

का बरूातावरण फैला हुआ था । संविधान के संशोधन पर चर्चा कें दौरान बहुत से महानूभावों ने कहा कि उस वक्त किसी को कोई आजादी नहीं थी, हर तरफ भय का वातावरण बना हुआ था, मानव अधिकारों का हनन हो रहा था । डिप्टी स्पीकर साहब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय सदस्य इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं क्योंकि सभी ओर से थोड़ी बहुत आवाज आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

चौधरी लाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि गवर्नर ऐड्रैस पर चर्चा कल और परसों दो दिन चलनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब आप बैठिये और जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का फैसला है उसको आप माने । **चौधरी रिजक राम :** मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी नही रहे है । मैं सरकार से कामों की समक्ष इस प्रस्ताव कें जरिये करना चाहता हूं लेकिन काफी मन्त्रीगण भी इस समय सदन से गैर–हाजिर है (विध्न) इसलिये मैं सब–से कम समय लेकर अपनी थोड़ी सी बातें सदन के सामने रखुगा । जिस वक्त मौजूदा सरकार ने सत्ता सभाली तो उस समय और कठिनाइयों के अलावा एक वित्त की भी कठिनाई थी । जैसे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि 37 करोड़ रुपया उस समय इस सरकार के जिम्मे था । हम सब यह भी

जानते हैं कि सत्ता समालने के थोड़े. असे के बाद ही इस प्रांत में इतभी क्यूंकद्र बाढ़ आई है वजह से अरबों रुपये का नुकसान हुआ । इससे फसलों का, जायदाद, का और मकानात का बहुत नुकसान हुआ । मैं इस बात को कहे बगैर नही रह सरकार और मेने माननीय सदस्य भी मानेंगे कि सरकार ने बाढ पीढ़ित लोगों की जो सहायता की आपने आप मे ही एक मिसाल है। जितना खर्च इस सरकार ने बाढ़ ,पीडितों की सहायता के लिये किया इतना खर्च आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह सरकार सरकार इस बात के लिये ये बधाई की पात्र है । आजादी के बाद यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने बात के लिये इतना भारी काम किया हे । आजादी मिलने से पहले हालात कुछ और थे जबकि हालात कुछ और थे जबकि ऐसे संकटो का सामना करने के लिये धनी लौग धन भी देते थे तथा और भी अनुदान देते थे जैसे कपडे से रजाइयों से यानी हर तरह से । लेकिन उसके बाद यह पहला मौका है जंबकि हमारे मुख्य मन्त्री जी, मन्त्रीगण तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों ने पार्टी एफिलिएशन सैं उठकर गांव–गांव में जाकर लोगो की सहायता की तथा अपने हाथ से कस्सी चलाई और टोकरियों में मिट्टी उठाई। इस काम में जो सहयोग लोगो का मिला भी अपने आप में एक मिसाल है डिप्टी स्पीकर साहब, आपने भी देखा और मैंने भी सुना कि लाखों की तादाद में लोगों 'ने इस श्रमदान के काम में हिस्सा लिया । लोगों ने न केवल हिस्सा ही लिया बल्कि धनी आदमियों ने' इस काम के लिये धन की भी सहायता की । मैं

समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी की ओंर सेतथा सरकार की ओंर से लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिये यह जो आभियान चलाया गया उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । सरकार ने यह सिद्ध कर दियाकि लोगों की तकलीफ दूर करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उसमें सरकारी कर्मचारी तथा जनता की भी जिम्मेदारी है । सरकार ने देश के सामने यह पहली मिसाल रखी है । डिप्टी 'स्पीकर महोदय, पिछले फाइनैंस कमीशन की यह सिफारिश थी कि कोई भी कैलेमिटी आए, चाहें बाढ से बाए, सूखे से आए या अकाल से आए उसके लिये सरकार की तरफ से जो सहायता दीं ' जाएगी वह कर्जे की शक्ल में होगी और अगले प्लान की– जो प्रोवीजन है उसमें उनकी कटौती होगी । हमारी सरकार ने इस मौके पर भी 11 करोड रुपये की मदद दी । इतनी रकम प्लानिग योजना से बाहर शायद ही कभी मिंत्री हो । देहात की जनता के साथ केन्द्रीय सरकार वे और हरियाणा सरकार ने जो सहानुभूति का सबूत दिया है इसके लिये सदन के मैंबर ही नहीं बल्कि हरियाणा की सारी जनता आभारी है । इसके साथ–साथ मैं यह भी उल्लेख करना मुनासिब समझता हूं कि सरकार जहां बाढ़ में और दूसरे संकटों में मदद करने के लिये जुटी हुई थो वहां हरियाणा में निहंगों ने बड़ा वातावरण खराब करने की कोशिश की और हरियाणा में कई जगहो पर जहां भी मौका मिला वहां उन्होंने नाजायज कब्जा करके हरियाणा के अमन–चौन को खराब करना चाहा। कई जगहो पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयत्न किया ही नही बल्कि कई जगह वे काबिज भी हो

गए । उनका ख्याल था कि वे हथियारों के बल पर वहां काबिज रह सकेंगे लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आश्वासन हरियाणा की जनता को दिलाया गया है कि कोई भी, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना शरारत पसन्द क्यों न हो लेकिन सरकार किसी की धमकी के सामने, किसी की शक्ति के सामने झुके गी नही (तालियां) इस बात के लिये भी सरकार धन्यवाद की पाल है । अभी अखवारों में आया कि सरकार इस मामले में जुडिशियल इन्कवायरी के लिये रजामन्द है । क्या उन लोगों के साथ सरकार ऐसा समझौता करेगी जो कानून को तोड़ते हैं या जो अपनी ताकत के जरिये बेजा हरकत करते हैं । क्या वह महज इस वजह से जुडिशियल इन्कवायरी करवा रही है कि पंजाब के मुख्य मंत्री या पंजाब का और कोई वजीर या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी इस बात की ख्वाहिशमंद है? अगर सरकार ऐसा करे गीतो उसका नतीजा अच्छा नही होगा । हम देख रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब, जहां ऐमरजैंसी लागू हुई, उस ऐमरजैंसी के दौरान, सरकार के आदेश पर अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अफसरों ने कार्यवाही की और उस कार्यवाही में जनता के साथ एक्सैसिज कीं, कई ज्यादतियां की जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी है । उन्होंने जो कार्यवाही की, उसके बारे में कमीशन तहकीकात कर रहे है । मैं रिवासा काण्ड के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां तक पीपली काण्ड के बारे में इस अभिभाषण में जिक्र आया है, इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं । जो कुछ पीपली में हुआ वह ठीक नहीं था । जो अत्याचार

परिवार नियोजन के नाम पर पीपली में हुए, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और वह देश के नाम पर एक कलंक है । यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की उसमें कोई भलाई की बात नहीं है । लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जैसा कि 25 जनवरी को मुख्य मन्त्री श्री बी0 डी0 गुप्ता ने इस सदन में बतलाई थी और जब मैम्बरों ने इतराज किया, आपत्ति की तो उन्होंने कहा कि अफसरान ने नाजायज काम किए, पुलिस ने मदाखलत की । जब सरकार का डण्डा उन अफसरों के 0पर था तभी किया और गुप्ता साहब ने इसी सदन में इकबाल किया कि जो जुल्म अफसरान ने किए उसके लिए वह जिम्मेवार हैं । सरकार ने उन अफसरान के खिलाफ इक्वायरी की, लाखों रुपये खर्च कर दिए और जो नतीजा है वह सबके सामने है । यह स्पष्ट है कि अफसरान ने जो ज्यादतियां कीं वह सरकार के डंडे से की । अगर इक्वायरी करनी है तो उन लोगों के खिलाफ करो जिनके डंडे की वजह से अफसरान ने गलत काम किए । उन के खिलाफ तो आप कार्यवाही करतेही नहीं और अफसरान को डीमौरेनाईज कर रहे हैं । इसका नतीजा यह है, डिप्टी स्पीकर साहब, कि अफसर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं । यहां के कर्मचारी कर्तव्य पालन की दृष्टि से सारे देश में माने जाते हैं, प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं लेकिन आज वे डीमौरेलाईज होते हैं ।

जहां तक पुंडरी का ताल्लुक है, आप उन निहंगों को खुश नहीं कर सकते । अगर उनको हौसला दिया तो हरियाणा का

अमन कायम नहीं रह सकता । मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात अखबारों में आई है, वह गलत साबित हो । इस मसले को कानून के मुताबिक डील करें और जो मजबूती सरकार ने आज तक दिखाई है इस मामले में, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देता हूं । इसी वजह से निहंग यहां खराबी नहीं कर सकते । हथियार लेकर चलना, सादा लिवास लोगों को देहातों में डराना, पुंडरी के आस पास के इलाके के लोगों को गुजरने में रूकावट डालना गलत बात है । हथियारों की सरकार ने जो इजाजत दी है, उसको देख कर वे अपना गलत मतलब पूरा कर सकते हैं । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जो आज तक मजबूती दिखाई है, वह आगे भी दिखायेगी और जो अखबारों में खबरें आई हैं, वे सब गलत साबित होंगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, और भी कई बातें कहने को हैं । गवर्नर साहब का अभिभाषण विस्तारपूर्वक है । हरेक बात का उसमें जिक्र किया गया है, हर चीज का जिक्र मैं करना नहीं चाहता । सरकार ने अब तक जो काम किए हें, कारगुजारी की है, उसके लिए मैंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में विवरण दे दिया है । मैं समझता हूं कि इतनी वित्तीय समस्या होते हुए, प्रान्त में रुपयेकी कमी होने के बावजूद बाढ़ का एकदम प्रकोप होने के बावजूद और दूसरी मुश्किलातें होनेके बावजूद सरकार ने जो काम किया है, उसके लिए वाकई ही सरकार बधाई की पाल है । इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में

संकेत किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ज्यादा ध्यान देना चाहतीं– है, उन लोगों की हालत सुधारना चाहती है और यह भी संकेत किया है कि लोगों को देहातों में काम देने के लिए कोटेज इंडस्ट्रीज या दूसरी इंडस्ट्रीज सरकार चालू' करना चाहती है । इसके अतिरिक्त गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में यह भी संकेत किया है कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है । मैं समझता हू कि सरकार की यह नीति बहुत सराहनीय है लेकिन साथही मैं यह सोचता हूं जो लक्ष्य सरकर ने अपने प्रोग्राम का बनाया है और अगले साल यह प्रोग्राम लागू करना है, वह जटिल है, इतना सरल, इतना आसान नहीं है जितना कि कागज पर लिख दिया जाता है । जहां तक देहात की आबादी का सवात है, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सवाल है, डिप्टी स्पीकर साहब, हम सब जानते हैं कि हरियाणा प्रान्त देहाती प्रदेश है जिमकी 85 प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है । शहर भी हैं लेकिन वे छोटे शहर हैं और मैं समझता हूं कि उन शहरों में भी बहुत से आदमी देहातों से जाकर बसे हुए हैं । 85 फीसदी आबादी देहात में बसने वाली है । डिप्टी स्पीकर महोदय, आपके सामने आंकड़े आए हैं और हम जानते हैं कि देहातों में बलने वाली आबादी के 70–72 प्रतिशत लोग कृषि पर अपना गुजारा करते हैं, खेती उनके रोजगार और गुजारे का साधन है । इसके इलावा देहाती लोगों के पास दूसरे साधन नहीं है । जो थोड़ा–बहुत काम था, जैसे लोहार का काम करते थे, जूती बनाने का काम करते थे, कपडा बुनने का काम करते थे या दूसरे छोटे–मोटे धंधे करते थे वे तो पिछली सरकार

ने, 30 साल से चली आ रही औद्योगिक नीति ने खत्म कर दिए । आज हम देखते हैं, चाहे कोई कुम्हार था जो बर्तन बनाता था, उसका काम बन्द है क्योंकि देहातों में भी चीनी और शीशे के बर्तन आ गये हें । जो लोहार का काम करता था वह बेकार है क्योंकि टैरक्टर और ट्यूबवैल्ज के काम में तो वह जानकारी नहीं रखता, वह काम कर नहीं सकता इसलिए वह बेकार है । जुलाहा है उसका काम भी बन्द है । आप देखते हैं कपडे के बडे बडे कारखाने हैं । देहातों में सब लोग बाटा की चप्पल, गुरगावी या दूसरी चप्पलें इस्तेमाल करते हैं । आखिर ऐसा क्यों है? क्या इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की हालत सुधारनी है? अगर ऐसा है तो इसमें कोई कठिनाई है या' नहीं है, इसका फैसला करना इतना आसान नहीं है कि सरकार इस प्रोग्राम को सिरे चढ़ाए । डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखें । देश को आजाद हुए आज 30 साल हो गए । 30 साल के अर्से में, जैसेकि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण मेंजिक किया है, कांग्रेस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की हालत सुधारने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं किला जो होना चाहिए । पहली योजना 52 से 57 तक थी, इस पर आप नजर डालें । इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने कृषि की तरफ ध्यान दिया । माईनर इरीगेशन स्कीम्ज शुरू हुई और सिंचाई के अन्य साधन जैसे टयूबवैल्ज आदि सरकार ने जुटाए । इसके परिणामस्वरूप कृषि की उपज बढ़ी और उसका असर यह हुआ कि सारे देश में पहली योजना के समय में कीमतें नही बढी बल्कि संतुलित हालत रही । लेकिन उसके बाद

अप्रैल सन् 56 मैं इंडस्ट्रियल पालिसी रैजोल्यूशन हिन्द सरकार ने पारित किया और उसमें बल दिया इस बात पर कि देश की तरक्की के लिए बड़े कारखाने लगाने हैं । उस रैजोल्यूशन पर अमल भी किया गया । आप देखेंगे कि दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजना में कृषि के लिए, यानि उस काम के लिए जिसमें 85 फीसदी देहात में रहने वाले लोग काम कर रहे थे और हैं वह धन राशि नहीं जुटाई गई जो कि लाजमी थी । केवल 18 फीसदी, 20 फीसदी और 23 फीसदी तक राशि उन प्लान्ज में ऐग्रीकल्चर पर खर्च करते पे । दूसरी और तीसरी योजना में ऐग्रीकल्चर सैक्टर की जो परिभाषा दी गई उसमें न केवल ऐग्रीकल्चर को बल्कि उसके साथ लगते हुए जो और भी अदायरे थे जैसे इलैक्ट्रिफिकेशन है, रोडज हैं, फारैस्ट है और ऐनिमल हसबैडरी है, उन सब पर सारी योजनाओं में टोटल प्लान का चौथा हिस्सा भी खर्च नही किया गया । यही नहीं बल्कि ऐसी नीति अपनाई गई जिससे खेती करने वाले लोग गरीब से गरीब होते चले गए । सरकार कुछ और कहती रही, बड़े बड़े दावे करती रही लेकिन दूसरी प्लान खत्म होने के बाद एक इकोनौंमिस्ट मिस्टर मिरडल मैटर ने जब यहांकी आर्थिक व्यवस्था का निरीक्षण किया तो उन्होने पहली मरतबा यह कहा, सरकार के सामने यह आकडे रखे कि अनप्रोडक्टिव खर्चा देश में बढ़ता जा रहा है, यानि जो तरक्की देश में हो रही है उससे गरीब आदमी को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है । उसके बाद काफी जांच पड़ताल

करने के बाद कितनी ही बार सरकार की तरफ से यह आंकड़े आए कि देश में 40 फीसदी लोग ऐसे रहते है जो बहुत गरीब हैं, जिनकी महीने की आय 30 रुपये और 27 रुपये है, जिनको रोजाना एक रुपया भी नही 'मिलता । सन 71–72 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डैट एंड इनवैस्टमैंट सर्वे की रिपोर्ट छापी । उसमें लिखा है 'कि देहात में क्लीयर डैस्टिच्यूशन है । उन लोगों की आबादी जो डैस्टिच्यूट्स की शक्ल में देहात में रहते हैं 43 फीसदी हैं । इसके बाद भी गवर्नमैंट नहीं संभली । देहात के लोगों को और गरीब बनाने के लिए योजना भवन में बैठे लोगों का दिमाग कुछ उल्टी 'दिशा में चला । उन्होंने 'किसान की पैदावार पर जोनल रिस्ट्रिक्शंज लगाई । कहा गया कि किसान अपने इलाके से बाहर अनाज नही ले जा सकते ताकि उसकी कीमत कम से कम रह । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा प्रांत दिल्ली से लगता हुआ है आज से दो तीन साल पहले की बात है । नरेला और दिल्ली में अढाई सौ और तीन सौ रुपये क्विटल तक गेहूं बिक लिया लेकिन हरियाणा में किसान को 76 रुपये क्विंटल के भाव से बेचना पड़ा । जहां लोगों ने गेहूं देने से इन्कार किया वहां सरकार ने छापे मारे, चालान किए और मुकदमें चलाए । यही नहीं, इस देश की और भी दुखदायी कहानी है सन 84 से पहले तक इस देश की हकूमत ने किसान की ओर बिल्कुल ध्यान नही दिया । हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन इसमें डिप्टी स्पीकर साहब फर्टिलाइजर के कारखाने नहीं लगे । जब अनाज की जरूरत पड़ी तो बाहर से मंगवाते रहे । बाहर से अरबों रुपये का अनाज मंगवा कर लोगों

को दिया लेकिन किसान की उन्नति के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया । आज भी मैं दु:ख के साथ महसूस करता हूं कि इस देश में जहां कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर ओर दूसरे कैमिक्ल्ज की जरुरत है, इम्पलीमैन्टस की जरूरत है किसानों की तरवकी कें लिये सस्ते इम्पलीमैंटस और फर्टिलाइजर नही बनता । आज ही सरकार ने एलान किया है कि साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का फर्टिलाइजर बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, कृपया समय का ख्याल रखियेगा । (विघन)

चौधरी राम लाल वधवा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पेश करने वाले और समर्थन करने वाले को काफी टाईम देना चाहिए ।

17.00 बजे

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संकेत दिया है कि सरकार कृ षि के लिए ज्यादा खर्च करना चाहती है । मैं समझता हूं कि यह चुनाव के वक्त किए गए वायदे की पूर्ति है । उस संकल्प को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा कदम है । इसके लिए सरकार सराहना की पाल है । (विघन) डिप्टी सीकर साहब, एक और बात का थोड़ा सा जिक्र करके मैं अपनी जगह ले लूंगा । देहात में सरकार जो छोटे उद्योग धन्धे शुरू करना चाहती है उसके लिए

यह मुबारिक की पाव है लेकिन इस बारे में मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि कई बार इस बात की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिंत्री । मुझे कई दफा इनका निरीक्षण करने का मौका मिला है । देखा यह गया है कि छोटे उद्योग धन्धों के नाम से, काटेज इंडस्ट्रीज के नाम से बड़े बड़े कारखानेदार फायदा उठाते हैं । वे सेल्ज टैक्स की माफी ले लेते हैं और ऐक्साइज डियूटी की माफी ले लेते हैं । बड़े कारखानेदार फर्जी छोटी फर्म बना कर अपना माल जो बड़े कारखाने में बनता है, वहां भेज कर, छोटी फर्म की मोहर लगा कर फायदा उठाते हैं । इसलिये मुझे इस बात का बड़ा संशय है कि सरकार शायद ही इस नीति को पूरा करने में कामयाब हो सके । देहात में आप लोगों को जो काम देना चाहते हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े कारखानेदार इन छोटे धन्धों को चलने नहीं देते । आज भी जितने अच्छे कारीगर देश में थे या हरियाणा प्रान्त में थे उनका धन्धा बिल्कुल खत्म हो गया है । इसका ध्यान आपको करना होगा । इसके अलावा यह जरूरी है कि जिनलोंगों को आप छोटे कारखानों में जुटाना चाहते है उनको कबलियत दें, उनको ट्रेनिंग दें । आज जो ऐजुकेशन आप स्कूलों मेदे रहे हैं, आई0टी 0 आईज या दूसरी जगहों में दे रहे हैं वह कहां तक हमारे लड़कों को या कारीगरों को इस काबिल बना रही है कि आप उन्हें एक इंडस्ट्रियल शैड दे दें और वे अपना काम चालू कर दे, यह देखने की बात है । याद रखिए कि जब तक ऐजुकेशन के सिस्टम को आप ओवरहाल नही करेंगे जब तक. उन लोगों को

सही टेरनिग नहीं देंगे, तब तक इस काम में घाटा ही घाटा है । आखिर में, डिप्टी सीकर साहब, मैं. सरकार को इस बात के लिए मुबारिकबाद देता हूं कि गहोने यह संकल्प किया है कि सरकार हर किनारे से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती हैं । मैं समझता हू कि यह कम सब से मुश्किल है परन्तु फिर भी सरकार इसके लिए क।टिबद्ध है, वचनबद्ध है और हम भी उम्मीद करते हैं किं सरकार इस प्रान्त को, इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दे । जब हम यहां पर दुबारा इकट्ठे होंऔर अगले साल जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो तो और भी ज्यादा अच्छे लफजों में सरकार को हम धन्यवाद दे सकें । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भ्रष्टचार ऐसी बीमारी है जिसको पूर्णत हटाना मुश्किल है । एक राइटर ने तो ऐसा लिखा है कि' उसको आप कैसे रोक सकते हैं, यह तो वही बात है कि होंठ के0पर शहद रख लो और 'फिर कहें कि इसको चूसो मत । इसको खत्म करने में बडी मुश्किलात है । कितने ही ढंग अपनाये जायें लेकिन रोक नही सकते हैं । ' किसी देश को उन्नत होना है, उन्नति के रास्ते पर चलना है तो कुछ भ्रष्टाचार बरदाश्त करना पड़ेगा । जब तक कोई देश दौलतमन्द नही हुआ तब तक वह प्रशासनिक् तौर पर सैटल नही. हुआ । अभी हमारे यहां से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ । डिवैत्यमैंट होगी तो कुछ भ्रस्टाचार को भी ओटना पड़ेगा । जल्दी फाईल को निकलवाने के लिए कभी कभी स्पीडी मनी' भी देना. पड़ता है । इसलिए इसको कतई तौर पर खत्म करना मुश्किल है । इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीति के बारे में

और सरकर की कारगुजारी के बारेमें जो जानकारी दी है उसके लिए मैं दुबारा उनका धन्यवाद करतेहुए अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए चौधरी रिजक राम जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव मूव किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हू । डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार के। बने हुए केवल आठ. मास हुए हैं । हम सब लोग भली प्रकार से जानते है किं आज से कुछ मास पूर्व इस देश के अन्दर बाबू जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समग्र क्रांति या सम्पूर्ण क्रान्ति आरम्भ की गई थी । उसका अर्थ है कि आर्थिक, राजनीतिक. तथा सामाजिक क्रांति । डिप्टी स्पीकर साहब समय क अभाव है, और भी बहुत से सदस्य साथी बोलना चाहते है, इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए इतना कहूंगा कि इस सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किये है उनका व्यौरा हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विस्तार से दिया गया है । वैसे तो यह अभिभाषण अपने आप में पूर्ण है । उसके 0पर कुछ कहने की आवश्यकता नही है । इसमें जौ भी बाते बतायी गई है उनकी जिम्मेदारी हमारे 0पर है । पहले तो हमने राजनैतिक क्रांति की और अब आर्थिक क्रांति करेंगे । हमारी सम्पूर्ण क्रान्ति का पहला चरण पूरा हुआ यानी देश में राजनैतिक' क्रान्ति पूर्ण. रूप से आयी । इस देश के अन्दर काग्रेस सरकार को कांग्रेस सरकार न कह कर इन्दिरा सरकार कहा जाता था और हरियाणा में बंसी लाल सरकार कही जाती थी । उस

तानाशाही को खत्म किया और देश के अन्दर जम्हूरियत आयी । राजनैतिक लोगों को स्वत लता मिंत्री, जम्हूरियत पुनर्जीवित हुई । लोगों के मानवीय अधिकारों का जो हनन किया था वह वापिस मिला । अदालतों को आजादी मिंत्री, प्रैस को आजादी मिंत्री । मैं जानता हूं कि और भी बहुत से लोग जो इस सदन में बैठे हुए हैं, जानते होंगे कि इस विधान सभा की कार्यवाही को प्रैस में वहीं आने दिया जाता था । मुझे पता है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों की बात अखबारों में नहीं आने दी जाती थी । वह इसलिए नही आने दी जाती थी कि कभी बाहर जनता को न पता लय जाये । वह सदन की चारदीवारी में ही रहती थी । इस तरह से छुटकारा पा कर हमें राजनैतिक क्रांति मिंत्री । आज हम उस राजनैतिक क्रांति को पूरा करने के पश्चात आर्थिक अति की ओर बढ़ रहे हैं । इस अभिभाषण में सभी उल्लेखनीय कार्यों के विषय में विस्तार से लिखा है परन्तु दों–चार कार्य हैं जो इस सदन में मैं बताना जरूरी समझता हूं । हम यहां पर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या कुछ वरने जा रहे है वह किसी से –छिपा हुआ नहीं है । जो हमारे छोटे–'छोटे अदायरे हैं जैसे नगरपालिकायें, मार्किट कमेटियां और पंचायतें, इनके द्वारा हमारे छोटे–छोटे कार्य होते थे लेकिन पिछली बंसी लाल की सरकार ने नगरपालिका के कानून के अन्दर यह प्रोविजन कर दिया कि तीन साल तक ऐडमिनिस्ट्रेर रहेगा और तीन साल तक इलैक्टिड लोग रहेंगे यानी तीन साल गुजरने के पश्चात चुनाव हुआ करेंने । अब हमारी' सरकार ने उस एक्ट को समाप्त करने के लिए और नया ऐक्ट

लाने के लिए एक कमेटी बना दी है । इस ऐक्ट में संशोधन करके चुनाव के जरिए नगरपालिकओं का अर्य चला करेगा । इसी प्रकार से पंचायतों के चुनाव भी' हमारी सरकार कराने जा रही है । इसके साथ ही मार्किट कमेटियों के बारे में भी आपने अभि–भाषण के अन्दर उसका जिक्र पढ़ा होगा, वहां पर पहले नोमीनेशन का जो तरीका था, वह बदला जा रहा है । इम्प्रूवमैंट टूस्टस, नगरपालिकाये और मार्किट कमेटियां या इसी तरीके से और भी जितने लोकतांत्रिक अदायरे थे, जो सही मायनों में देश को मजबूत करने के लिये, लोगों की शिकायत को ठीक रूप से सुनने के लियेहैं, उनकी शिकायतो को दूर करने केलिये जिनका बनना जरूरी था, उन सब के 0पर पहली सरकार ने अपने आफिसर्ज बैठा दियें थे, वहां पर अब इसी तरीके से चुनाव हमारी सरकार करवाने की सोच रही है । इस बात के लिये हमारी सरकार धन्यवाद की पात है कि उसने पिछले सारे सिस्टम को समाप्त करके लोकतन्त्र को नये सिरे से पुनर्जीवन देने के लिये चुनाव करवा कर उसे पुनजीवन देने जा रही है ताकि लोगों की शिकायतों को सही तरीके से दूर किया जा सके । (प्रशंसा) इसके साथही हम जानते हैं कि शराब बन्दी के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है । कुछ इलाकों के अन्दर हरियाणा में शराब बन्दी कर दी गयी है । चार साल के अन्दर जैसे भी'हमारी भारत सरकार की– ओर से हमे आदेश आयेंगे चाहे इस वजह से हमें कितना ही नुक्सान सान क्यों न उठाना पड़े हम इस प्रान्त के अन्दर शराब बन्दी को लागू करेंगे । ऐ सी. हमारी इस सरकार से आशा है । आपात

स्थिति की धांधलियों को बेनकाब करने के लिये और उन धांधलियों को समाप्त करने के लिये जिन लोगों ने उस राज के अन्दर जोर–जुल्म किया, धांधलियां कीं हमारी सरकार ने कमीशन बैठाये । उन कमीशनों की रिपोर्टस के आधार पर जिम्मेवार लोग कानून से बच नही सकेंगे हमें अपनी इस सरकार से इस बात की पूर्ण आशा है । हमारी सरकार उन रिपोर्टस के 0पर फौलो–अपऐक्शन भी ले रही है सरकार इसके लिये भी धन्यवाद की पात है । इसके बाद मैं अपनी सरकार ने जो आर्थिक क्रान्ति के अन्दर योगदान दिया है, उसका जिक्र करूंगा । पिछले 8 महीने के अर्से के अन्दर इस जनता पार्टी की सरकार ने जिसका नेतृत्व एक ऐसे किसान नेता के हाथ में है, जिन्होंने 35 साल हरियाणा को बनाने के लिये लगाये और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये अपना पूर्ण जीवन लगाया आर्थिक क्रान्ति के अन्दर पूरा योगदान दिया है । इस सरक्मर का' नेतृत्व एक,' मजबूत और निडर व्यक्ति चौधरी देवी लाल के हाथ में है जिनके नेतृत्व में हरियाणा की सरकर ने आर्थिक क्रान्ति का कार्यक्रम शुरू किया है । इस आर्थिक. कार्यक्रम ई। चन्द महत्वपूर्ण बाते मैं इस सदन के सग्मुख करना चांहूगा । सबसे पहली बात यह है जिससे यह सदन भली. प्रकर से परिचित है कि पिछली कांग्रेस सरकार जो बंसी लाल की कठपुतली. सरकार थी जब यहां से चुनाव में हारने के बाद मन्त्री तो हमारे लिये खजाना खाली छोड गयी मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद दूगा कि इसने वह 37 करोडरुपये का जो ओवरड्राफ्ट था बिना कोई भारी टैक्स के लगाये न केवल उस्को

ही समाप्त कर पायी है बल्कि इसने दूसरे कई उल्लेखनीय कार्य भी किये हैं । सन् 1970–77 के अन्दर हमारी सरकर की जो योजना थी वह 140 करोड़ रुपये की. थी सन् 1977–78 के अन्दर वह योजना 148 करोड़ रुपये की बनी । यह योजना हमारे। सरकार से पहली सरकार बनाकर गयी । प्लानिंग कमीशन से वह सरकार 1978– 77 की योजना के मुकाबलें 1977–28 के अन्दर केवल 5 प्रतिशत बढौत्तरी करवा पायीं । लेकिन यह सरकर जिसको अपना करोबार संभाले अभी 8 महीने ही हुए थे उस योजना को 2 10 करोड रुपये की प्लानिंग क्रूमीशन से स्वीकार करवा पायी है । इतना ही नही हिन्दुस्तान भर के अन्दर हरि याणा सरकर ही एफ ऐसी सरकार है जिसने दूसरी स्टेट्स के मुकाबले जो केवल 1 5– 20 प्रतिशत वृद्धि अपनी योजना में करवा पायी' हैं, 42 प्रतिशत वृद्धि प्लानिंग कमीशन से करवायी है । आप अन्दाजा लगाइये एक छोटी स्टेट होते हुए भी जहां दूसरी स्टेट्स की योजना में 1 5 या 20 प्रतिशत ही बढोत्तरी हुई है वहां हमारी सरकार 42 प्रतिशत बढ़ौत्तरी करवा पायी है । इससे हमें सैटर से ज्यादा मदद मिलेगी और उससे हरियाणा सरकार अपनी योजनाओं को तेजी. के साथ इम्पलीमैंट कर सकेगी ।

अभी भ्रष्टाचार की बात यहां पर हो रही थी । मैं. उसके बारे में कोई बहुत बड़े उदाहरण नही देना चाहता । हमारी सरकार और इस सदन के सभी सदस्य इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को समाज क्रने के

लिये किस प्रकार से कार्य किया है । हम सभी ग्रह भी जानते हैं कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बहुत बड़ी–बडी बातें किया करती थी और डिवैल्पमैंट के आर्थिक उन्नति के गीत गाया करती सी । लोग खड़े हों–होकर गीत गाया करते थे । पिछले 1 1 साल के अन्दर कांग्रेस के राज में जो अरबों रुपया बंसी लाल ने हरियाणा की उन्नति के लिये खर्च किया था उसका एक नजारा हमें अभी देखने को मिला जब हमारे हरियाणा का एक तिहाई हिस्सा' पानी के अन्दर डूबा हुआ था और दो तिहाई हिस्सा पानी के लिये तरस रहा था । उस समय आपको पता है इस तरह की तरक्की के गीत गाये जाते थे । आज हम 68 प्रतिशत हिस्सा इरीगेशन एप्ड पावर पर पर खर्च करने जा रहे हैं । इसी प्रकार से 12.50 करोड़ रुपया जवाहर लाल नेहरू प्रोजैवट के 0पर यह सरकार खर्च करने जा रही है । 10 करोड़ रुपया फरीदाबाद थर्मल प्रोजैक्ट के. 0पर और साढ़े 15 करोड़ रुपया पानीपत थर्मल प्लांट के 0पर खर्च करने के लिये इस सरकार की योजना है । हम यह बात भली भांति जानते हैं कि 70 प्रतिश्त से ज्यादा हमारी आबादी देहातों के अन्दर रहती है । कांग्रेस सरकार अपनी तरक्की के बहुत गीत गाया करती थी कभी हरिजनों की बात करती थी तो कभी देहातों की बात करती थी लेकिन आज हमारे सामने है कि हरियाणा के अन्दर आज उनका क्या हाल है? हम सब जानते हैं कि अगर हम हरियाणा को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो बिजली के खम्भे और तारे' लगाने से काम नही चलेगा बल्कि उसके लिये हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इसके

लिये हमारी सरकार ने जिसका नेतृत्व चौधरी देवी लाल जी यर रहे हैं, यह कहा है कि हम अगले दो साल के अन्दर इस समस्या को हरियाणा के अन्दर हल कर रेने । एक थर्मल प्लान्ट इसी साल के अप्रैल–मई मास के आत तक चालू हो जायेगा और दूसरा अगले साल के नवम्बर मास के अन्दर चालृ करने की हम आशा रखते हैं । मैं समझता हूं कि यह सरकर यहां पर इस बात का आश्वासन देगी कि हम बिजली की समस्या का हल 1979 तक कर लेंगे । इसी लिये हमने पावर एण्ड इरीगेशन के लिये 88 प्रतिशत रुपया रखा है ताकि हम बिजली की समस्या को हल करके बिजली हरेक को दे सकें सभी हम खेती में उन्नति कर सकते है और इंडस्ट्रीज के अन्दर उन्नति कर सकते हैं । हरियाणा कृषि प्रधान प्रान्त है और जब तक यहां पर बिजली औररू पानी की समस्या हल नहीं होगी– तब तक हम हरियाणा को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते । इसी तरीके से एक और उल्लेखनीय कार्य इस सरकार ने किया है । हम सब जानते है कि चुनाव के बाद हरियाणा के अन्दर सैलाब का कुछ प्रकोप आया । किस प्रकार से बाढ़ सें एक तिहाई हिस्सा हरियाणा का पीड़ित हुआ । उसके जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं उनका वर्णन यहां पर नही करना चाहता । आप जानते हैं कि एक तिहाई हिस्सा हरियाणा के अन्दर पानी के अन्दर डूबा हुआ था । 7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के अन्दर फसल सारी नष्ट हो गयी थी । फिर भी हमें जहां इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व महसूस होता है कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने जिस प्रकर से कार्य किया वहां मुख्य मंत्री ने सारा कार्य छोड़ कर इन

पीड़ितों की सहायता के लिये, खुद अस्वस्थ रहते हुए भी कार्य किया । एक एक स्थान पर गये, हजारों मन भूसा, हजारों मन गन्दम, लाखों रुपयों की रजाइयां उन इलाकों के अन्दर हवाई जहाज के जरिये, किश्तियो के जरिये लोगों लक पहुंचायी । मैं समझता हूं कि यह इस सरकार का द्राई काम था कि वह हुस प्रकार से बाढ़ के अन्दर पीड़ित लोगों की सहायता कर पायी और फसल भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई । इस बात का इस अभिभाषण में जिक्र आया है कि थोड़ी सी फसल पिछले साल के मुकाबले में कम हुई जबकि आपको पता ही है कि एक तिहाई हिस्सा बाढ़ के अन्दर डूबा हुआ था । इस सरकार ने 250 ट्रैक्टर लोगों से मांग करके उस धरती की बिजाई करवायी । यह हमारी सरकार ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है । अगला कार्य जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, वह यह है कि हमने हरियाणा के अन्दर श्रमदान का कार्य शुरू किया । इसके पीछे क्या भावना है? इसके पीछे दो–तीन बातें है जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस सरकर ने यह कार्य शुरूकिया । पहली बात यह है कि जहां–जहां गांव के अन्दर कोई ड्रेन बननी होती है, पहले क्या होता था कि अगर कई ड्रेन या बन्ध बनना होता था तो वहां लोगों के अन्दर झगड़ा होता था कि यह यहां से न गुजरे, मेरी धरती बीच में आ' जायेगी, मेरे खेत इसमें आ जायेंगे । लोग एम0 एल0 एं0 साहेबान या मंत्री साहेबान के पास पहुंचते थे । लेकिन अब आपने क्या देखा होगा किं वहां पर इस किस्म के एलाइनमैंट के झगड़े खत्म हो गये है । आज लोग खुद आगे आते हैं और

बड़े उत्साह के साथ कहते है कि यहां पर बाध बनाओ, मेरी धरती हाजिर है । यहां पर ड्रेन खोदिए, उसके लिए हम सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार है । दूसरी बात जो आज तक तीस साल के इतिहास में नहीं हुई । पहले मन्त्री और विधायक. चुनाव जीतने के बाद केवल विधान सभा या एम0 एल 0 ए 0 होस्टल के अन्दर दिखाई दिया करते थे । इस जनता सरकार ने पहली बार यह सोचा कि वे जनता से वोट लेकर आए हैं और जनता की समस्याएं किस प्रकार हल की जाने। चाहिए । वे एम0एल0एज0 और मंत्री अब जनता के बीच जाकर बैठते हैं, इसके लिए कोई पार्टी का सवाल नही । अपोजीशन को भी इस बात का मौका दिया गया । तीस साल के अन्दर यह पहला मौका था कि जनता के साथ हम सब मिलकर बैठे, उनके बीच में जाकर सब ने मिलकर टोकरी उठाई और काम किया और उसी मौके पर उनकी दूसरी समस्याएं सुनीं और उनको हल किया । यह बहुत बड़ी बात थी । जो जनता पार्टी ने वायदे किए थे उनको पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं । कांग्रेस सरकार समझती थी कि जो कुछ करना है वह सरकार ने ही करना है । उनका जनता से कोई मतलब नहीं है । लेकिन हम जानते हैं कि जब तक सरकार के साथ जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है । पिछली बातें हमारे सामने हैं । हमने जनता को यह ज्ञान कराया कि जब तक जनता का सहयोग सरकार के साथ नहीं होगा कोई भी सरकार सफल नही हो सकती । हमने जनता के साथ मास कान्टेक्ट किया, हम जनता के बीच में गए, हमने उनको समझाया

कि जो भी कार्य हम करेंगे अगर उसके अन्दर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो वह सफल नहीं होंगा । यही कारण है कि हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है । हमारी भावना यही है कि सारे काम जनता और सरकार के सहयोग से चलते रहें और जनता के अन्दर काम करने की और सरकार को सहयोग देने की भावना सदा जागृत रहे । इसके साथ ही साथ सरकार ने एक और उल्लेखनीय काम किया है कि इस छोटे से आठ नौ महीने के अर्से में ही जनता सरकार वर्ल्ड बैक से 170 करोड़ रुपया लेने में सफल हुई है । यह रुपया चार साल में लिया जाएगा । जब मैं विरोधी पक्ष में बैठा करता था तो मुझे अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस सरकार वर्ल्ड बैंक से कोई मामूली रुपया ही ले पाई लेकिन इस जनता सरकार ने इतनी बड़ी राशि वर्ल्ड बैक से लेने में सफलता प्राप्त की है । उसमें से अस्सी करोड़ रुपया डायरैक्ट प्लान के अन्दर खर्च किया जा रहा है और 90 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम के अन्दर खर्च करने की योजना है । इसी प्रकार से पचास करोड़ रुपया यमुना कैनाल और भाखडा कैनाल पर खर्च होगा जिससे पन्द्रह सौ क्युसिक पानी की बचत होगी और एक लाख 36 हजार पांच सौ हैक्टेयर जमीन में सिंचाई ज्यादा मिलेगी और हम नौ करोड़ 51 लाख रुपए की अतिरिक्त फसल अगले साल के अन्दर प्राप्त कर पाएंगे । यह सरकार का बहुत बड़ा काम है । वर्ल्ड बैक से इतनी भारी सहायता प्राप्त करना यह कोई मामूली काम नहीं है । छटा उल्लेखनीय काम जो इस सरकार ने किया है वह यह है कि हरियाणा की उन्नति के लिए,

हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की बिजली और पानी की समस्या की हल करने के लिए, हरियाणा की प्रगति के लिए चूंकि पानी और बिजली बहुत आवश्यक है इसलिए सरकार ने नाफथा–झाकरी प्रोजैक्ट हिमाचल सरकर के साथ बनाने. के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से स्वीकृति हासिल कर ली है । इस बात के लिए हरियाणा सरकार और मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं । 58 करोड़की लागत से जमुना हाइडल प्रोजैक्ट लगाने की सरकार की योजना है जिसकी मन्जूरी प्लानिंग कमीशन से ली जा चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि देहात के अन्दर रोजगार की कमी है और इसका नतीजा यह होता है कि देहात से नौजवान शहर की तरफ भागते हैं और शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं । देहात में रोजगार देने के लिए रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की योजना आरम्भ वरने की ओर गौर किया है । इस योजना के अंतर्गत किसी भी देहात के चार व्यक्ति मिलकर उस योजना के अन्दर भाग ले सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री वे लगा सकते हैं । एक लाख रुपया इसमें मिलेगा और लगाने वाले को केवल दस हजार रुपया देना पड़ेगा' बाकी रुपया बैक' से मिलेगा । जो रुपया मिलेगा वह बहुत कम सूद पर मिलेगा । हम इस योजना को देहाती एरिया में प्रोत्साहन. दे' रहे हैं । जिससे देहात के लोग शहर की ओर न भागें और वहीं बैठकर अपना काम कर सकें । योजना की दृष्टि से हमारी सरकार इस बात के लिए सर्वे

करवा रही है । उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ के अन्दर जाकर मुझे यह जानकारी मिंत्री कि वहां पर एकं मारबल का पहाड़ है । वह जयपुर से लगता हुआ है । राजस्थान के लोग पहाड़ से पत्थर काटकर मूर्तियां बनाते हैं और वे मूर्तियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के अन्दर जाती हैं । हरियाणा सरकार महेन्द्रगढ़ के अन्दर इस प्रकार का एक सैन्टर खोलकर और वहां पर ट्रेनिंग देकर लोगों को रोजगार के अवसर देना चाहती है जिससे वहां के गरीब लोगों को रोजगार मिल सके । योजना बोर्ड की' ओर से सारे हरियाणा के अन्दर सर्वे किया जा रहा है कि. किस–किस जिले के अन्दर कौन–कौन सा रा–मैटिरियल मिल सकता है ताकि सरकार द्वारा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि लोग अपने तौर पर कार्य कर सकें । छोटे–मोटे धन्धे लोग शुरू कर सकें । सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है कि हरियाणा के देहात के बेरोजगार लोगों को कुछ काम दिलाया जाया सके । सरकार इस बात के लिए भी धन्यवाद की पाल है ।

आठवां उल्लेखनीय काम जो इस सरकार ने किया है उसका थोड़ा सा उल्लेख मैं करुंगा । उसके बारे में मैं ज्यादा शब्द न कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि पीछे हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस सरकार थी और सैन्टर में भी कांग्रेस सरकार थी । उस समय के गढे मुर्दे आज उखाडे जा रहे हैं । कहीं चंडीगढ़ का मसला उठाया जा रहा है, क्हीं अबोहर फाजिल्का का मसला उठाया जा रहा है और दूसरे कई

प्रकार के मसले उठाए जा रहे है । उस वक्त सब जगह कांग्रेसकी सरकार थी लेकिन उस समय ये भाई उन निर्णयों को लागू नहीं करवा सके । आज उन्हीं मसलों को उठाकर हरियाणा और पंजाब के सम्बन्धों को खराब करना चाहते हैं । कुछ निहंगों ने भी कुछ बाते उछालने की कोशिश की है । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नही कहना चाहता । मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज सैन्टर में जनता सरकार है, दोनो प्रान्तों में भी जनता सरकार है और पंजाब के मुख्य मन्त्री अरैर हरियाणा के मुख्य मन्का दोनों एक दूसरे से –बहुत अच्छी तरह परिचित हैं । पोलिटीकल जीवन के अन्दर क्होने मिलकर काम किया है । मैं समझता हूं किं उनके नेतृत्व के अन्दर यह मसला भी सैक्रिटरियेट के कमरे के अन्दर हल हो जाएगा, सड्कों पर नहीं ।

सतलुज यमुना लिंक के बारे में आपने अखबार में पढ़ा होगा और सतलुज यमुना लिंक जो पजांब के पोर्शन से आनी है उसका उद्घाटन शीघ्र– ही हो जाएगा । जो काम बंसी लाल पिछले ग्यारह साल में न कर सका, हमें विश्वास है कि हमारे मुख्य मन्दी उस काम को शीध ही पूरा करने में सफल होंगे । इसके साथ–साथ मैं कुछ विशेष न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हरियाणा की राजनीति के अन्दर बहुत से लोग बहुत सी बाते करने लगे है । हम जानते हैं कि जनता सरकार नई है और इस नई सरकार ने अपने कार्यों से ही जनता के अन्दर विश्वास पैदा करना है । कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कुछ गड़बड़

हो । जाटों से कहते हैं कि व्यापारियों की हकूमत है, कहीं व्यापारियों को बहकाते हैं । मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर बैठे हुए विधायक इस बात को भली प्रकार से समझते है कि 210 करोड़ रुपए का प्लान हमने चलाना है । हम समझते हैं कि अगर हरियाणा का विकास करना है तो उसके लिए रिसोर्सिज जुटाने हैं । हमारी सरकार किसी तबके के खिलाफ नही है । जब भी किसी तबके के लोगों ने अपनी कठिनाईयां बताई और मुख्य मंत्री से मिलना चाहा, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने खुले दिल से समय दिया । उनके साथ विचार विमर्श. किया । टैक्स रिव्यू कमेटी और दूसरी कमेटी हमने बनाई है जो सारी बातों को देखेगी । पिछली सरकार ने प्लानिंग कमीशन के अन्दर नौ करोड़ रुपए के रिसोर्सिज पूरे करने की बात कही थी । वह सरकार तो राम नाम सत करके चली गई । कुछ नए टैक्स लगाने पड़े हैं । हम समझते हैं कि सरकार उन पर विचार कर रही है । किन टैक्सों को कम किया जा सकता है, किनको वापिस लिया जासकता है इस पर सरकार गौर कर रही है । मैं समझता हूं कि आने वाले बजट के समय वित्त मन्त्री महोदय उसके बारे में अपने विचार इस सदन के सामने रखेंगे । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं करनाल का विधायक होने के नाते आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हू कि करनाल एक खुशहाल इलाका है उसका पानी दूसरे इलाकों में ले जाया गया है, खैर वे भी अपने ही इलाके हैं लेकिन इस के साथ साथ इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वह इलाका बर्बादी की तरफ न जाए । मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान देगी

। डिप्टी सीकर साहब, करनाल की एक दो और जरूरतें हैं, करनाल–मेरठ रोड पर एक पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है, अगर यह पुल बन जाता है तो इस से यू 0 पी0 और करनाल का इलाका मिल जाएगा और हरियाणा की प्रगति में यह कार्य और सहायक होगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी । इस के साथ साथ मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि करनाल एक ऐसा शहर है जहां ऐग्रीकल्चरल एम्पलीमैन्टस की कमी नही है, सारे हरियाणा का 173 हिस्सा करनाल में ही' है । अत सरकार से मेरा निवेदन है कि करनाल को इंडस्ट्रियल टाउन करार दिया जाए ताकि वहां पर इंडस्ट्री पनप सके, जिससे लोग फायदा उठा सके । इंडस्ट्री जो है इसका देहातों के साथ सम्बन्ध है, किसानों के साथ सम्बन्ध है, अगर इंडस्ट्री पनपेगी तो वहां पर बहुत से लोगो को नौजवानों को, जोकि बेरोजगार फिरते हैं, कारोबार मिल सकेगा । इन शब्दों के. साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं और डिप्टी स्पीकर साहब, आपने चूंकि मुझे बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That an Address be presented to the Governor in the following terms—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor

for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 27th February, '978."

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर साहब के ऐड्रैस, जोकि इस हाउस में कल पेश किया गया, पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस समय पंजाब और हरियाणा में बहुत से लोग हैं जिनके साथ हम इकट्ठे जेल में रहे हैं । मैं और तुड साहब इकट्ठे जेल में रहे हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है । आज हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार है और आज हरियाणा को बने तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और इस हरियाणा को बनवाने में हमारे पूज्यनीय मुख्य मन्त्री जी का पूरा पूरा हाथ रहा है, वे ही इस हरियाणा के निर्माता हैं । (प्रशंसा) अगर कांग्रेस सरकार पिछले 12 साल तक हरियाणा और पंजाब के बंटवारे को मुकम्मल न कर सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि जनता सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठो रहे । इस तरह चुपचाप बैठे रहने से हमग्रे हालात और बिगड़ रहे हैं । पंजाब में बार बार मरण व्रत रखे जा पे हैं जिसके कारण उन्हें कुछ फायदा हो जाता है । लेकिन अब हरियाणा में भी सूर्य दैव और दूसरे साधुओं ने मरणव्रत रखे हैं क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि चण्डीगढ का फैसला शीघ्र से शीघ्र हो और शाह कमईशन की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाये । जो हिन्दी स्पीकिंग इलाके हैं उनको हरियाणा में शामिल किया जाना चाहिये और पंजाबी स्पीकिंग इलाके पंजाब को दे देने चाहिये लेकिन यह काम तभी हो सकता है जब हमारे मुख्य

मन्त्री महोदय और बादल साहब जो कि आपस में बड़े पक्के दोस्त हैं, पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, दोनों इकट्ठे बैठकर, एक ही टेबल पर इसका जल्दी से जल्दी फैसला करें । ऐसा हरियाणा और पंजाब दोनों के फायदे की बात है। यह नहीं होना चाहिये कि हम चुपचाप बैठे रहें और दूसरी तरफ से पोलिटिकल इशू बनाकर इसको बढ़ाया जाये । मैं तो यह कहता हूं कि इस बात को भी गवर्नर ऐड्रैस में ऐड किया जाना चाहिये था और शाह कमीशन की रिपोर्ट पर शीघ्र अमल करवाना चाहिये । वह शाह कमीशन जो आजकल ऐमरजैन्सी की ज्यादतियों की इन्कवायरी कर रहा है कि कौन कसूरवार थे, जो उस कमीशन की रिपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर इन टोटो लागू किया जाये । जो हमारे हक हैं वे हमें अवश्य मिलने चाहिये और जो पंजाब के हक हैं वे उन्हें मिलने चाहिये । पंजाब हमारा बड़ा भाई है । हमारे मुख्य मन्त्री महोदय की' बादल साहब से दोस्ती है पर दोस्ती का यह मतलब तो नहीं कि हम अपना हक छोड़ दें, यह बात हमें मन्जूर नहीं है । जैसे एक्य मां के चार बेटे हैं, वे एक खूट के 0पर खून खराबा कर देते हैं । आखिर जमीन का बंटवारा तो होगा ही । इसका मतलब यह तो नही कि हमारी बादल साहब के साथ दोस्ती है और हम थोडी सी दोस्ती के लिये अपना हक छोड दें । यह बात हमें बिल्कूल मन्जूर नहीं होगी । तो मेरी मुख्य मन्त्री महोदय से अपील है कि वे जल्दी ही इस मामले को निपटाने की कृपा करें । इस मामले में हमारा सब का पूरा पूरा सहयोग उनके साथ है । जैसे एक बार

पीछे हम हरियाणा के लोगों ने दिल्ली में 10 लाख का जलूस निकाला था कि चण्डीगढ हमें दिया जाये'

उस समय सारा हरियाणा डटकर वहां गया था उसी तरह हम अब भी सरकार के साथ हैं । दोस्ती तो अवश्य है, पर दोस्ती की हद होती है, दोस्ती का मतलब यह नही कि हमारा नुकसान होता रहे । डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पंजाबी हरियाणा में सेकिण्ड लेंग्वेज है । इसको तब तक हरियाणा में सेकिण्ड लेंग्वेज के तौर पर लागू न किया जाये जब तक कि हिन्दी बोलने वाले इलाके हरियाणा में नही आ जाते और हमारा बंटवारा पक्का नहीं हो जाता । ऐसी बात नही है कि हमें अपने पड़ोसी भाईयों से कोई नाराजगी है, पंजाब में हमारी रिश्तेदारियां भी हैं छोरे छोरियां ब्याह रखी हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने हक को छोड़ कर बैठ जाए । जल्दी से जल्दी पीसफूली इन मसलों को हल करना ही चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर ऐड्रैस में गर्ल्ज ऐजुकेशन के 0पर जोर दिया गया है । यह एक बहुत अच्छी बात है क्योकि एक लडका अकेला पड़ता है और अगर एक.. लड़की पढ़ती' है तो उसके कारण एकं कुनबा पढ़ जाता है । मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि इसके साथ–साथ गांव–गांव में प्राइमरी तक की शिक्षा इस साल से ही लागू की जाये और उसका सारा खर्चा पंचायतों के 0पर डाल दिया जाये । पंचायतें बहुत जमीनें लिये बैठी हैं ।

चन्दा इकट्ठा कर सकती हैं, और भी मदद कर सकती हैं । इसके साथ–साथ मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लड़कियों की ऐजुकेशन के साथ लड़कों की ऐजुकेशन की तरफ पूरा पूरा ध्यान दिया जाए और लड़कों की ऐजुकेशन कुछ इस ढ न की होनी चाहिये ताकि पढाई पूरी करने के पश्चात् वे रोजगार आसानी से प्राप्त कर सके । बेरोजगारी हल करना कोई मामूली. बात नहीं है, इसमें सरकार की मजबूरी है, लेकिन यहां बड़े बड़े लीडर, मुख्य मन्त्री. महोदय, डा 0 मंगलसेन जी जैसे बैठे हैं । ये कांग्रेस सरकार से कहा करते थे विरू नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दो । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, हमारा भी कुछ हक कहने का है, हमारी भी कुर्बानियां हैं, सरकार को चाहिये कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाए ताकि उनको बरबाद होने से बचाया जाए । इस बारे में सरकार कोई न कोई हल निकाले । सरकार को चाहिये कि कोई नये नये महकमे खोले ताकि छोरों को नौकरियां मिल सकें । पिछली– सरकार ने अपने बहुत से छोरे अफसर बना 'दिये थे । इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि जो हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन में आई0ए0एस0, आई0सी.0एस0 बड़े बड़े अफसर आये हुये हैं, वे सभी सैन्टर के हैं । सैन्टर मजबूत है, सैन्टर के पास कफी पैसा है, उन्हें वापस भेज देना चाहिये ताकि हमारी स्टेट हैवी खर्चे से बच सके । बड़े अफसर रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे दो छोरे ही काम निकल सकते हैं । मैं तो बल्कि यह कहूंगा किं पहले 2 1– 21 और 25–25 वजीर हुआ करते थे आप

भी 10– 15 वजीर और बढा लें ताकि वे मौके पर जाकर लोगों की शिकायत सुन सके और अगर ऐसा होगा तो लोगों को इससे सस्ता न्याय मिलेगा । एक हजार या पन्द्रह सौ कोई ज्यादा तन्खाह नही है इसलिये कुछ स्टेट मिनिस्टर बना लो और कुछ डिप्टी मिनिस्टर बना लो । अब क्या होता है कि लोग छोटी छोटी बात के लिये चण्डीगढ भागते हैं यहां न तो कोई उनकी भाषा समझता है और न कोई उनकी बात सुनता है इसलिये जरार वजीरों की संख्या आप औत बड़ा लें तो वे यह काम गांवों में ही जाकर कर सकेंगे । जो मौजूदा वजीर हैं इनके पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन ये भी जब कभी कोई काम करते हैं तो अपने अपने हल्के में ही ज्यादा जोर देते हैं दूसरे हल्कों में बहुत कम जाते हैं । डाक्टर साहब कैथल कभी भूल कर भी नही आए जबकि इनका रोज का रोहतक जाने क्र दौरा पड़ता है । (विघन) इसलिये मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि अगर वे वजीर और बढ़ा दें तो सैक्रेटेरिएट में जो लाखों रुपये का खर्चा होता है वह बच जाएगा ।

इसके अलावा 'डिप्टी स्पीकर साहब, यहां नारा दिया जाता है कि हरियाणा में किसानों की सरकार है लेकिन चौधरी साहब इस बात को महसूस ही नही करते क्योकि किसान जितनी भी चीजे पैदा करते हैं उनकी कीमत आज नीचे की तरफ जा रही. है । आज गन्ना ठोकरे खाता फिरता है, गुड़ की कोई पूछ नहीं है । कोहलू चलने से पहले कैथल की मंडी. में गुड़ का भाव 150

रुपये क्विटल था लेकिन आज वही गुड़ को कोई 50 रुपये क्विटल में लेने को तैयार नही है । इस इलाके में कोई और पैदावार तो हुई नहीं थोड़ा, गन्ना हुआ था उसका भाव भी क्रशर वालों ने सात रुपये कर दिया है । आज अगर आप देखे तो जो सूखी लकड़ी है उसका भाव भी बीस रुपये क्विटल है । वहां के लोग बेचारे रो रहे है क्योकि उनको उनकी जिनस के भाव ठीक नही मिल रहे हैं । इसके मुकाबिले में अगर शहर में थोड़ी– सी बात हो जाती है तो हंगामा मच जाता है । शहर में आप किसी चीज को ले लें, दुकानदार अपनी मर्जी के भाव लेता है केबिन उस पर कोई पाबन्दी नहीं है । इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे हर दुकानदार को चीजों के भाव उसकी दुकान के बाहर लटकाने की हिदायत दें । हम लोगों को जो इस सरकार से उम्मीद थी वह उम्मीद हमारी कम होती जा रही है । साउथ में इलैकशन के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे मुझे तो डर है कि अगर वह डाकन फिर आ गई तो डाक्टर साहब हमारे साथ वही सलूक होगा, मुझे फिर अरपके साथ मरना पड़ेगा । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा किं अगर कांग्रेस ने गल्तियां की हैं

चौधरी पीर चन्द : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि इनको डर क्यों लग रहा क्या ये इधर आना चाहते हैं? (विध्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मुसीबत में तो हर कोई साथ मांगता है लेकिन जब लड्डू खाने का मौका आता है तो अलग

कर देते हैं । (हंसी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि जो गल्तियां कांग्रेस ने की हैं वह हमें नहीं करनी चाहियें । इसलिये मैं कहूंगा कि दूसरे सूबों में जो इलैक्शन हुए हैं उनका असर यहां नही पड़ना चाहिये और अगर असर पड़ गया तो पता नही उसका क्या नतीजा होगा ।

इसके अलावा आज यहां पर ऐमरजैसी का भी जिक्र किया गया । ऐमरजैसी में बहुत जुल्म हुए और डाक्टर साहब को भी पता है कि ऐमरजैसी के दौरान जब हम जेल में बन्द थे तो हमें अपने बच्चों तक को मिलने नही दिया गया । हमने इतनी तकलीफें उठाई फिर भी उसका बदला नही उतारा गया । मैं तो चाहता हूं कि ऐमरजैसी लगाने वालों को जिन्होंने हमें फालतू जेल में रखा था, पूरी सजा मिलनी चाहिये । मैं शायद यह कहने में गल्ती नहीं कर रहा हूं कि जिस आदमी ने डिक्टेटरशिप की मोहर लगाई कि कोई अदालत में नहीं जा सकता उसी को आज भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया है । यह मसला वैसे तो केन्द्र का है लेविन हमारे साथ जुल्म किया है उससे बदला लेना चाहिये । उसको उसकी. सजा जरूर दी' जाए एये बि.' जुल्म करना पाप है और जुल्म को सहना महा पाप है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं किसान की चीजों की बात कर रहा था उसके बारे में मेरा निवेदन यह है किसान की चीजों के चाहे सरकार खरीदे 'वाहे शराब के कारखाने वाले खरीदे लेकिन किसान को रसकी चीज की पूरी

कीमत मिलनी चाहिये । सरकार को गुड़ का भाव 1 50 रुपये क्विटल देना चाहिये वरना किसान बच नही सकेगा ।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । आई0 पी 0 एम0 साहब बैठे हुए हैं । बिजली वालों ने बिल्कुल गदर मचा रखा है क्योकि बिजली फ्लैट रेट नही है । अब क्या होता है कि किसान बेचारा अनपढ़ है उसको किसी चीज का पता नही हे । बिजली वालों की मर्जी है चाहे किसी का बिल बढ़ा दें और चाहे पिसी का घटा दें । इसलिये बिजली का फलैट रेट होना चाहिये ताकि गरीब किसानों पर यह जुल्म न हो सके । दूसरी एक मीटर की बीमारी है । मेरे 0पर भी 2 5— 30 रुपये ठोक' दिये हैं । जब मैंने पूछा कि यह किस बात के हैं तो उन्होंने बताया कि आपका मीटर डैड हो गया' है । मैंने उनको कहा कि आप मेरे 0पर भी यह ज्यादती कर रहे हो तो अनपढ़ किसानों का क्या हाल होता होगा? मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मीटर का बिगड़ जाना कंज्मूयर का कसूर नही होना चाहिये । उसको मीटर के बारे में पता ही नही है, वह टैक्नीकल हैंड नही है । सरकर के जो टैक्नीकल हैड हैं अगर वे मीटर ठीक. नहीं रख सकते तो वे तनखाह किस चीज की. ले रहे है ' इसलिये मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि' मीटर का बोझ या तो सरकार बर्दाश्त करे या अफसरान बर्दाश्त करें जिनकी उन्हें चौक— करने की डियूटी. है । दूसरे जैसे मैंने पहले कहा कि बिजली फ्लैट रेट पर होनी चाहिये जैसे पंजाब में है । क्योंकि अफसर तानाशाह बने

बैठे हैं वे जिसको चाहें जितना बिल भेज दें और जिसको चाहें रियायत कर दें । इसलिये अफसरों का भी दिमाग ठीक करना चाहिये । अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो किसानों को बचाने वाला को नही है । इसके बाद मैं समाधि इशु के बारे में भी कहना चाहता हूं । उस समय जब यह झगड़ा चला तो मैं तो अपने किवाड़ भेड़ कर बैठ गया था क्योकि मैंने तो पहले ही बहुत जेल काट ली है । जब तक मुझे डी0 सी0 साहब और एस0 पी0 साहब ने समझता करवाने के लिये नही क्हा मैं नजदीक नहीं आया । जब हालात बहुत खराब होने लगे! हिन्दु सिक्खों में टैनशन हो गई तब मैंने लोगों को कहा कि हिन्दु सिक्ख एक ही हैं बल्कि सिक्ख भाई हिन्दुओं से निकले हैं । हममें फर्क ही क्या है अगर किसी ने दाढ़ी रखी है तो वह सिक्ख है और अगर दाढ़ी नहीं है तो वह हिन्दू है । मैंने उनको समझाया कि हमारा आपस में लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नही होता । इसी बात के 0पर वहां के सरदार भाई मेरे साथ आए और मैंने उनको डाक्टर साहब से मिलबाया । उन्होंने कहा कि आप मजबूत स्टैंड ले और किसी क्स्मि की कमजोरी दिखाने की जरूरत नही है मुझे उम्मीद है कि सरकर इस मामले में कमजोरी नहीं दिखाएगी

मैंने तो शुरू से ही हिन्दू और सिक्ख में कोई अन्तर नही समझा । मैं तो पिछले कांग्रेस राज में एक महीना लौंगोवाल गुरुद्वारे में निहंगों के साथ काट कर आया था वहां पर एक महीना रोटी खाई । इसलिये वे हमारे दोस्त है लेकिन इसक मतलब यह

नही है कि वे हरियाणा में आकर गड़बड़ करे । उन दिनों मै पुलिस के जवानों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा और उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया । उन दिनों में बरसात भी हो रही थी, ओले पड रहै थे और सर्दी भी बहुत अधिक थी लेकिन फिर भी वे अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाते रहे । भगवान का शुक्र है कि जनता और वे जवान हर तरह से कन्ट्रोल में रहे वरना अगर थोड़ा सा भी इशारा मिल जाता तो पता नही क्या होता । वह झगड़ा ऐसे ही नही बढ़ाना चाहिये क्योकि वह डी0 सी0 साहब की जायदाद है और उस पर चाहे वे लाइत्रेरी खोलें या कोई और जनता के हित की बात करें । निहंग भाइयों को वह कह सकते हैं कि यहां से उठ जाओ । उनको उठाना कोई मुशिकल बात नहीं है । पुंडरी की जो जमीन है वह शमशान की भूमि है । निहंग भाइयों से पहले उस भूमि पर लाला बालक सिंह बीजाई करता था, उसको भी वहां से निकालो । जब पिछले चार सालों से उस भूमि पर बच्चे गाडे जाते हैं, अब भी मुर्दे जलाये जाते हैं तो उसको वहां पर बीजाई करने का मोका क्यों दिया? ठीक है गलती हो गई लेकिन अब उस गलती को सुधारा जाए, ज्यादा लम्बा न किया जाए । निहग तो वहां से उठा दिए, वह मामला तो साफ हो गया लेकिन उस जमीन पर खेती करने वाले जो लोग हैं उनको भी उठाया जाए क्योंकि वह जमीन शमशान भूमि की जमीन है । इसलिए यहां से उन जमीदारों को उठाया जाए जिन्होंने कब्जा किया हुआ है । जहां तक निहंगों का ताल्लुक है, हम सन्ता सिंह के पास गए थे और उन्हे कहा था किं पुंडरी में मोर्चा न लगाएं ।

हम 'हिन्दू–सिख भाई–भाई हैं, एक ही मां के बेटे ई और ये भाई हम से निकले है । वहां तो वे मान गए कि मोर्चा नही लगायेंगे अगर लगाना है तो चण्डीगढ इशू पर लगा लो । खैर और भी कई दूसरी. बातें हैं, मैं इस मामले को ज्यादा लम्बा करने के हक में नहीं हूं क्योंकि यह पब्लिक के 'हित में नही है, इसको जल्दी खत्म दि,या जाए और बाहर के इन्टरफीयरेंस को बिल्कुल बरदाश्त न किया जाए ।

अब मैं मार्जिनल फार्मर्ज के बारे में कहना चाहता हूं । मार्जिनल फार्मर्ज जिन के पास 5–6 किल्ले जमीन है, उनके पढ़े लिखे लड़कों की जुडीशियरी भे सीट रिजर्व की जाए ताकि उनको भी. भविष्य में तरक्की' करने का मौका मिल सके । इनकी. सीट रिजर्व होंना चाहिए । इसके साथ ही साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब एच0सी0एस0 का ऐग्जाम होता है तो उस में 100 नम्बर का खड़ी–बोली का पर्चा रख दिया जाए ताकि बाहर से आने वाले कैंडीडेट्स हरियाणा में अफसर न बन सकें, हरियाणा के निवासी. एच0 सी0 एस0 बनें । इसलिए खड़ी बोली का 100 नम्बर का पर्ची होना चाहिए, जो पास कर जाए उसको अफसर लगा दिया जाए ।

इसके साथ ही साथ फ्लड की बात कही गई है । चौधरी साहब ने फ्लड के काम में बड़ी हिम्मत सें–काम किया और मालिक माफ हो गया, मेरे इलाके में भी आर्डर पहुंच गए हैं, लेकिन मैं सरकार से एक प्रार्थना करूंगा कि कैथल के इलाके में

सिवाये गन्ने से और कोई पैदावार नही होती। बूरी हालत हो गई है वहां पर, सब खेती बरबाद हो गईहै, लोग रिश्तेदारों के पास अपने डांगर ले गये, बड़ी खस्ता हालत हो गई । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां जो गन्ना पैदा होता है उसका इलाज करे और एक शूगर मिल चालू करें । पिछली सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की है कि जो मिल कैथल में लगनी थी उसको करनाल में ले गये । अब हमारा राज आ गया है इसलिये वहां मिल लगाएं । लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पंचायतों ने पैसा दिया, जब पैसा इकट्ठा हो गया तो मेरे भाई सुरजीत सिंह, जो मेरे से जबर– दसो, नाजायज तौर पर जीता हुआ डिक्लेयर किया गया था, अनफार्चुनेटली वे उस वक्त वजीर बन गये थे और उन्होने हमारे पेट पर छुरी चलाई थी और उस शूगर मिल को करनाल में ले गये । वह करनाल में चालू होगया, लेकि वह यहां कैथल में बननी थी । ठीक है चलती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज चौधरी साहब ने कमाल कर दिया यह सूचना देते हुए कि 5 शूगर मिले और चालू की जाएंगी लेकिन कैथल में खोलने की सम्भावना नही है । अगर पिछली सरकार ने हमारे साथ सौतेली मां का सलूक बरता है तो आप तो न बरतें, यह तो हमारी अपनी सरकार है । इसलिए कैथल में शूगर मिल होनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, किसान अपने बच्चों की हालत सुधार सकें । वहां पर किसानों का गन्ना खराब होने लगा है, एक और शूगर मिल की मन्जूरी भारत सरकार से ले लेंय जितने मिल होंगे उतनी ही हरियाणा की तरक्की होगी? प्रोडक्शन बढेगी, इसलिए वहां शूगर

मिल जरूर होनी चाहिए ताकि किसान अपने बच्चों की तरक्की कर सकें । वे पुश्तों से गुड़ की चाय पी रहे हैं, शूगर मिल लगने से कम से कम वे चीनी की चाय तो पी लेंगे ।

इसके अतिरिक्त प्राइबेट स्कूल और कालेजों की बुरी हालत है । मास्टरों को तन्खाहें नहीं मिलती, लड़कों की पढ़ाई अच्छी नही है और वहां पर पढ़ाने वाले लड़कों की सर्विस में सिक्योरिटी नहीं है । जो छाल अच्छा चलता है उसको सर्विस में लेना चाहिए । जिस स्कूल की बुरी हालत है या हुछ आदमी स्कूल के नाम पर लोगों से पैसा लूटते हैं, उन स्कूलों को अपने अधीन सरकार को लेना चाहिए । 1968 की बात है जब सीवन में फाइरिंग हुई । डा0 साहब औरचौधरी चांद राम लीडर होते थे, उस समय मैं उन के पास गया था । जिन लोगों ने हरिजन भाइयों का साम दिया था उनको स्कूल से निकाल दिया । (विघन) 15– 11– 84 को मैं इलैक्टिड प्रौजिडैटं बना था । इत्तफाक से चौधरी देवी लाल भी पहुंच गए थे, मैं इनके सामने ' प्रैजिडैंट बना था । जब पुलिस फायरिंग हुई तो पुलिस के साथ मुकाबला द्राएं गया और मैंने लोगों का साथ दिया तो कांग्रेस सरकार ने जबरदस्ती मैनेजमैंट को तोड़ दिया और गलत आदमी बैठा दिये जो अब तक चल रहे हैं । महिन्द्र नाम का एक आदमी 5–7 लाख रुपया आये साल बी0 एड और जे 0 बी0 टी0 के दाखलों मे लूटता है । आप इसकी इन्क्वायरी कर लें, अगर झूठी बात होतो मै जिम्मेवार हूं । जब लडके–लडीकयों के दाखले होते हैं तो यह

पांच– पांच, छ–छ हजार रुपया अपनी जेबमें लेता है, किसी स्कूल या कालेज के नाम पर नहीं जाता । सरकार को ऐसे स्कूल और कालेजों को जरूर अपने कब्जे में लेना चाहिए ताकि जनता का भला हो पौर प्राईवेट स्कूल और कालेज का भी भला हो ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट का ताल्लुक है, लडकियों को जायदाद का हिस्सा बापू की जायदाद की बजाये ससुर की' जायदाद में होना. चाहिए क्योंकि इससे भाई–बहनों में. फरिक्शन बढ्ती हैऔर कत्ल होते हैं । इस कानून को बदलें, पुरानी कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया था । मेरी आपसे प्रार्थना है कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट से सिफारिश की जाए कि इस कानून में जरूर तरमीम की जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे खुशी है कि जनता सरकार सब तबकों के सामूहिक विकास का ध्यान रखती हए क्योकि सब तबकों की सांझी सरकार है । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हरिजन बहुत गरीब है, जो अपनी बहू–बेटियों को सड़कों पर काम करने के लिये भेजते हैं, उनकी मजदूरी इतनी बढ़ा दें ताकि वे अपने बच्चों का इज्जत के साथ पालन कर सकें । उनको खिला सकें और नाबालिक लडकियां सड्कों पर काम करने के लिए न जाएं । इन गरीबों का जरूर ख्याल किया जाए, आप हमारा ख्याल बेशक न रखें, इनका जरूर रखे ।

18.00 बजे

जहां तक जेल–सुधार का ताल्लुक है, सरकार ने जेल का नाम सुधार–घर रख दिया है लेकिन कैदियों को जो खाना मिलता है उसमें भी सुधार होना चाहिए । वहां गुड़ की बजाये चीनी की चाय मिलनी चाहिये,गुड गंदा होता हे । इसलिए सरकार खाने में जरूर इम्प्रूवमैंट करे । इसके अतिरिक्त जो नाबालिक लड़के अंडर ट्रायल होते हैं उन सब को बोर्स्टल–जेल हिसार में भेजा जाए ।

जहां तक कर्मचारियों के ट्रांसफर की पालिसी है, मास्टरों और अफसरों की ट्रांसफर मार्च महीने में होनी चाहिए । अगर सारा साल ट्रांसफर चलती रहे तो सरकार क्य टाईम खराब होता है, सरकार का नाजायज खर्चा होता है और कर्मचारियों को तकलीफ होती है। इसलिए अगर ट्रांसफर मार्च महीने में हो जाए तो ठीक रहेगा । जो मास्टर अब शहर में बैठे हुए है उनको देहात में भेजा जाए और देहात वालों को शहर में भेजा जाए । इसके अलावा मास्टरों को नजदीक–नजदीक लगाया जाए । जहां सरकार की यह पालिसी. है कि मास्टर की बीवी अगर मास्टरने'। हो तो उन दोनों को एक ही स्टेशन पर रखा जाए, वहां मैं यह कहना चाहता हूं कि अनपढ़ बीवी का क्या कसूर है कि उसको उसके पति के साथ न रखा जाए? इसलिए मेरा निवेदन है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ की इक्वैलिटी का क्रायटेरिया रख कर जो मास्टर शहर में हैं उन्हे देहात में भेजा जाए और जो देहात में हैं उनको

शहर में भेजा जाए । (विध्न) अब मैं ज्यादा न कहते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

श्री भले राम (बड़ौदा –अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, पोहलू जी की बातों का जवाब तो कोई और देगा, मैं तो राज्यपाल के अभिभाषण का प्रसन्नतापूर्वक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें आर्थिक और दूसरे जो सरकार के प्रोग्राम है वे यह जाहिर करते हैं कि जनता सरकार ने जो वायदे लोगों के साथ किए उनको पूरा करने की तरफ वह एक कदम है, एक झलक है । जब मुख्य मंत्री जी ने अपने पद का भार संभाला तो इन्होंने कहा था कि पानी का प्रबन्ध किया जाएगा लेकिन बदकिस्मन्त्री से बाढ़ की बहुत तबाही के कारण दूसरे ढंग से ही पानो का प्रबन्ध करना पड़ा । इस साल बहुत ही भयंकर बाढ आई थी लेकिन उसका मुकाबला इस कदर किया गया जिसकी आज तक कोई मिसाल भद्दी मिलती । जितने भी एम0एल 0 एज0 और वजीर थे, सभी अपने पदों का ख्याल न करतेहुए पानी में घुसे और लोगों के दु:ख में सम्मिलित हुए । इसलिए यह सरकार जो है जन हित की सरकार है, कल्याणकारी सरकार है । चूंकि समय थोड़ा है, इसलिए मैं एक ही बात का जिक्र करूंगा । पोहलू साहब ने हरिजनों की बहू–बेटियों के बारे में मजदूरी के लिए कहा, उसक मैं भी समर्थन करता हूं । लेकिन इसके साथ ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने 30 साल में हरिजनों के साथ क्या व्यवहार किया । तीस साल तक वे उनको आपस में

लडाते रहे और बहकाते रहे । कभी जमीन का लालच दिया और कभी दूसरी चीज का लालच दिया । आपको याद होगा कि उस समय दिल्ली में एक जब्रदस्त मुजाअरा हुआ था । बीड़ सुनारवाला के गरीब हरिजनों ने अपने बच्चों के पेट काट कर जमीन को तोड़ा था, काश्त योग्य बनाया था लेकिन बंसी लाल की सरकार ने उन हरिजनों को वहां से उजाडा और जेलों में डाला । जेलों में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नही हुआ । आपको याद होगा कि बहुत सी माताएं और बहिनें भी जेल में गई थीं । कई बहिनों के तो वहां बच्चे भी पैदा हुए थे । आप जानते हैं कि जच्चा को क्या देना चाहिए? घी, दूध और मेवे आदि । फर्ज तो कांग्रेस सरकार का, इंदिरा गांधी का, बंसी लाल और पोसवाल साहब का जो कि उस समय उस सरकार में थे यह था कि ऐसी बहिनों को रिहा कर देते और यदि रिहा न भी करते तो उनको घी दूध वगैरा दे ते लेकिन इन्होंने तो उनको अच्छा खाना भी नहीं दिया । लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पिछले दिनों जब हरिजन सैल की मीटिंग हुई तो उसमें चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि उनकी सरकार हरिजनों के लिए जितनी रिजर्वेशन हैं उनको पंजाब पैट्रन पर लागू करने के लिए गौर कर रही है । यही नहीं, मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा है कि हरिजन लोग अपने धन्धे शुरू करें, गरीब लोग जो देहात में रहते हैं वे अपने काम धन्धे शुरू करें, सरकार उसमें उनकी मदद करना चाहती है । तो सरकार का यह प्रोग्राम गरीबों को, विशेषकर पिछड़े और हरिजन वर्ग के लोगो को 0पर उठाने का प्रोग्राम है । इसके अलावा इस सरकार ने हरिजनों

के लिए मुर्गी पालने, सूअर पालने और भेड़ बकरी आदि पालने के धन्धे भी चालू किए हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । कृषि के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता होती है । यही कारण है कि इस सरकार ने बजट का ज्यादा हिस्सा पानी पर खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि हमारे प्रदेश और देश में पैदावार बढ़े और अन्न की समस्या हल हो । इसके बारे में मैं आई0 पी0 एम0 साहब से एक अर्ज करूंगा । बंसी लाल जी ने उचाना नहर पर 40 फीसदी पानी का कट लगाया था । पता नहीं वे उस पानी को महेन्द्रगढ़ या कहां ले गए थे? उस कट को अब बहाल करने की कृपा की जाए । कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन चूकि काफी भाईयों ने बोलना है इसलिए ज्यादा देर तक मैं आपके बीच में नही रहूंगा । गवर्नर साहब का जो अभिभाषण है यह सही मायनों में उन वायदों को पूरा करने की ओर एक कदम है जो वायदे जनता सरकार ने किए हैं । इसलिए मैं इस अभिभाषण का समर्थन करके अपना स्थान लेता हूं । (विघन)

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : डिप्टी स्पीकर साहब, बोलने से पहले मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि आपको पता ही है कि हमें पहलीबार असैम्बली में बैठने का मौका मिला और आपकी कृपा से पहली दफा बोलने का टाईम मिला है । हो सकता है किसी अज्ञानता के कारण कोई गल्ती हो जाए । इसलिए हाउस से यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस बात के लिए

क्षमा किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल कैं अभिभाषण पर सरकरी बैचों की तरफ से काफी रोशनी डाली गई और सरकार ने जो बहुत अच्छे कार्य करने के प्लांज बना रखे हैं उनको बहुत विस्तारपूर्वक कहा गया । मैं यह समझता हूं कि सरकार इसलिए बनती है कि जनता की भलाई के लिए वह 'जितने अच्छे से अच्छे कार्य कर सके वह करे । लेकिन इसके साथ–साथ, डिप्टी स्पीकर साहब, काम करने से अगर जनता के अन्दर दूसरी परेशानियां पैदा हों, तकलीफें पैदा हों तो ऐसा काम करने से सरकार का ध्येय जो है वह पूरा नही होता । इससे तो जनता को बडी निराशा होती है । कांग्रेस सरकार के असैम्बली के सैशन देखने का भी मुझे मौका मिला है । इसी तरह वह भी काम करने का बहुत ढिढोरा पीटती थी । कहा जाता था कि हरियाणा में कोई भी ऐसा गांव नही जिसमें बिजली न पहुंची हो, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें सड़क न पहुंची हो, बस न चली हो लेकिन उन लोगों ने आम जनता की जो शिकायतें थी उन पर ध्यान नहीं दिया । इसका नतीजा, डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि कितनी बुरी तरह से जनता ने उनको शिकस्त देकर जनता पार्टी को कामयाब किया है । डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि. जनता पार्टी की जो पहले हालत थी पार्लियामैट के इलैक्शन में जो जनता पार्टी को सहयोग दिया गया था, अब वह नही मिल रहा है । आज जनता निराश होती जा रही है । निराश होने का क्या कारण है? गवर्नर साहब के अभिभाषण में भी आया और मुख्य मंडी महोदय का भी नारा है कि भ्रष्टाचार

को खत्म किया जाये । भ्रष्टाचार खाली नारों से और हाउस में कहने से बंद नही होगा और न ही कागजों पर लिखने से बन्द होगा । भ्रष्टाचार खत्म करने की सब से पहले जिम्मेदारी मंत्रीगण की– है, उसके बाद एम0 एल 0 ए0 साहेबान की है, फिर सीनियर अफसरान की और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी में होते हुहु ओहदे लिए बैठे है । जब तक ये सभी लोग कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीहो सकता । जब तक यह श्रष्टाचार का केवल नारा रहेगा तब तक कामयाबी नही मिलेगी । आप जानते हैं कि पहले से ज्यादा यानी कई गुना भ्रष्टाचार बढ्ता जा रहा है । जैसे आम लोगों की शिकायत मंत्री सुनते हैं, एम0एल 0 ए0 भी सुनते है लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई एम0 एल0 ए0 आम जनता की बात लिख कर भी देता है तो भी उस पर कोई गौर नही किया जाता है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहता हूं । हमारे एक माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार, मेरे हल्के जीन्द शहर में रहते हैं । क्या यह भ्रष्टाचार रही है कि उनके मकान पर मिनिस्टर महोदय ने टेलीफोन अपने नाम से लगवा कर दे रखा है और उस टेलीफोन का बिल सरकारी खजाने से दिया जाता है । यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? मैं तो यह कहूंगा किं भ्रष्टाचार का यह बड़ा भारी उदाहरण है । इसलिए जो मन्त्री इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं वे पहले अपने आप पर कंट्रोल करें । अगर कोई शराबी शराब पी कर यह नसीहत दे कि शराब पीना बुरा है तो उसका लोगों पर

कोई असर नही होगा । जनता पार्टी की भी यही हालत दिखायी दे रही है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक एम0 एल0 ए 0 की बात बता0ं और यह बात अखबार में भी निकली और उसकी कटिंग मेरे पास भी है । जीन्द में एक गांव है । उस एम0 एल 0 ए0 ने उस गांव के लोगों को डिपो पर से चीनी नहों लेने दी । मेरे पास भी उस गांव के लोग आये कि किसी ने हमारी चीनी रुकवा दी है । मैंने कहा मैं तो इस बात में शरीक' नही हुआ । जनता का कोई भले का काम हो तो जरूर होना चाहिए लेकिन मैं किसी के कार्य ने रुकावट नहीं डालता । मैंने इस विषय में डी0 एफ0 एस0 ओ0 से पूछा कि अखबारों में भी छपा है क्या कारण है उन लोगों को चीनी क्यों नहीं दी जा रही है? उसने बताया कि फलां एम0एल 0ए0 का टेलीफोन आया है कि चीनी नहीं देनी है । मैंने पूछा कि क्या आपके पास लिख कर आया हुआ है? मैंने यह भी कहा कि पहले वाले अफसर सजा भुगत रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने फिर भी यही कहा कि जब तक वह एम 0 एल0 ए0 नही कहेगा तब तक– कोटा नही मिलेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने गांव वालों से भी पूछा कि एम0 एल0 ए0 चीनी क्यों नही देने देता हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वे कहने लगे वि, वह कहता है जब तक इस कोटे में से एक बोरी चीनी मेरे घर नहीं पहुंवेगी. तब तक' चीनी नही मिलेगी । जब

एम0 एल0 ए 0 का यह हाल हो तो सरकार से भ्रष्टाचार दूर होने की बात तो बहुत दूर है ।

श्री बलदेव तायल' : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । मैं यह दरखास्त करूंगा कि allegations, vague and without proof allegations, against the Ministers and the M.L.As. should be expunged or a valid proof should be taken from the hon. Member.

Rao Dalip Singh : What is the criteria of proof ?

श्री बलदेव तायल : मेरी गुजारिश यह है कि आदरणीय सदस्य या तो नाम ले कर कहें या फिर सबूत पेश करें वरना यह ऐलीगेशन टोटली वेग है ।

श्री उपाध्यक्षः वे नाम लेकर नहीं बोल रहे है ।

श्री मांगे राम गुप्ताः हो सकता है मैं कुछ गलती पर हूं लेकिन एक्य बात 'जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं जो बातें यहां कहूंगा उनका सबूत देने के लिए भी तैयार हूं । बड़ी अच्छी बात हए कि आप ऐक्शन लें । मैं ऐक्शन के लिए ही कह रहा हूं । मैं साबित करने के लिए तैयार हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहब चौधरी राम लाल जी ने यहां फरमाया कि जनता सरकार डैमोक्रेसी को बहाल करना चाहती है । पिछली सरकार जिस तरह से लोकल बाडीज में लोगों को नौमीनेट करती थी इन्होंने भी कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है

। डिप्टी स्पीकर साहब, जनता सरकार बनने के बाद हरियाणा के सारे इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों को तोड़ दिया गया । मुझे भो इस बात की खुशी थी क्योंकि मुझे पहली सरकार ने तंग किया था । जिसको दर्द होता है वही जानता है । मैं भी कांग्रेस सरकार का, बंसी लाल सरकार का सदा से विरोधी रहा हूं । मैं कांग्रेस के तो हमेशा ही खिलाफ रहा हूं । मैं हर इलैक्शन में चाहे इन्दिरा लहर हो या कोई दूसरी लहर हो विरोधी रहा हूंऔर अपने हल्के से कभी कांग्रेस के कैन्डीडेट को कामयाब नही होने दिया । उस सरकार ने भी मेरा एक जमीन का टुकड़ा ऐक्यायर किया था, वह जमीन अढाई लाख की थी लेकिन मुझे 15 हजार रुपया कम्पनसेशन दिया था । इस बात का मुझे कोई दुख नहीं हुओं । मुझेतो इस बात की खुशी हुई थी कि जनता सरकार ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों को तोड़ा लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़े गये हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही रिवाज चालू होगया है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जीन्द में जो इम्प्रूमैंवट ट्रस्ट के चौयरमैन बनाये हैं उनकी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है । जीन्द शहर की आबादी पचास हजार की है । इस सरकार को वहां पर कोई काबिल डाक्टर, वकील जीन्द में चेयरमैन बनाने को नही मिला । ऐंसे आदमी को बनाया है जिसकी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है । ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाना, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? (उद्योग मन्त्री डाक्टर मंगलसेन की ओर से विघन) डाक्टर साहब को शायद इसलिए तकलीफ हो रही है कि

यहां मैं भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहा हूं । मैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने में जितना सहयोग होगा देने के लिए तैयार हूं । भ्रष्टाचार नीची जगहों से चलता है । मैं आपको एक. प्रूफ के साथ बात कह रहा हूं । इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने 291 गज जगह ऐक्वायर की । 23 तारीख के गजट में नोटिफायी किया गया और 24 तारीख को सौदा करके उस जमीन पर दुकानें बननी शुरू हो गयीं । (विघन) कोई नक्शा नहीं बना, लेकिन मौके पर दुकानें बन रही. हैं । आप कहते हो कोई शिकायत नहीं, आपका फर्क बनता है कि आप उन्हे पकड़ों, उन्हें कोई पकडवाने की बात नहीं और न ही कोई सबूत देने की बात है, 23 तारीख को इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट गजट करता है और 24 तारीख को उन लोगों को बुला कर कहता है कि आप दुकानें बनाओ और वहां मौके पर दुकानें बन रही हैं । यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? डिप्टी स्पीकर साहब, यह कारनामे हो रहे हैं और मैं यहां पर आपके द्वारा सरकार के नोटिस में ला रहा हूं । हमारी–जनता सरकार के बनने में सिम्पथी थी क्योंकि आपको पता है कि हम भी कांग्रेस के जुल्म से सताये हुए थे । कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हमें आज इन बैंचों पर बैठना पड़ रहा है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक चीज मैं आपके नोटिस में और लागी चाहता हूं । जिस वक्त कांग्रेस सरकार यहाँ पर थी, तो वही भाई जो आज जनता सरकर में हैं, उसके खिलाफ यह ऐलीगेशन लगाते थे कि जबरी चन्दा रजिस्ट्री करते वक्त लिया जाता है । अभी टाईम बहुत थोड़ा ही निकला है । ....

चौधरी उदय सिंह दयाल : डिप्टी स्पीकर साहब, इस मैम्बर को ज्यादा परेशानी है तो इसको चाहिये कि यह ऐसी कोई मशीन खरीद जो यह बताये कि कौन अच्छा आदमी है और कोन बुरा है । उस मशीन को लगाने से उसकी फोटो आ जाये और उसको जनता सरकार कोई हिदायत दे दिया करे । क्या इनके पास ऐसी कोई मशीन है जिससे यह पता लग सके कि कौन सा आदमी बुरा है और कौन सा आदमी अच्छा है । डिप्टी स्पीकर साहब, आप इनको पर्सनल एलीगेशन लगाने से रोके । अगर कोई ऐसी बात है तो लिख कर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : जो बात है, आप लिखकर चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दें ।

श्री मांगे राम गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक– लिखने का सवाल है, मैंने अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिख कर भेजा है औंर रैवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी लिख कर भेजा है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसी. कोई मिसाल हो जहां सरकारी असरों–रसूख से चन्दा वसूल (इकट्ठा) किया गया हो तो मुझे दी जाये । यह बिल्कुल गलत है कि उन्होंने लिखकर दिया है । मेरे पास कोई भी लिखित शिकायत नही पहुंची है । यह बिल्कुल गलत है । यह वेग ऐलीगेशन लगा रहे हैं ।

श्री मांगे राम गुप्ता : मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूं कि मैंने चन्दे के बारे में लिखकर दिया । जो अफसर के बारे में चौधरी उदय सिंह जे'' ने कहा, मैंने तो उसके बारे में लिखकर दिया है । हो सकता है कुछ गलत बोल गया हूं । मैं नया एम0 एल 0 ए0 हूं और नग एम 9 एल0 ए0 होने की वजह से पहली दफा बोलने का मौका मिला है, हो सकता है कुछ गलत बोल गया हूंगा ।

उद्योग मन्त्री (डा0 मंगल सेन) : मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उन लफ्जों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

Mr. Deputy Speaker : This portion of his speech, be expunged.

श्री शमशेर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कौन सी ऐक्सपंज करने की बात है । इसमें ऐक्सपंज करने की कोई बात ही नहीं है । इन्होंने यह नहीं कहा कि गलती से कह गया हूं । इन्होंने तो यह कहा है कि मैं एक नया मैम्बर हूं ।

श्री उपाध्यक्षः आप चाहे तो मैं रूल पढ़ देता हूं ।

डाक्टर मंगल सेन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जब माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे थे, तो उन्होंने खुद यह कनफैस कर लिया था कि हो सकता है कि मैं कुछ गलत कह गया हूं । जब मुख्य मंत्री जा ने उन्हें चौले न्ज किया कि उनके पास कोई ऐसी शिकायत लिखकर नहीं आयी है तो उन्होंने यह

कहा कि शायद मैं कुछ गलत कह गया हूं । (श्री शमशेर सिंह जी की ओर से विध्न)

चौधरी देवी लाल' : न लेने वाला कहता है, न देने वाला कहता है । आप ख्यामखाह बीच में पंच बन रहे हो ।

श्री मांगे राम गुप्ता : डिप्टी सीकर साहब, मैं फिर वही बात बार–बार कहता हूंकि मैने बन्दे के बारे में तो कोई लिखकर ही नही दिया ।. (विध्न) मैंने जो लिखकर दिया, क्तके बारे में मैं कहना चादुता हूं । (विष)तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे स्कू' प्रार्थना कर रहा था कि हमारे यहां जो जनता सरकार बनी, उससे जनता को बडी आशाये भी और बड़ी आशायें हैं । यह ठीक है कि डिवैल्पमैंट के काम होते रहे हैं और होते रहेंगे । लेकिन एक आदमी को यदि एक अच्छे घर में रखा जाये और हर वक्त उसको यह डर लगा रहे कि तेरे को कोई मारेगा, तेरे घर पर डाका पड़ेगा, तो यह काबिले बर्दाश्त बात नही है । उसको किसी अच्छे महल की जरूरत नही । अच्छे महल की निस्बत वह अमन से रहने के लिये सेफटी चाहता है । वह परेशान न हो, ऐसी बात वह चाहता है बजाये इसके कि वह अच्छे महल में रहे । इसलिये मैं डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात कहता हूं कि जहां डिवैल्पमैंट की तरफ सरकर इतना ध्यान दे रही है, वहां इसको जो छोटे–छोटे शहरों में और देहातों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उससे लोग परेशान हैं, हो सकता है आपके नोटिस में यह बात कम आती हेग'।', सए बिन यह जो आम बात हो रही है,इस भ्रष्टाचार को दूर

किया जाये । सरकार को चाहिये बि.. वह भ्रष्टाचार में सुधार करने की कोशिश करे । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं. आपका ज्यादा टाईम न लेता हुआ अन्त में एक' बात और कहना चाहूंगा । हाउस में यहां पर शूगर मिल्क लगाने का जिक्र आया । डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा जिला जींद एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी शूगर मिल नहीं है जबकि कई जिलों में तो दो–दो शूगर मिलें या तो लग गयी हैं या लगाने की प्रोपोजल है । जिला जीन्द में एक भी शूगर मिल नही है । जिला जीन्द की गन्ने की पैदावार भी किसी दूसरे जिले से कम नहीं है । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जहां आप की 5 गन्ना मिलें और लगाने की तजवीज है, वहां उनमें से एक मिल जिला जीन्द में भी लगायी जानी चाहिए । जीन्द एक ऐसा जिला है जहां पर गन्ने की पैदावार दूसरे जिलों की निस्बत कम नहीं है । जहां पर सरकार गन्ने के बारे में यह विचार करने जा रही है कि किस तरह से किसान को गन्ने की कीमत पूरी मिले वहां उस किसान का विचार कीजिये जहां पर कोई शूगर मिल नही है, न कोई बड़ा क्रशर है और उस को गन्ने का गुड़ बनाने के अलावा और कोई रास्ता नही है । मेरी जाति इन्फर्मेशन के मुताबिक 22 हजार हैक्टेयर एरिया में पैदावार हो रही है, और आपको पता ही है कि इसकी खपत के लिये कोई न कोई मिल लगाना बहुत जरूरी है । तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जहां पर आप 5 शूगर मिले लगाने जा रहे हैं, वहां पर इन में से एक शूगर मिल जीन्द जिला में भी अवश्य लगाइये ताकि वहां के किसान को जो शुरू से ही

काफी नुक्सान उठा रहा है, कुछ राहत मिल सके । डिप्टी स्पीयर साहब, मैं अन्त में आपका बहुत, धन्यवादी हू कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । जो कोई गलती मेरे से बोलते हुए हो गयी है, आईन्दा मैं कोशिश यह करूंगा कि वह न होने पाये और उस में सुधार हो जाये । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

स्वामी आदित्य वेश (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके पहले कि मैं एक–दों बातें अर्ज करूं मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी श्री मांगे राम जी ने जो एलीनेशन लगाया है, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं । आज कोई भी तहसील– दार हरियाणा में रिश्वत लेना तो दूर रहा, रिश्वत का नाम भी लेने से कांपता है । मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं । तहसीलों में और कोटों में जो धक्काशाही पिछली हकूमत में चलती थी, जो रिश्वत पहले चला करती थी, उसका अब कोई नामोनिशान भी नहीं है ।

मैं गांव–गांव धूमता रहता हूं मुझे इस बात का पता है । पहले लोग रजिस्ट्रियां कराने जब जाते थे तो एक हजार या दो हजार लिये बिना टिकट भी निकाल कर नहीं दिया करते थे वहां पर अब इस प्रकार की कोई कठिनाई किसानों के सामने नही आ रही है । इस बात के लिये मैं जनता सरकार का स्वागत करूंगा कि उसने किसानों में थोड़ी सी हिम्मत लायी है और वे आज बिना

कुछ लिये दिये अपना काम करवाते हैं । मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज यह बात कह सकता हूं कि आज किसान इस बात में पूरी तरह समर्थ हैं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन योजनाओं का जिक्र है, उनमें से मैं एक दो बातों की तरफ ही सदन का ध्यान अर्किषत करना चाहूंगा । सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा गुडगांवा जिला, जिसमें मेवात का क्षेत्र शामिल है और जिसे कांग्रेस सरकार ने अपने 30 साल के शासन के दौरान भी 0पर उठाने के लिये कोई कदम नही उठाया, उसके लिये जनता सरकार ने वहां के 5 लाख लोगों के इलाके को सरसब्ज बनाने के लिये कई कदम उठाये हैं । इसके लिये मैं जनता सरकार का धन्यवाद करता हूं । बाढ़ से पीड़ित इस क्षेत्र में वाटर लौगिग की समस्या को हल करने के लिये 29 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है । इतना अच्छा काम इस सरकार ने किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाये उतनी ही कम है । लेकिन मेवात के इलाके को सरसब्ज बनाने के लिये, मैं अपनी पार्टी से यह निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे इलाकों में उद्योग धन्धे भी खोले जायें तो वहां के लोगों को और भी लाभ हो सकता हे । जिस प्रकार से सिरसा है, भिवानी है, हिसार है, उसी प्रकार से मेवात के एरियाज मे न् ह में, तहसील फिरोजपुर झिरका में पटौदी–गुड़गांव सब–डिवीजन में और पलवल के इलाको को भी पिछड़ा हुआ इलाका घोषित करके अगर उद्योग –धन्धे खोल दिये जाने तो इससे वहां के लोगों को भी कुछ फायदा हो सकता है और वहां

पर भी तरक्की हो सकती है । आपको पता ही है कि पिछली सरकार के टाईम में कितनी बार बाढ़ आयी, कितनी बार तूफान आया, लेविन पिछली सरकार ने कभी एक पैसे का भी मालयाना माफ नही किया । इस सरकर ने चाहे एक पैसे का मालयाना माफ किया है, लेकिन किया तो है । इस सरकर ने जो बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है उसमें मालिया माफ किया है यह सराहनीय कार्य इस सरकार ने किया है । इसी प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी योजनाएं दी हैं वे उत्पादनपरक योजनाएं है और उत्पादन को बड़ाने वाली है । यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि वितरणपरक योजनाएं चालू होनी चाहिए । जैसे किसान गेहूं पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, गुड़ पैदा करता है, सरसों पैदा करता है और जब इनको वह बेचे तो उसको ठीक रेट मिले । अगर उसको ठीक रेट नही मिलता तो उसको न्याय नहीं मिल पाता । अगर वितरण परक योजनाएं चलाई जाएं तो किसान का बड़ा भला हो सकता है । जब मैं देखता हूं कि गन्ना जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने बताया कि तेरह साढे तेरह रुपए प्रति क्विटल कारेट है लेकिन उसको सात रुपए के भाव से भी कोई क्त के लिये तैयार नहीं है, आज उसको लकड़ी के भाव पर भी लेने के लिए तैयार नही है । इस से जहां किसान का आर्थिक नुक्सान हो रहा है वहां उसमें अरुचि पैदा हो जाएगी और किसान गन्ना तथा दूसरी वस्तुएं जो वह पैदा करता है वह पैदा नहीं करेगा । अगर उसके उत्पादन का ठीक मूल्य दिया जाए तो उसका ज्यादा भला हो सकेगा ।

राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि किसानों को सस्ता बीज और सस्ती खाद देने की व्यवस्था की जा रही है । यह अच्छी बात है लेकिन लोग यह बात कह रहे है कि अभी तक. इसकी व्यवस्था. नहीं हो पाई है । इसकी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए ।

अभिभाषण के अन्दर दो बातें और कही गई हैं कि जाए किसान ट्रैक्टर चलाएंगे उनके बच्चों को ट्रैक्टर और कृषि सम्बन्धी–मशीनरी के चलाने और सम्भालने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह प्रशिक्षण देने के लिए दो और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । यह बड़ा ही सराहनीय काम है । मेरी गुजारिश है कि हर जिले में एक–एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए तो हर जिले के किसान के बच्चों को फायदा होगा । इसके अतिरिक्त सूखाग्रस्त इलाके में सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए बड़ी अच्छी–अच्छी योजनाएं दी गई हैं । लिफ्ट योजना और छिडकाव योजना जो इस तरह की योजना है यह जल्दी ही कार्यान्वित की जाएं तो अच्छा रहेगा इससे जो शुष्क इलाका है उसको फायदा होगा ।

Mr. Deputy Speaker : The house stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 1st March, 1978.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the Ist March,

1978).

18. 30 बजे